

# **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

**31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये**

**संख्या—3**

**(राजस्व प्राप्तियाँ)  
उत्तर प्रदेश सरकार**



## विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii से x
<b>अध्याय—I : सामान्य</b>		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग के दायित्व	1.2	3
राज्य सरकार के हितों के संरक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जवाबदेही लागू करने में विफलता	1.2.1	3
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	5
आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर	1.2.3	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तरवर्ती—सारांश	1.2.4	5
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.2.5	6
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण	1.3	6
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.3.1	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन	1.3.2	7
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.3.2.1	7
शासन/विभागों द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही	1.3.2.2	8
लेखापरीक्षा योजना	1.4	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	9
वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.5.1	9
यह प्रतिवेदन	1.5.2	10
<b>अध्याय-II : वाणिज्य कर/ मूल्य संवर्धित कर</b>		
कर प्रशासन	2.1	11
प्राप्तियों का रुझान	2.2	11
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	2.3	12
प्रति व्यापारी वैट लागत	2.4	12
कर निर्धारण हेतु बकाये मामले	2.5	13
संग्रह की लागत	2.6	13
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	2.7	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.8	14

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	अन्तर्राजीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा-पत्रों का उपयोग (एक निष्पादन लेखा परीक्षा)	2.9	15
	अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	2.10	33
	वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.11	33
	अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना	2.12	36
	अनियमित छूट	2.13	40
	प्रवेश कर का अनारोपण	2.14	42
	राज्य विकास कर का अनारोपण	2.15	43
	जमानत की कम वसूली	2.16	43
	अधिक वसूले गये कर का जमा न किये जाने से राजस्व हानि	2.17	44
	सकर्म संविदा कर की कठौती न किया जाना	2.18	46
	व्यापारियों के पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व हानि	2.19	47
<b>अध्याय-III : राज्य आबकारी</b>			
	कर प्रशासन	3.1	49
	प्राप्तियों का रुझान	3.2	49
	राजस्व बकाये का विश्लेषण	3.3	50
	संग्रह की लागत	3.4	50
	लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	3.5	51
	लेखापरीक्षा के परिणाम	3.6	51
	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3.7	52
	माडल शापों के लाइसेंस फीस की सम्भावित हानि	3.8	52
	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	3.9	54
	सी०एस०डी० कैन्टीन से लाइसेंस शुल्क का न वसूल किया जाना	3.10	55

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन के कारण राजस्व क्षति	3.11	56
अर्थदण्ड का अनारोपण	3.12	57
विदेशी मंदिरा की दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण	3.13	58
देशी मंदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का कम उठान के कारण आबकारी शुल्क की हानि	3.14	59
देशी मंदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी शुल्क वसूल न किया जाना	3.15	60
शीरे के निर्गम पर देय प्रशासनिक शुल्क का भुगतान न किया जाना	3.16	61
आबकारी राजस्व के बिलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	3.17	61
अतिकाल फीस का कम आरोपण	3.18	62
<b>अध्याय-IV : माल एवं यात्री वाहनों पर कर</b>		
कर प्रशासन	4.1	63
संग्रह की लागत	4.2	63
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	4.3	63
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.4	64
मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	4.5	65
लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	4.6	86
टाटा मैजिक वाहनों की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण	4.7	86
तीन माह से परेय (अधिक) समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना	4.8	87
वाहनों के सकल लदान भार पर कर का अनारोपण	4.9	88
उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा नियंत्रित एवं स्वामित्व के सार्वजनिक सेवा वाहनों पर कर का कम आरोपण	4.10	88
कर एवं अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना	4.11	89

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
वाहनों के बिना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के संचालन के कारण हानि	4.12	90	
स्टेज कैरेज की न्यूनतम सीट क्षमता पर कर का अनारोपण	4.13	91	
<b>अध्याय-V : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस</b>			
कर प्रशासन	5.1	93	
प्राप्तियों का रूझान	5.2	93	
राजस्व बकाये का विश्लेषण	5.3	94	
संग्रह की लागत	5.4	94	
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	5.5	95	
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.6	95	
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	5.7	96	
पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का करापवंचन	5.8	96	
सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.9	97	
<b>अध्याय-VI : अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ</b>			
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	103	
लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	6.2	104	
निक्षेप कार्यों पर प्रतिशतता प्रभारों का अनारोपण	6.3	104	
शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना	6.4	105	
वन भूमि के उपयोग पर शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल न किया जाना	6.5	106	
कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित न किया जाना	6.6	106	

## प्राक्कथन

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों, एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा-16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में व्यापार कर, राज्य आबकारी, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणामों का प्रस्तुतिकरण है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2010-11 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 35 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित ₹ 100.50 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:

### I. सामान्य

वर्ष 2009-10 के ₹ 96,420.95 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2010-11 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,11,183.76 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 41,355 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 11,176.21 करोड़ को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 52,531.21 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 58,652.55 करोड़ (विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग ₹ 43,218.90 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 15,433.65 करोड़) थी। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का 47 प्रतिशत ही उगाह सकी। वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री, व्यापार, आदि पर (₹ 24,836.52 करोड़) तथा विविध सामान्य सेवाओं पर (₹ 5,120.67 करोड़) क्रमशः कर एवं करेत्तर राजस्व के मुख्य साधन थे।

(प्रस्तर-1.1)

31 दिसम्बर 2010 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में जून 2011 के अन्त तक 10,349 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 4,445.39 करोड़ धनराशि के 25,501 प्रस्तर लम्बित थे।

(प्रस्तर-1.2)

वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों, स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क, वन एवं अन्य विभागीय कार्यालयों के 1,682 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 4,486 मामलों से सम्बन्धित ₹ 682.45 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 913 मामलों में ₹ 10.11 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये गये जिनमें 42 मामले ₹ 10.86 लाख के वर्ष 2010-11 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान 625 मामलों में ₹ नौ करोड़ की वसूली की गयी।

(प्रस्तर-1.5.1)

### II. वाणिज्य कर/वैट

“अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा-पत्रों का उपयोग” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये

- अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान अनुमन्य कर मुक्ति एवं कर में कर दी गयी छूट के आँकड़ों के संकलन के अभाव में कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 के दौरान, जो राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, उसकी गणना नहीं की जा सकती।

(प्रस्तर 2.9.8)

- घोषणा पत्रों की सुरक्षा, निर्गमन एवं फार्मों के स्टाक के सत्यापन की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण फार्मों के दुरुप्रयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(प्रस्तर 2.9.9)

- अन्तर्राजीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों के विवरण को टिनएकिस वेबसाइट में न डालने के कारण ऑन लाइन क्रास वेरीफिकेशन सम्भव नहीं है  
**(प्रस्तर 2.9.10)**
- फर्जी फार्म के प्रयोग/केन्द्रीय बिक्री को कम/अधिक प्रदर्शित किये जाने के कारण ₹ 95.04 लाख का कर आरोपित नहीं किया गया।  
**(प्रस्तर 2.9.16)**
- माल की अनियमित खरीद के कारण ₹ 16.93 करोड़ के कर की अनियमित कर मुक्ति प्रदान की गयी।  
**(प्रस्तर 2.9.18)**
- प्रान्त बाहर से माल के अनधिकृत खरीद पर ₹ 30.42 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।  
**(प्रस्तर 2.9.22)**

### अन्य | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

- कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि में 28 वाणिज्य कर कार्यालयों के 33 व्यापारियों के मामले में ₹ 82.56 लाख के कर का अनारोपण/कम आरोपण।  
**(प्रस्तर 2.11.1)**
- वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक की अवधि में 14 वाणिज्य कर कार्यालयों के 14 व्यापारियों के मामले में टेन्डर फार्म की बिक्री पर ₹ 4.19 करोड़ के कर का अनारोपण।  
**(प्रस्तर 2.11.4.)**
- वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि में 14 वाणिज्य कर कार्यालयों के 15 व्यापारियों के मामले में ₹ 3.04 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।  
**(प्रस्तर 2.12.3)**
- 18 वाणिज्य कर कार्यालयों में अधिक वसूले गये कर को जमा न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 27.68 करोड़ की राजस्व हानि।  
**(प्रस्तर 2.17)**
- वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक अवधि में 24 वाणिज्य कर कार्यालयों के 32 व्यापारियों के मामले में सकर्म संविदा कर की कटौती न किये जाने के कारण ₹ 21.61 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।  
**(प्रस्तर 2.18)**

### III. राज्य आबकारी

- वर्ष 2009–10 से 2010–11 की अवधि में तीन जिला आबकारी कार्यालयों में 44 मॉडल शापो से ₹ 4.72 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की सम्भावित हानि।  
**(प्रस्तर 3.8)**
- अप्रैल 2010 से जून 2010 की अवधि में नौ जिला आबकारी कार्यालयों में सी0एस0डी0 कैचीन से ₹ 1.66 करोड़ के लाइसेंस फीस की कम वसूली किया जाना।  
**(प्रस्तर 3.10)**

#### IV. माल एवं यात्री वाहनों पर कर

“मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया:

- सारथी साप्टवेयर और वाहन साप्टवेयर के प्रवर्तन माड्यूल स्थापित नहीं किये गये।  
**(प्रस्तर 4.5.7.4)**
- वर्ष 2006–07 तक स्मार्ट कार्ड्स निर्गत किये जाने थे, लेकिन विभाग ने अभी तक स्मार्ट कार्ड्स निर्गत करना आरम्भ नहीं किया है।  
**(प्रस्तर 4.5.7.5)**
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों में निहित नागरिकों को आन लाइन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।  
**(प्रस्तर 4.5.7.6)**
- 62,79,933 वाहनों का आँकड़ा डिजिटाइज्ड नहीं था परिणामतः स्टेट रजिस्टर के साथ ही साथ नेशनल रजिस्टर अधूरा रहा।  
**(प्रस्तर 4.5.10)**
- राज्य के स०प०/स०स०प० अधिकारियों के मध्य आपस में अन्तर्सम्बन्धता स्थापित नहीं थी।  
**(प्रस्तर 4.5.11)**
- विभिन्न मैण्डेटरी फील्ड्स की सूचनाएं संग्रहित नहीं थी परिणामतः डाटाबेस में सूचना अपूर्ण रहीं।  
**(प्रस्तर 4.5.14.2)**
- डाटा वेलीडेशन की कमी के कारण डाटाबेस में एक ही प्रकार के चेसिस नम्बर, इंजन नम्बर तथा इन्श्योरेन्स कवर नोट नम्बर विद्यमान थे।  
**(प्रस्तर 4.5.14.4)**

#### अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

- अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010 के दौरान कम सीटिंग क्षमता ग्रहण करने के कारण 14 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में 3,152 वाहनों से ₹ 66.68 लाख का कर कम आरोपित किया गया।  
**(प्रस्तर 4.7)**
- अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि में 3 माह से अधिक समर्पित 353 वाहनों के सम्बन्ध में 11 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में ₹ 51.66 लाख का अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना।  
**(प्रस्तर 4.8)**

#### V. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

- जनवरी 2005 से जून 2010 की अवधि में 122 पट्टा विलेखों में ₹ 6.15 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी का करापवंचन।  
**(प्रस्तर 5.8)**

- 24 उप निबन्धक कार्यालयों में जुलाई 2009 से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान 39 विलेख पत्रों में गलत मूल्यांकन के कारण ₹ 1.39 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.9.1)

- एक उप निबन्धक कार्यालय में एक विलेख में सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण ₹ 1.20 करोड़ का स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.9.2)

## VI. अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ

- एक जिला वन कार्यालय में वन भूमि के उपयोग पर शुद्ध वर्तमान मूल्य ₹ 58.01 लाख की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 6.5)

## अध्याय-I

## सामान्य

## 1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

**1.1.1** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
<b>1. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व</b>						
■ कर राजस्व	22,997.97	24,959.32	28,658.97	33,877.60	41,355.00	
■ करेतर राजस्व	6,532.64	5,816.01	6,766.55	13,601.09	11,176.21	
योग	<b>29,530.61</b>	<b>30,775.33</b>	<b>35,425.52</b>	<b>47,478.69</b>	<b>52,531.21</b>	
<b>2. भारत सरकार से प्राप्तियाँ</b>						
■ अनुदान विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	23,218.31	29,287.74	3,0905.72	31,796.67	43,218.90 <sup>1</sup>	
■ सहायक अनुदान	7,850.60	8,609.40	11,499.49	17,145.59	15,433.65	
योग	<b>31,068.91</b>	<b>37,897.14</b>	<b>42,405.21</b>	<b>48,942.26</b>	<b>58,652.55</b>	
<b>3. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 + 2)</b>	<b>60,599.52</b>	<b>68,672.47</b>	<b>77,830.73</b>	<b>96,420.95</b>	<b>1,11,183.76</b>	
<b>4. 1 से 3 की प्रतिशतता</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,11,183.76 करोड़) का, विगत वर्ष के 49 प्रतिशत के विरुद्ध 47 प्रतिशत था। 2010–11 की प्राप्तियों का शेष 53 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

<sup>1</sup> विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2010–11 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण सख्त्या-11, देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में वृहत लेखा शीर्षक 'अ— कर राजस्व' के अन्तर्गत—0020— निगम कर, 0021— आय और व्यय पर अन्य कर, 0028—निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032— धन पर कर, 0037—सीमाकर, 0038—संघीय उत्पाद शुल्क, 0044—सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क—राज्यों के समुद्रेशित निवल प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा 'विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

**1.1.2** निम्नलिखित सारणी वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)							
		2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2009–10 के सन्दर्भ में 2010–11 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	2009–10 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता	
1.	वाणिज्य कर/वैट	13,278.82	15,023.10	17,482.05	20,825.18	24,836.52	(+) 4,011.34	19.26	
2.	राज्य आबकारी	3,551.25	3,948.40	4,720.01	5,666.06	6,723.49	(+) 1,057.43	18.66	
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	4,513.67	3,976.68	4,138.27	4,562.23	5,974.66	(+) 1,412.43	30.96	
4.	वाहनों पर कर	1,017.60	1,145.84	1,124.66	1,403.50	1,816.89	(+) 413.39	29.45	
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	108.70	109.65	266.49	271.05	241.69	(-) 29.36	(-) 10.83	
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	193.92	206.65	216.72	272.16	357.00	(+) 84.84	31.17	
7.	भू-राजस्व	187.52	392.53	549.28	663.14	1,134.16	(+) 471.02	71.03	
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	131.57	137.50	140.58	193.34	245.15	(+) 51.81	26.80	
9.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ, निगमित कर आदि)	14.92	18.97	20.91	20.94	25.44	(+) 4.50	21.49	
योग		22,997.97	24,959.32	28,658.97	33,877.60	41,355.00	7,477.40	22.07	

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्न कारणों को सूचित किया:

**वाणिज्य कर/वैट:** केन्द्रीय बिक्री कर का अधिक संग्रह होने के कारण वृद्धि हुई थी।

**राज्य आबकारी:** “देशी मदिरा,” “विदेशी मदिरा एवं स्प्रिट” तथा अन्य प्राप्तियों में राजस्व की अधिक वसूली के कारण वृद्धि हुई थी।

**स्टाम्प तथा निबन्धन:** स्टाम्पों के अधिक बिक्री के कारण वृद्धि हुई थी।

**वाहनों पर कर:** राज्य मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वाहनों की बिक्री पर करों की वसूली तथा करों के संग्रह के कारण वृद्धि हुई थी।

**माल एवं यात्रियों पर कर:** सड़क मार्ग द्वारा परवहित मालों पर करों की कम वसूली एवं उत्तर प्रदेश परिवहन राहत कोष में कम धनराशि के हस्तान्तरण के कारण कमी हुई थी।

**भू-राजस्व:** नियत प्रभारों के संग्रह, नियत बकायों की वसूली तथा भू-राजस्व/करों इत्यादि के वर्तमान मौग के कारण वृद्धि हुई थी।

अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2011)।

**1.1.3** निम्नलिखित सारणी वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

क्र म सं०	राजस्व शीर्ष							(₹ करोड़ में)	
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2009-10 के सन्दर्भ में 2009-10 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	2009-10 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतत	
1.	विविध सामान्य सेवायें	2,281.23	1,153.53	1,698.79	8075.13	5,120.67	(-)2,954.46	(-)36.59	
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	828.86	1,247.84	963.87	603.66	689.32	(+) 85.66	14.19	
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	212.37	294.80	271.92	271.29	280.34	(+) 9.05	3.34	
4.	मध्यम सिंचाई	143.29	319.43	260.91	240.21	148.62	(-) 91.59	(-)38.13	
5.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	814.96	1,217.62	1,080.61	2339.86	2,614.11	(+) 274.25	11.72	
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	99.71	146.10	145.04	147.19	374.46	(+) 227.27	154.41	
7.	अलौह धातु उत्थनन एवं धातुमय उद्योग	345.34	395.20	427.31	604.97	653.39	(+) 48.42	8.00	
8.	पुलिस	209.60	147.17	160.78	119.34	177.13	(+) 57.79	48.42	
9.	क्राप हस्बेन्टी	33.96	51.03	49.64	37.60	42.18	(+) 4.58	12.18	
10.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	15.77	19.73	34.06	39.69	49.56	(+) 9.87	24.87	
11.	यिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	62.67	72.11	618.84	94.35	101.35	(+) 7.00	7.42	
12.	लघु सिंचाई	33.02	31.41	31.65	25.26	36.00	(+) 10.74	42.52	
13.	सड़क एवं सेतु	58.83	74.24	60.69	87.10	98.51	(+) 11.41	13.10	
14.	लोक निर्माण	26.59	34.03	57.52	72.80	69.45	(-)3.35	(-)4.60	
15.	सहकारिता	7.02	6.33	26.46	16.39	9.38	(-)7.01	(-)42.77	
16.	अन्य	1,359.42	605.44	878.46	826.25	711.74	(-)114.51	(-)13.86	
योग		6,532.64	5,816.01	6,766.55	13,601.09	11,176.21	(-)2,424.88	(-)17.83	

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2011)।

## 1.2 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग के प्रत्युत्तर

### 1.2.1 राज्य सरकार के हितों के संरक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जवाबदेही लागू करने में विफलता

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहारों की नमूना जाँच और रखे गये महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के सत्यापन हेतु महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश (ए0जी0) द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए जब स्थल पर समाधान नहीं हो पाता, तो निरीक्षण कार्यालयों के अध्यक्षों सहित उनके उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आपत्तियों पर कमियाँ एवं त्रुटियों को सुधार कर कार्यालयाध्यक्षों/शासन के प्रारम्भिक उत्तर के साथ अनुपालन आख्या महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

दिसम्बर 2010 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की हमारी समीक्षा से पता चला कि जून 2011 के अन्त तक 10,349 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित

₹ 4,445.39 करोड़ धनराशि के 25,501 प्रस्तर लम्बित थे साथ ही साथ विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दर्शाये गये हैं:

क्रम सं०		2009	2010	2011
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8,547	9,287	10,349
2.	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	20,222	22,484	25,501
3.	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	4,559.97	3,757.81	4,445.39

30 जून 2011 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ एवं सन्निहित धनराशि का विभागवार विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

क्रम सं०	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं
1.	व्यापार कर/वैट, प्रवेश कर सहित	3,369	12,047	1,839.35	1984-85 से 2010-11
2.	राज्य आबकारी	868	1,436	507.19	1984-85 से 2010-11
3.	भू-राजस्व	565	809	28.09	1987-88 से 2010-11
4.	माल तथा यात्री वाहनों पर कर	921	2,582	234.49	1984-85 से 2010-11
5.	लोक निर्माण	471	931	64.78	1986-87 से 2010-11
6.	सिंचाई	350	749	108.52	1984-85 से 2010-11
7.	गन्ने के क्रय पर कर	97	112	54.29	1985-86 से 2010-11
8.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2,433	4,252	204.34	1984-85 से 2010-11
9.	कृषि	182	309	22.22	1985-86 से 2010-11
10.	विद्युत शुल्क	172	210	166.15	1988-89 से 2010-11
11.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	105	179	19.77	1991-92 से 2010-11
12.	सहकारिता	93	114	5.97	1985-86 से 2010-11
13.	मनोरंजन कर	114	199	7.28	1997-98 से 2010-11
14.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	116	480	10.40	2002-03 से 2010-11
15.	वानिकी एवं वन्य जीवन	490	1,089	1,172.53	2003-04 से 2010-11
16.	कारागार	3	3	0.02	2002-03 से 2010-11
योग		10,349	25,501	4,445.39	

निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी मात्रा में अनिर्णीत यह इंगित करता है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित कमियाँ, त्रुटियाँ तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष असफल रहे।

शासन को लेखापरीक्षा आपत्तियों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर हेतु एक प्रभावकारी प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए साथ ही साथ निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों का उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/लम्बित मांगों की वसूली में विफल रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने की हम अनुशंसा करते हैं।

### 1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तरों के निराकरण की प्रगति, अनुश्रवण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार ने विभिन्न अवधियों के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

विभाग का नाम	सम्पन्न बैठकों की संख्या	विचारार्थ प्रस्तरों की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	26	607	298	2.36
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	4	814	399	5.99
राज्य आबकारी	9	766	282	36.19
माल तथा यात्री वाहनों पर कर	2	988	410	9.31
<b>योग</b>	<b>41</b>	<b>3,175</b>	<b>1,389</b>	<b>53.85</b>

अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियाँ नियमित रूप से मिलें और निस्तारण के लिये लम्बित सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

### 1.2.3 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर सभी विभागों को छः सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने के लिये वित्त विभाग ने निर्देश निर्गत किये थे। आलेख प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिये अनुरोध करते हुए महालेखाकार के माध्यम से हमने अर्द्ध शासकीय पत्र भेजे। विभाग से उत्तर न प्राप्त होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्तरों के अन्त में निश्चित रूप से दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में सम्मिलित 38 आलेख प्रस्तर तथा दो समीक्षाओं को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से जुलाई 2011 तथा अक्टूबर 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था। सम्बन्धित विभाग के सचिवों ने दो समीक्षाओं के विरुद्ध उत्तर भेजा है, जबकि आलेख प्रस्तरों के विरुद्ध मात्र राज्य आबकारी और स्टाम्प तथा निबंधन विभागों से उत्तर प्राप्त किया गया। अन्य विभागों के आलेख प्रस्तरों को शासन के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

### 1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तरवर्ती – सारांश

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति (लो०ले०स०) द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों, विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 95 प्रस्तरों/समीक्षाओं को, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, 43 आलेख प्रस्तरों/समीक्षाओं पर कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणी

अक्टूबर 2011 तक हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2005–06 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण नीचे दर्शाया गये हैं:

प्रतिवेदन का वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं	प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं
2005–06	25 जनवरी 2007	21	18	3
2006–07	15 फरवरी 2008	24	12	12
2007–08	17 फरवरी 2009	16	14	2
2008–09	28 जनवरी 2010	13	8	5
2008–09 (राज्य आबकारी पर स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट)	05 अगस्त 2011	1	0	1
2009–10	08 अगस्त 2011	20	0	20
योग		95	52	43

### 1.2.5 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 3557.83 करोड़ के अवनिर्धारण, करों के कम आरोपण/अनारोपण, राजस्व क्षति, मांग सृजित करने में असफलता आदि के मामले प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों द्वारा अक्टूबर 2011 तक ₹ 950.51 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की गयीं और ₹ 15.78 करोड़ की वसूली की गई। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनवार स्वीकार किये गये मामले तथा की गयी वसूली का विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	(₹ करोड़ में) वसूल की गयी धनराशि
2005–06	906.66	7.91	2.39
2006–07	92.18	1.74	0.37
2007–08	1,035.85	927.83	12.83
2008–09	109.07	4.26	0.03
2008–09 (राज्य आबकारी पर स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट)	1,344.56	--	--
2009–10	69.15	8.77	0.16
योग	3,557.83	950.51	15.78

स्वीकार की गयी मामलों में वसूली अत्यधिक कम है (1.66 प्रतिशत)।

स्वीकृत मामलों में शीघ्र वसूली के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

### 1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में, एक विभाग से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी समीक्षाओं तथा प्रस्तरों पर शासन/विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.3.1 से 1.3.2.2 में स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस विभाग के निष्पादन पर विगत पाँच वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामले एवं वर्ष 2005–06 से 2009–10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा की गयी है।

### 1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

पिछले पाँच वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और मार्च 2011 तक की उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरभिक रहतिया			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्तिम रहतिया		
	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि
2005-06	1518	2756	271.21	153	198	3.46	6	7	0.02	1665	2947	274.65
2006-07	1665	2947	274.65	148	213	4.36	3	4	--	1810	3156	279.01
2007-08	1810	3156	279.01	140	222	7.59	29	108	0.69	1921	3270	285.91
2008-09	1921	3270	285.91	267	437	10.74	335	446	2.96	1853	3261	293.69
2009-10	1853	3261	293.69	394	642	14.96	39	60	0.32	2208	3843	308.33

वर्ष 2009–10 के दौरान दो आडिट कमेटी बैठकों में 19 प्रस्तरों में निहित धनराशि ₹ 7.00 लाख को निस्तारित किये गये और वर्ष 2010–11 में चार आडिट कमेटी बैठकों में 399 प्रस्तर में निहित धनराशि ₹ 5.99 करोड़ को निस्तारित किये गये थे।

### 1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन

#### 1.3.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों की स्थिति, इसमें से विभाग द्वारा स्वीकार किये गये तथा वसूली की धनराशि का विवरण निम्नवत दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की धनराशि	स्वीकार प्रस्तरों की संख्या	स्वीकार प्रस्तरों की धनराशि	वर्ष के दौरान वसूल धनराशि	स्वीकार मामलों की वसूली का क्यूमिलेटिव स्थिति
2005-06	3	0.66	--	--	--	--
2006-07	3	0.65	--	--	--	--
2007-08	1 (समीक्षा)	87.09	1	50.53	--	--
2008-09	1	4.05	--	--	--	--
2009-10	2	0.69	--	--	--	--

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण यह दर्शाता है कि स्वीकार किये गये प्रस्तरों की प्रतिशतता और उनकी धनराशि बहुत कम है। वसूली की धनराशि स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि के सापेक्ष शून्य है।

हम अनुसंशा करते हैं कि विभाग कम से कम स्वीकृत प्रस्तरों में सन्निहित धनराशियों की वसूली सुनिश्चित करें।

### 1.3.2.2 शासन/विभागों द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

हमारे द्वारा सम्पादित आलेख निष्पादन समीक्षायें, शासन/सम्बन्धित विभागों को सूचना के लिए एवं उनके उत्तर देने के अनुरोध के साथ अग्रसारित किये गये हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिये समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय शासन/विभागों के विचार समिलित किये गये एवं समापन विचार गोष्ठी में भी इन समीक्षाओं पर चर्चा की गयी।

पिछले पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वाणिज्य कर विभाग पर समीक्षाओं में मुख्य रूप से दिखाये गये मामलों पर की गयी सिफारिशों और विभाग द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर कृत कार्यवाही के विवरण समिलित करते हुए नीचे दर्शायें गये हैं:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	समीक्षा का नाम	संस्कृतियों की संख्या	स्वीकार संस्कृतियों का विवरण
2007-08	सम्पत्ति तथा विभिन्न प्रकृति के विलेखों के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किये जाने में कमियाँ	5	4

इन प्रतिवेदनों में दी गयी सिफारिशों पर विभाग ने अभी तक की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया है।

### 1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पिछली रुझान, अन्य मापदण्डों एवं राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन, शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामलें जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों में अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूपरेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव समिलित रहता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 3,300 इकाइयाँ लेखापरीक्षा हेतु शामिल करने योग्य थीं जिसमें से 1,882 इकाइयाँ योजना बद्ध की गई और 1,682 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जो कुल योजनाबद्ध इकाइयों का 89.37 प्रतिशत था जैसा कि निम्न सारिणी में दर्शाया गया है:

क्रम सं०	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों की संख्या	योजनाबद्ध की गयी इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	बकाये इकाइयों	योजनाबद्ध इकाइयों के सापेक्ष लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रतिशतता
1.	व्यापार कर	1420	997	-	892	105
2.	राज्य आबकारी आसवनियों सहित	335	236	190	46	80.51
3.	मोटर वाहन कर	71	71	71	--	100.00
4.	सहकारिता	61	--	--	--	--
5.	कृषि	122	--	--	--	--
6.	भोजन एवं सिविल आपूर्तियाँ	61	--	--	--	--
7.	मनोरंजन कर	71	36	32	04	88.89
8.	लोक निर्माण विभाग	70	24	18	06	75.00
9.	स्टाम्प एवं पंजीयन	347	347	329	18	94.81
10.	भू—राजस्व	301	10	09	01	90.00
11.	सिंचाई	75	25	21	04	84.00
12.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	76	25	19	06	76.00
13.	विद्युत शुल्क	80	--	--	--	--
14.	कारागार	30	--	--	--	--
15.	ब्याज प्राप्तियाँ	31	11	07	04	63.64
16.	जिला खनन कार्यालय	36	12	11	01	91.67
17.	वानिकी एवं वन्य जीवन	113	88	83	05	94.32
	योग	3,300	1,882	1,682	200	89.37

उपरोक्त लेखापरीक्षा अनुपालन के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर प्रशासन के प्रभावोत्पादकता की जाँच के लिये दो निष्पादन समीक्षायें भी ली गयी थीं।

### 1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### 1.5.1 वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2010–11 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों, वन एवं अन्य विभागीय कार्यालयों के 1,682 इकाइयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में 4,425 मामलों से सम्बन्धित ₹ 682.45 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम कर/राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 913 मामलों में ₹ 10.11 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये गये जिनमें 42 मामलों में ₹ 10.86 लाख के वर्ष 2010–11 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान 625 मामलों में ₹ नौ करोड़ की वसूली की गयी।

### 1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में “अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा—पत्रों का उपयोग तथा मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण” पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 33 आलेख प्रस्तर जो कर के अनारोपण/कम आरोपण, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित हैं जिनमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 100.50 करोड़ है। शासन/विभागों ने ₹ 17.09 करोड़ की धनराशि की आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 71.84 लाख की वसूली की गयी। शेष मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2011)। ये मामले अध्याय-II से VI में वर्णित किये गये हैं।

## अध्याय-II

### वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर

#### 2.1 कर प्रशासन


व्यापार कर (व्या०क०) राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है (दिसम्बर 2007 के पश्चात् इसे वाणिज्य कर के रूप में जाना गया) जो कि वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व (₹ 41,355 करोड़) के 60.06 प्रतिशत अंश (₹ 24836.52 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। वाणिज्य कर का आरोपण, 31 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ०प्र०व्या०क०अधि०) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों, तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (उ०प्र० वैट अधिनियम) 1 जनवरी 2008 से प्रभावी, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के आरोपण का विनियमन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के०बि०क०अधि०), के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। वाणिज्य कर विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन कमिश्नर वाणिज्य कर (क०वा०क०) में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उनकी सहायता के लिए एडीशनल कमिश्नर, ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा०क०), डिप्टी कमिश्नर (डि०क०), असिस्टेन्ट कमिश्नर (अ०क०) एवं वाणिज्य कर अधिकारी (वा०क०अ०) हैं।

#### 2.2 प्राप्तियों का रुझान

विगत वर्षों 2006-07 से 2010-11 की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ समान अवधि में व्यापार कर/वैट की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्नलिखित तालिका और बार डाईग्राम में दर्शाया गया है:

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता कमी (-)/आधिक्य (+)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	(₹ करोड़ में)	
						कुल प्राप्तियाँ में वाणिज्य कर/वैट प्राप्तियाँ का प्रतिशत	
2006-07	14,528.00	13,278.82	(-) 1,249.18	(-) 8.60	60,599.52	21.91	
2007-08	17,314.10	15,023.10	(-) 2,291.00	(-) 13.23	68,672.47	21.88	
2008-09	19,705.00	17,482.05	(-) 2,222.95	(-) 11.28	77,830.73	22.46	
2009-10	20,741.27	20,825.18	(+) 83.91	(+) 0.40	96,420.95	21.60	
2010-11	26,978.34	24,836.52	(-) 2,141.82	(-) 7.94	1,11,183.76	22.34	



### 2.3 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को ₹ 16,665.41 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 11,804.32 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित था। वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के लम्बित राजस्व बकाये के विवरण निम्न तालिका में वर्णित हैं:

वर्ष	बकाया का आरभिक रहतिया	वर्ष के दौरान संग्रहित धनराशि	बकाया का अन्तिम रहतिया (₹ करोड़ में)
2006-07	8,456.33	6,113.24	14,569.19
2007-08	14,569.19	3,487.63	11,081.94
2008-09	11,081.94	4,307.91	15,389.85
2009-10	15,389.85	1,063.45	16,453.30
2010-11	16,453.30	1,350.97	16,665.41

विभाग ने बताया कि ₹ 1,211.60 करोड़ के भू-राजस्व के बकाये की वसूली के लिये प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किये गये, ₹ 2,429.15 करोड़ न्यायालय एवं शासन द्वारा स्थगित किये गये, ₹ 468.39 करोड़ की बकाया की वसूली सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभागों से थे, ₹ 948.97 करोड़ की वसूली प्रमाणपत्र दूसरे राज्यों से सम्बन्धित थे, राज्य के ट्रान्सपोर्टरों पर ₹ 69.32 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र थे, ₹ 1342.74 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित हैं, तथा ₹ 10195.24 करोड़ की शेष बकाया धनराशि विभागीय कार्यवाही हेतु लम्बित थे।

### 2.4 प्रति व्यापारी वैट लागत

प्रति व्यापारी वैट पर वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि में आयी लागत का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रति व्यापारी लागत (₹ में)
2008-09	5,79,900	17,482.05	272.54	4,699.78
2009-10	5,75,434	20,825.18	358.43	6,228.86
2010-11	5,94,695	24,836.52	391.45	6,582.37

## 2.5 कर निर्धारण हेतु बकाये मामले

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में बताये गये वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त अतिरिक्त मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

वर्ष	प्रारम्भिक रहतिया	कर निर्धारण हेतु मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले
2006-07	5,41,109	6,00,531	11,41,640	5,64,532	5,77,108 <sup>1</sup>
2007-08	5,76,968	6,19,710	11,96,678	2,58,011	9,38,667
2008-09	9,38,667	5,33,358	14,72,025	9,50,313	5,21,712
2009-10	5,21,712	1,83,378	7,05,090	6,92,704	12,386
2010-11	12,386	5,44,458	5,56,844	5,50,802	6.042

विभाग को बकाया कर निर्धारण मामलों का निर्धारित समय सीमा में पूरा करना आवश्यक है।

## 2.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान व्यापार कर/वैट प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह और सकल संग्रह पर हुये व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ पिछले वर्ष में सकल संग्रह पर हुये व्यय की प्रासंगिक अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर संग्रह की लागत का प्रतिशतता	(₹ करोड़ में) पिछले वर्ष की अखिल भारतीय प्रतिशतता
वाणिज्य कर	2008-09	17,482.05	272.54	1.56	0.83
	2009-10	20,825.18	358.43	1.72	0.88
	2010-11	24,836.52	406.65	1.64	0.96

स्त्रोत: वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे एवं विभागीय ऑकड़ों के अनुसार।

इस प्रकार, सभी तीन वर्षों में संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

शासन को संग्रह लागत कम करने हेतु उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है।

## 2.7 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

विगत पाँच वर्षों की अवधि (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन ऑकड़ों को छोड़कर) तक, हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कर का अनारोपण/कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, कर के कम आरोपण/निर्धारण से राजस्व हानि, गलत करमुकित, कर योग्य टर्नओवर का छिपाव, कर की गलत दर का लागू किया जाना, गणना की त्रुटि तथा अन्य अनियमितताओं से ₹ 1,569 करोड़ के कर के 8,605 मामले प्रकाश में लाये गये, जिसमें विभाग/शासन ने 970 मामलों में ₹ 15.05 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा 366 मामलों में ₹ 1.63 करोड़ राजस्व की वसूली किया गया था, विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

<sup>1</sup> 31 मार्च 2007 का अन्तिम बकाया, 1 अप्रैल 2007 के प्रारम्भिक बकाया से मिलान नहीं करता है।

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की सं0	धनराशि	मामलों की सं0	धनराशि	मामलों की सं0	धनराशि
2005-06	411	1,169	161.29	47	1.45	6	0.11
2006-07	473	1,548	74.60	38	0.36	6	0.02
2007-08	489	1,210	1,191.14	124	0.51	114	0.46
2008-09	591	1,967	64.65	202	5.60	128	0.68
2009-10	685	2,711	77.32	559	7.13	112	0.36
योग	2649	8,605	1,569.00	970	15.05	366	1.63

## 2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010–11 के अवधि में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर का कम आरोपण/अनारोपण, माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की त्रुटिपूर्ण दर के फलस्वरूप कर का कम आरोपण/अनारोपण, कर की अनियमित करमुक्ति, आदि के कारण ₹ 94.73 करोड़ के 2,648 मामले उद्घाटित हुए जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

क्रम सं0	श्रेणियाँ	(₹ करोड़ में)	
		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों का उपयोग (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	01	24.45
2.	अर्थदण्ड/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण	749	18.41
3.	कर का कम आरोपण/अनारोपण	256	5.87
4.	कर से अनियमित कर मुक्ति का दिया जाना	610	11.28
5.	माल की दर का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	556	5.79
6.	माल का गलत वर्गीकरण	53	0.96
7.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएं	28	0.26
8.	गणना की त्रुटि	30	0.63
9.	टर्नओवर पर कर लगाने से छूट जाना	21	2.30
10.	अन्य अनियमिततायें	344	24.78
योग		2,648	94.73

वर्ष 2010–11 के दौरान विभाग ने 436 मामलों में ₹ 1.63 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 9.61 लाख के 40 मामले वर्ष 2010–11 में इंगित किये गये तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग ने वर्ष 2010–11 के अवधि में 148 मामलों में ₹ 52.51 लाख की वसूली की गयी, जिनमें से ₹ 5.89 लाख के 13 मामले वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

“अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों का उपयोग” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 85.73 करोड़ के कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा के मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

## 2.9 अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा-पत्रों का उपयोग

### प्रमुख अंश

- अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान अनुमन्य कर मुक्ति एवं कर में दी गयी छूट के ऑकड़ों के संकलन के अभाव में कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 के दौरान, जो राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, उसकी गणना नहीं की जा सकती।

(प्रस्तर 2.9.8)

- घोषणा पत्रों की सुरक्षा, निर्गमन एवं फार्मों के स्टॉक के सत्यापन की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण फार्मों के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(प्रस्तर 2.9.9)

- अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों के विवरण को टिनएक्सिस वेबसाइट में न डालने के कारण ऑन लाइन क्रास वेरीफिकेशन संभव नहीं है।

(प्रस्तर 2.9.10)

- फर्जी फार्मों के प्रयोग/केन्द्रीय बिक्री को कम/अधिक प्रदर्शित करने के कारण ₹ 95.04 लाख का कर आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.9.16)

- माल की अनियमित खरीद के कारण ₹ 16.93 करोड़ के कर की अनियमित कर मुक्ति प्रदान की गयी।

(प्रस्तर 2.9.18)

- प्रान्त बाहर से माल के अनधिकृत खरीद पर ₹ 30.42 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.9.22)

### 2.9.1 प्रस्तावना

अन्तर्राज्यीय बिक्री पर, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, सपठित केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियमावली 1957 {के०बि०क०(आर०एण्ड टी०)नियमावली} के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (के०बि०क०) आरोपित किया जाता है। माल का प्रेषण जिस स्थान से होता है वहाँ की राज्य सरकार द्वारा कर को एकत्रित करके रखा जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी से यह अपेक्षित है कि पंजीयन के समय राज्य के अन्दर अपने व्यवसाय के सभी स्थान तथा दूसरे राज्यों में अपनी शाखाओं के विवरण को घोषित करें।


#### फार्म सी

के०बि०क० अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान एक पंजीकृत क्रेता व्यापारी को उसके पंजीयन प्रमाण पत्र में वर्णित विभिन्न माल को बेचता है, तो ऐसे टर्नओवर पर यदि बिक्री फार्म सी की घोषणा से आच्छादित है, तो वह चार प्रतिशत की रियायती दर से कर के भुगतान का दायी होगा (दिनांक 1.4.2007 से तीन प्रतिशत और दिनांक 1.6.2008 से दो प्रतिशत) अन्यथा 10 प्रतिशत या स्थानीय कर की दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय होता है। दिनांक

1.4.2007 से ऐसी अन्तर्राज्यीय बिक्री पर, जो घोषणा पत्रों से आच्छादित नहीं है, सम्बन्धित माल के स्थानीय कर की दर के अनुसार कर देय होगा।

उदाहरणस्वरूप फार्म सी से आच्छादित अन्तर्राज्यीय सम्बन्धित कर की दर के अनुसार कर देय होगा।

### फार्म सी




केंद्रीय अधिनियम, 1972 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, एक पंजीकृत व्यापारी बिक्री के अतिरिक्त, यदि प्रान्त बाहर किसी अन्य व्यापारिक स्थल पर माल भेजता है अथवा दूसरे प्रान्त में अपने एजेन्ट अथवा प्रिन्सिपल को अपना माल प्रेषण के साक्ष्य के साथ भेजता है तो व्यापार के अन्य स्थान के अपने एजेन्ट अथवा प्रिन्सिपल, जैसी भी स्थित हो, द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधिवत भरे हुए फार्म एफ को प्रस्तुत करने पर उसे कर से मुक्ति प्राप्त होती है। मई 2002 तक फार्म एफ की घोषण को दाखिल करना अनिवार्य नहीं था। अधिनियम में यह प्रावधान है कि कर निर्धारण प्राधिकारी, जैसा वह आवश्यक समझे, अपनी सन्तुष्टि के लिये माल के अन्तरण के सम्बन्ध में सेल पट्टी, प्रेषण का विवरण, वे बिल आदि की आवश्यक जाँच पड़ताल कर लें। नियमानुसार एक फार्म एफ से केवल एक माह के सम्बन्धित ही आच्छादित होने चाहिये।

केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के गलत कृत्यों जैसे टर्नओवर को छिपाना, झूठे लेखों को बनाना एवं प्रस्तुत करना, झूठे अथवा गलत प्रमाणपत्रों अथवा घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करना, कर एवं विवरणी को समय से दाखिल न करने पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम) के दण्डात्मक प्रावधान, अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के मामलों में भी लागू होते हैं। अग्रेतर, केंद्रीय अधिनियम के अन्तर्गत अनधिकृत रूप से माल की खरीद हेतु दण्डात्मक प्रावधान हैं।

उदाहरणस्वरूप फार्म सी से आच्छादित अन्तर्राज्यीय सम्बन्धित कर की दर के अनुसार कर देय होगा।

## फार्म-एफ



कोबिनो अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी कर मुक्ति एवं रियायत का लाभ दिये जाने की विशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये हमने यह निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पादित की। समीक्षा के दौरान व्यवस्था एवं अनुपालन की कई कमियाँ प्रकाश में आयी जिनकी चर्चा नीचे दिये गये प्रस्तरों में की गयी है।

### 2.9.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासकीय स्तर पर योजना का निर्धारण, नियन्त्रण एवं अनुश्रवण का कार्य प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर-मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश, द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण रूप से नियन्त्रण एवं निर्देशन का कार्य, कमिशनर वाणिज्य कर (कोवाओको) उत्तर प्रदेश के पास है जिनका मुख्यालय लखनऊ है। मुख्यालय स्तर पर एडिशनल कमिशनर, ज्वाइंट कमिशनर (ज्वाओको), डिप्टी कमिशनर (डिओको) तथा असिस्टेंट कमिशनर (ओको) द्वारा उन्हें उनके कार्य में सहयोग दिया जाता है। ज्वाओको (फार्मस) विभिन्न प्रकार के फार्मों के मुद्रण एवं वितरण के लिये उत्तरदायी हैं।

अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को ₹ 5 लाख एवं उससे ऊपर की राशि के स्टाक ट्रान्सफर के सम्बन्ध में विधिक फार्मों की प्राप्ति, निर्गमन और प्रयोग की पर्याप्तता, विश्वसनीयता और प्रभावकारिता तथा करापवंचन का पता लगाने की क्या व्यवस्था है।

### 2.9.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पादित की गई कि:-

- अन्तर्राज्यीय बिक्री/स्टाक ट्रान्सफर के सम्बन्ध में विधिक फार्मों की प्राप्ति, निर्गमन और प्रयोग की पर्याप्तता, विश्वसनीयता और प्रभावकारिता तथा करापवंचन का पता लगाने की क्या व्यवस्था है।
- क्या विभाग ने व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के क्रास वेरीफिकेशन के लिये कोई प्रभावकारी व्यवस्था विकसित की है।

- क्या घोषणा पत्रों के आधार पर कर कर मुक्ति/कर में छूट के दावे, उनकी सत्यता और उनके अन्तर्गत बनाये गये अधिनियमों एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सत्यापन के बाद दिये गये हैं।
- क्या राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु फार्म के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण-तंत्र मौजूद है।

#### 2.9.4 लेखा परीक्षा का मापदण्ड

केंद्रीय अधिनियम, केंद्रीयको (आरो ऐण्ड टी) नियमावली और केंद्रीयको (उप्रो) नियमावली के प्रावधानों एवं समय समय पर जारी विभागीय आदेशों एवं परिपत्रों के प्रावधानों के आधार पर अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्धित विवरणों में दी गयी कर मुक्ति/रियायत का विश्लेषण किया गया।

#### 2.9.5 लेखा परीक्षा का उद्देश्य एवं कार्यपद्धति

हमने नवम्बर 2010 और अगस्त 2011 के बीच निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पादित की। लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र केवल फार्म सी एवं एफ तक ही सीमित था। लेखा परीक्षा के प्रथम चरण में हमने नवम्बर 2010 से जनवरी 2011 के मध्य 25 राज्यों<sup>2</sup> के क्रेता व्यापारियों, जो इन राज्यों में स्थित थे, के अभिलेखों से क्रास वेरीफिकेशन हेतु 35 जिलों के 86 कर निर्धारण कार्यालयों से 953 सी फार्म और 736 एफ फार्म के विवरण को संकलित किया। लेखा परीक्षा के द्वितीय चरण में इन राज्यों के द्वारा सत्यापान के पश्चात हमने उत्तर प्रदेश के गलती करने वाले व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों से आपत्तियों की पुष्टि की। अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान प्रयोग किये गये घोषणा पत्रों के मुद्रण एवं वितरण के सम्बन्ध में भी केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय तथा ज्वाला (कार्यपालक) लखनऊ एवं नोयडा के कार्यालयों से सूचनाएं एकत्रित की। नियमित लेखा परीक्षा के दौरान अन्य इकाइयों में पाये गये मामलों को भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

#### 2.9.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचना एवं लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रदान करने के लिए दिये गये सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है। जून 2011 में विभाग के साथ प्रारम्भिक विचार गोष्ठी आयोजित की गयी थी जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्य पद्धति पर चर्चा की गयी थी। निष्पादन लेखा परीक्षा के परिणाम विभाग एवं शासन को सितम्बर 2011 में प्रेषित किये गये। समापन विचार गोष्ठी नवम्बर 2011 में आयोजित की गयी जिसमें वाणिज्य कर के कमिशनर ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। विभाग/शासन की प्रतिक्रिया प्रासंगिक प्रस्तरों में सम्मिलित की गयी है।

<sup>2</sup> आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणीपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल।

## लेखा परीक्षा के निष्कर्ष

### वित्तीय विश्लेषण

#### 2.9.7 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर

बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के प्रावधान के अनुसार बजट बनाने में बजट का उद्देश्य वास्तविक प्राप्तियों एवं अनुमानित प्राप्तियों में यथासम्भव निकटता होनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि बजट अनुमान में न केवल राजस्व एवं प्राप्तियों की सभी मर्दे होनी चाहिए बल्कि पिछले वर्षों के संग्रह हेतु यदि कोई बकाया हो तो उसको भी सम्मिलित करना चाहिए।

मुख्य लेखा शीर्ष 0040— बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अन्तर्गत लघु शीर्ष 101— केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित राजस्व संग्रह का लक्ष्य तथा वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 के लिए वास्तविक संग्रह का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर कम (-)/ अधिक (+)	अन्तर का प्रतिशत (कालम 2 से 3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006-07	1120.00	689.00	(-)431	(-)38.48
2007-08	1350.00	1385.00	(+)35	(+)2.59
2008-09	1200.00	1438.00	(+)238	(+)19.83
2009-10	1574.00	1398.00	(-)176	(-)11.18
2010-11	1761.00	1968.00	(+)207	(+)11.75

स्रोत: बजट अनुमान एवं वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2006-07 और 2010-11 के दौरान असामान्य अन्तर था। बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच का अन्तर क्रमशः (–) 38.48 और 19.83 प्रतिशत रहा।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को सितम्बर 2011 में इंगित किये जाने पर विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि 2006-07 के दौरान आँकड़ों के पुनर्मिलान न होने के कारण अन्तर है। यह बताया गया कि 2006-07 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत वास्तविक संग्रह ₹ 1206.63 करोड़ था जबकि वित्त लेखों के अन्तर्गत ₹ 689 करोड़ की प्राप्तियाँ प्रदर्शित की गयी, परन्तु विभाग ने यह नहीं बताया कि उसका पुनर्मिलान किस प्रकार किया जायेगा। अग्रेतर, 2010-11 के दौरान अन्तर के सम्बन्ध में बताया गया कि टाटा मोटर्स लखनऊ के द्वारा वाहनों की एवं हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा लड़ाकू विमानों के पुर्जों की भारी बिक्री की गयी जो कि आमतौर पर प्रत्येक वर्ष नहीं होती है।

## पद्धति की कमियाँ

### 2.9.8 करमुकित और कर में छूट के आँकड़ों का संकलन न किया जाना

के0बि0क0 अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कुछ शर्तों को पूरा करने पर विभाग द्वारा कर मुक्ति और कर में छूट प्रदान की जाती है। अतः महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने हेतु यह आवश्यक है कि व्यापारियों को दी गयी कर मुक्ति/कर में छूट के एक विश्वसनीय आँकड़े तैयार किये जायें।

सकती है।

हमारा सुझाव है कि के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत करमुकित और कर में प्रदान की गयी छूट के आँकड़े शीर्ष स्तर पर रखे जायें।

### 2.9.9 घोषणा पत्रों का मुद्रण, अभिरक्षा एवं निर्गमन

घोषणा पत्रों के दुरुपयोग, जिससे राजस्व का रिसाव हो सकता है, की सम्भावना न रहे इस हेतु विभाग के लिए यह आवश्यक है कि उनकी समुचित अभिरक्षा, प्राप्ति एवं निर्गमन को सुनिश्चित करें। ज्वा0 क0 (फार्मस) के अधीन फार्म अनुभाग, निविदाओं के आमन्त्रण के पश्चात सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण करके, विभिन्न घोषणा पत्रों के मुद्रण के लिए उत्तरदायी हैं।

हमने देखा कि शासन से स्वीकृति और निविदाओं के आमन्त्रण के पश्चात प्राइवेट सुरक्षा प्रेस से फार्मस मुद्रित कराये जाते हैं क्योंकि राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में अल्ट्रावायलट सुरक्षा, न दिखाई देने वाले महीन धारे, सात अंकों की संख्या, विशिष्ट स्थानी का प्रयोग जिसकी नकल न हो सके और तापमान के अनुसार रंग में परिवर्तन जैसे वांछित सुरक्षात्मक फीचर्स के साथ फार्म के मुद्रण की व्यवस्था नहीं है। विभाग में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कोई ऐसा दल नहीं है जो यह सुनिश्चित कर सके कि प्राइवेट प्रेस द्वारा फार्म उन वांछित सुरक्षात्मक फीचर्स के साथ मुद्रित किये गये हैं जिनके लिए उनसे कहा गया था। प्रेस से अपेक्षित था कि अपने व्यय पर मुद्रित फार्म को नोयडा में रखे और नामित प्राधिकारियों को निर्गत करें।

ज्वा0 क0 (फार्मस) ने 2003–04 से 2007–08 के दौरान फार्म एफ एवं सी के सम्बन्ध में सिरीज नम्बर के साथ मुद्रित फार्मों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की। ज्वा0क0 (फार्मस) ने यह सूचित किया कि इस हेतु नामित दो नोडल अधिकारियों द्वारा (एक लखनऊ में तथा दूसरे नोयडा में) विभिन्न जोन को घोषणा पत्र निर्गत किये जाते हैं। ज्वा0 क0 (कार्यपालक) नोयडा और ज्वा0 क0 (कार्यपालक) लखनऊ क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी जोन को फार्म निर्गत करने के लिए उत्तरदायी हैं परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से जोन पूर्वी जोन के अन्तर्गत आते हैं और कौन से पश्चिमी जोन के अन्तर्गत। अग्रेतर, सम्बन्धित जोन के ज्वा0 क0 (कार्यपालकों) को फार्मों के वितरण के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों को कोई औपचारिक आदेश नहीं भेजे गये हैं।

हमने यह भी देखा कि घोषणा पत्रों की खपत को सुनिश्चित किये बिना ही ज्वा0 क0(कार्यपालक) को फार्मस वितरित किये जाते हैं। मुद्रण के पश्चात जहाँ बड़ी

हमने 16<sup>3</sup> ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) के कार्यालयों से सूचना एकत्रित की और पाया कि कर मुक्ति एवं कर में दी गयी छूट के संबंध में कोई आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं थे। अन्ततः वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान कर मुक्ति एवं कर में छूट दिये जाने के कारण जो राजस्व प्राप्त नहीं हुआ उसकी गणना नहीं की जा सकती है।

<sup>3</sup> ज्वा0क0(कार्यपालक) सम्भाग—ए और बी इलाहाबाद, ज्वा0क0(कार्यपालक) सम्भाग—ए, बी और सी गाजियाबाद, ज्वा0क0(कार्यपालक) सम्भाग—ए, बी और सी कानपुर, ज्वा0क0(कार्यपालक) सम्भाग—ए, बी और सी लखनऊ, ज्वा0क0(कार्यपालक) सम्भाग—ए और बी सहारनपुर, ज्वा0क0(कार्यपालक) सम्भाग—ए, बी और सी वाराणसी।

संख्या में फार्मों को रखा जाता है न तो वहाँ पर और न ही नोडल अधिकारियों के स्तर पर फार्मों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था है।

हमने लखनऊ के नोडल अधिकारी के कार्यालय से सूचना एकत्रित की और देखा कि कार्यालय में जो अभिलेख रखे गये थे उनके अनुसार ऐसे फार्मों के सम्बन्ध में जिन्हें व्यापारियों को देने हेतु सम्बन्धित जोन को दिया गया था, सिरीज नम्बर अंकित नहीं थे।

नोयडा के नोडल अधिकारी ने घोषणा पत्रों की प्राप्ति और वितरण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं बनाया था। जोन को वितरित किये गये फार्म एफ एवं सी के विवरण को मांगने के अनुरोध पर फार्म सी से सम्बन्धित सूचना प्रिन्टिंग प्रेस से संकलित करायी गयी।

हमने देखा कि वितरित किये गये फार्मों के सीरियल नम्बर के सापेक्ष सिरीज नम्बर अंकित नहीं थे। जहाँ तक फार्म एफ से सम्बन्धित सूचना का सम्बन्ध है केवल सम्बन्धित ज्या0 क0(कार्यपालक) को दिये गये कुल फार्मों की संख्या प्रेस द्वारा उपलब्ध करायी गयी परन्तु उसमें सीरियल एवं सिरीज नं0 अंकित नहीं थे। सी फार्म के सम्बन्ध में सिरीज नं0 और एफ फार्म के सम्बन्ध में सीरियल एवं सिरीज नं0 के उपलब्ध न होने के कारण फार्मों के निर्गमन एवं उसके उपयोग की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

सभी मुद्रित फार्मों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने देखा कि मुद्रण के पश्चात् भी फार्मों को प्रेस में ही रखा जाता है और लखनऊ के नोडल अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर पूर्वी जोन की इकाइयों के अधिकारियों के बीच वितरित करने हेतु नोडल अधिकारी को दिया जाता है परन्तु नोयडा के नोडल अधिकारी के मामले में पश्चिमी जोन की इकाइयों को वितरित करने हेतु फार्म की माँग को सीधे प्रेस भेजा जाता है।

नोडल अधिकारी जो फार्मों के वितरण के लिए उत्तरदायी है, उनके कार्यालय में फर्जी, चोरी एवं नष्ट हुए फार्मों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

यह विभाग की फार्मों के वितरण के कमजोर अनुश्रवण एवं प्रबन्धन प्रक्रिया को इंगित करता है।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को सितम्बर 2011 में इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन सं0 जे0सी0/2011-12/1112076/131/सी0टी0 दिनांक 21 नवम्बर 2011 निर्गत किया जिसमें हमारे द्वारा उद्धरित किये गये सभी बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।

## 2.9.10 ऑनलाइन क्रास वेरीफिकेशन

विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के वाणिज्य कर विभाग की सहायता हेतु एवं अन्तर्राजीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान हुए क्रय एवं विक्रय के अनुश्रवण हेतु राज्यों के वित्त-मंत्रियों की अधिकार प्रदत्त समिति ने अन्तर्राजीय सम्बन्धवाहारों से संबंधित सूचना के संग्रह हेतु एक टैक्स इन्फारमेशन इक्सचेंज़ सिस्टम (टिनएक्सिस) नामक वेबसाइट का सृजन किया।

टैक्स इन्फारमेशन इक्सचेंज़ सिस्टम (टिनएक्सिस) भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों के अन्तर्राजीय व्यापारियों के संबन्धवाहर के आदान प्रदान की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था है। टिनएक्सिस विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के वाणिज्य कर विभाग को अन्तर्राजीय व्यापार के प्रभावशाली अनुश्रवण में सहायक होगा।

टिनएक्सिस का प्रयोग किसी व्यापारी द्वारा दूसरे राज्य के किसी ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में सत्यापन हेतु प्रयोग किया जा सकता है जिसके साथ उसका लेनदेन हुआ हो। व्यापारियों के सत्यापन के अतिरिक्त, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ऐसे केन्द्रीय फार्मों के सत्यापन हेतु भी इसका प्रयोग करेंगे जो अन्य राज्यों के वाणिज्य कर विभागों द्वारा जारी किये गये हैं और व्यापारियों द्वारा कर में छूट हेतु उन्हें प्रस्तुत किया गया।

नियमावली के प्रावधानों, सपष्टित कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 21–12–2010 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यापारी ई-रिटर्न दाखिल करेगा चाहे उसका टर्नओवर जो भी हो परन्तु इसके पश्चात भी विभाग द्वारा व्यापारियों के विवरण वेबसाइट पर नहीं डाले जा रहे हैं।

उ0प्र0 के वर्ष 2011 के लिए दिनांक 14–11–2011 को टिनएक्सिस के उपलब्ध ऑकड़े नीचे प्रदर्शित हैं:

The screenshot shows a web-based application titled "Tax Information Exchange System". At the top, there are browser navigation icons and a search bar. On the right, there's a logo for "TIN-E" and the date "10:44 AM, Mon Nov 14, 2011, 10:44:03". Below the header, a message says "Welcome to TIN-E(Tax Information Exchange System) Tax Data Availability for the year 2011 for User Pradeep". A table follows, with columns: SL. No., Table Name, Total Count, and Last Updated Date. The table lists 15 entries, all showing "0" in the Total Count column and "Data not given by state." in the Last Updated Date column.

SL. No.	Table Name	Total Count	Last Updated Date
1	Dealer Main Record	0	Data not given by state.
2	C Form	0	Data not given by state.
3	C Form Utilization	0	Data not given by state.
4	E1 Form	0	Data not given by state.
5	E1 Form Utilization	0	Data not given by state.
6	E2 Form	0	Data not given by state.
7	E2 Form Utilization	0	Data not given by state.
8	F Form	0	Data not given by state.
9	F Form Utilization	0	Data not given by state.
10	H Form	0	Data not given by state.
11	H Form Utilization	0	Data not given by state.
12	Periodic Returns	0	Data not given by state.
13	District Master	0	Data not given by state.
14	Office Master	0	Data not given by state.
15	Commodity Master	0	Data not given by state.

At the bottom, there are "Back" and "View Print" buttons. The status bar at the bottom right shows "EN", "10:44 AM, Mon Nov 14, 2011, 10:44:03" and the date "14/11/11".

हमने वाणिज्य कर कमिश्नर के कार्यालय से सूचनायें एकत्रित की और पाया कि यद्यपि विभागीय सर्वर एवं टिनएक्सिस सर्वर के बीच संबंध स्थापित थे किन्तु घोषणा पत्रों के निर्गमन एवं उपभोग के ऑकड़े टिनएक्सिस वेबसाइट में नहीं डाले जा रहे हैं।

हमारे द्वारा इसे सितम्बर 2011 में विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान कहा कि अभी तक यह कार्य हाथ से किया जा रहा है लेकिन आशा है कि वर्ष के अन्त तक इसे वेबसाइट पर डाल दिया जायेगा।

ऑन लाइन क्रास वेरीफिकेशन हेतु केन्द्रीय फार्मो को टिनएक्सिस वेबसाइट पर डालने के सम्बन्ध में शासन विचार कर सकता है।

### 2.9.11 संदिग्ध व्यापारियों के आँकड़े

करापवंचन को रोकने हेतु अन्तर्राजीय व्यापार एवं वाणिज्य में कर मुक्ति अथवा कर में छूट के माध्यम से करापवंचन करने वाले संदिग्ध व्यापारियों के पूर्व इतिहास के आधार पर धोखेबाजी के मामले/करापवंचन के मामले/ फर्जी फार्मों के प्रयोग आदि की सूची बनाकर संदिग्ध व्यापारियों के आँकड़े तैयार किये जाने चाहिए। सभी सम्बन्धित लोगों की जानकारी हेतु यह आँकड़े वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर आन लाइन उपलब्ध होने चाहिए जिससे न केवल विभाग को संदिग्ध व्यापारियों के इतिहास की जानकारी होगी बल्कि अन्य राज्य भी ऐसे व्यापारियों से सावधान रहेंगे।

हमने वाणिज्य कर विभाग के वेबसाइट की जाँच की और पाया कि विभाग के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात भी संदिग्ध व्यापारियों के ऐसे कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हम सुझाव देते हैं कि संदिग्ध व्यापारियों के सम्बन्ध में ऐसे आँकड़े बनायें जायें और उन्हें विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को सितम्बर 2011 में इंगित किये जाने के पश्चात् समापन विचार गोष्ठी में विभाग ने हमारे सुझाव से सहमति प्रदान की और बताया कि फर्जी प्रतिष्ठानों की एक सूची बनाकर वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

### 2.9.12 विभागीय वेबसाइट का प्रयोग न किया जाना

हमने उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग की विभागीय वेबसाइट (कामटैक्स.यूपी.निक.इन) की जाँच की और पाया कि उस विकल्प में जहाँ व्यापारियों के विवरण पाये जा सकते हैं, कुछ सूचनाएं जैसे करदाताओं की पहचान संख्या, व्यापारियों के नाम, प्रतिष्ठानों के नाम, व्यापारियों का पता, व्यापारियों की स्थिति (सक्रिय/निलम्बित) उपलब्ध थीं यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएं सही हैं, हमने वेबसाइट पर उपलब्ध 150 सक्रिय व्यापारियों के विवरण की जाँच की और पाया कि 18 जिलों<sup>4</sup> के 53 व्यापारी ऐसे थे जिन्हें के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं दिखाया जा रहा था यद्यपि वे व्यापारी के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत थे और वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान अन्तर्राजीय व्यापार एवं वाणिज्य में सी व एफ फार्म जारी करके अपना कारोबार कर रहे थे।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को सितम्बर 2011 में इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में उत्तर दिया कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सूचना प्रेषित न किये जाने के कारण यह सूचना सही नहीं है। अब इसे सुधार करके सही सूचना वेबसाइट पर डाली जायेगी।

विभागीय वेबसाइट अपडेट नहीं है और के0बि0क0 के सक्रिय व्यापारियों को “के0बि0क0 के व्यापारी नहीं” प्रदर्शित किया जा रहा है अतः क्रास वेरीफिकेशन सहित विभिन्न उद्देश्यों हेतु वेबसाइट का प्रयोग नहीं हो रहा है।

हम सुझाव देते हैं कि वेबसाइट पर सही सूचनाएं डाली जायें और समय समय पर सूचनाओं की सत्यता की जाँच की जाये।

<sup>4</sup> आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूँ, बागपत, बलिया, बाराबंकी, बरेली, भद्राही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद।

### 2.9.13 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन संख्या का आवंटन न किया जाना

हमने उस विकल्प को देखा जिसमें व्यापारियों के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और पाया कि व्यापारियों को आवंटित पहचान संख्या (टिन) तो प्रदर्शित है परन्तु कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें व्यापारियों के केन्द्रीय पंजीयन संख्या को डाला जा सके क्योंकि राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्रदत्त समिति<sup>5</sup> द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो राज्य वैट और केंबिंग के पंजीयन के अन्तर्गत अलग अलग टिन का आवंटन करते हैं, अब केवल एक ही टिन को जारी करेंगे परन्तु राज्य अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत केवल एक ही टिन के आवंटन से यह सम्भव नहीं है कि ऐसे व्यापारी की पहचान की जा सके जो केंबिंग के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। केंबिंग की अलग पंजीयन संख्या के अभाव में विभागीय वेबसाइट के माध्यम से दावेदारों (स्टेकहोल्डरों) द्वारा क्रास वेरीफिकेशन सम्भव नहीं है।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को सितम्बर 2011 में इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने उप्रो ३० प्र० वैट अधिनियम और केंबिंग के अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की पहचान के लिए टिन नम्बर के बाद वर्णों को जोड़ने से सम्बन्धित एक आदेश सं 725 / 1112079 / सी०टी० दिनांक 2 दिसम्बर 2011 को जारी किया।

### 2.9.14 व्यवस्था में अपराधक अर्थदण्ड

केंबिंग के अधिनियम के अन्तर्गत, यदि एक पंजीकृत व्यापारी अपने पंजीयन प्रमाणपत्र (प०प्र०) से आच्छादित कोई माल खरीदते समय कोई अयथार्थ तथ्य प्रस्तुत करता है अथवा ऐसे माल का प्रयोग प०प्र० में वर्णित उद्देश्यों से अलग करता है, तो वह अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, प०प्र० जारी करने वाला अधिकारी, अभियोजन के स्थान पर कुछ मामलों में यह मानते हुए कि सम्बवहार निर्धारित घोषणा फार्म सी से समर्थित नहीं है, उस पर देय कर के डेढ़ गुने तक की राशि का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है। अग्रेतर, यदि अपराध लगातार होता रहता है तो केंबिंग के अधिनियम में उस हेतु भी अर्थदण्ड का प्रावधान है। अग्रेतर यदि कर बचाने के उद्देश्य से व्यापारी अपने टर्नओवर को छिपाता है अथवा जानबूझ कर अपने टर्नओवर का विवरण गलत प्रस्तुत करता है अथवा गलत लेखे या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करता है अथवा जाली फार्म प्रस्तुत करता है अथवा निर्धारित फार्म को किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो उपरोक्त वर्णित अपराध हेतु उप्रो ३० प्र० वैट अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधान केंबिंग के मामलों में भी लागू होते हैं।

प्रावधान नहीं है।

हम सुझाव देते हैं कि सतत चूक कर्ताओं के लिए राज्य अधिनियम में कठोर एवं सख्त प्रावधानों को डाला जा सकता है।

हमने देखा कि यद्यपि केंबिंग के अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधान अनिवार्य हैं परन्तु केंबिंग के विवेक पर यह छोड़ दिया गया है कि चाहे वह अभियोजन की कार्यवाही करे अथवा अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना लगायें। अग्रेतर उप्रो ३० प्र० वैट अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधान ऐसे मामलों में भी जहाँ व्यापारिक अपराध गम्भीर प्रकृति के हैं, विवेकाधीन है। उप्रो ३० प्र० वैट अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन का कोई

<sup>5</sup> सं. 14 / ४ ई सी / टिनएक्सेस / 2005 दिनांक 20 सितम्बर 2005।

## अनुपालन की कमियाँ

### 2.9.15 बढ़ा कर दिखाये गये दावों/फर्जी फार्मों के प्रयोग के कारण अनियमित करमुक्ति

#### डिक्टो-14 गाजियाबाद

केबिको 0 अधिनियम की धारा-6 ए के अनुसार यदि एक व्यापारी दावा करता है कि वह किसी माल के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत इस आधार पर कर अदा करने का जिम्मेदार नहीं है क्योंकि एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल का संचलन उसके द्वारा यथास्थित उसके कारोबार के किसी अन्य स्थान को या उसके अभिकर्ता या प्रिन्सिपल को ऐसे माल के अन्तरण के कारण, न कि विक्रय के कारण हुआ था, वहाँ यह सिद्ध करने का दायित्व कि उस माल का संचलन इस भाँति हुआ था, व्यापारी पर होगा और इस प्रायोजन के लिए वह यथास्थित प्रेषिती द्वारा सम्यक रूप से भरे गये और हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र एफ, माल के भेजने के साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करके कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अग्रेतर, कमिशनर, वाणिज्य कर ने अक्टूबर 2004 के अपने परिपत्र में विओशा० के द्वारा विभिन्न जोनों से माल के अन्तरण के सत्यापन का कार्य सौंपा था। प्रत्येक विओशा० की इकाई उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विशेष राज्य/केन्द्र शासित राज्यों को ₹ 5 लाख एवं उससे अधिक के माल के अन्तरण के सत्यापन के लिए उत्तरदायी है।

मुक्ति के दावे की सत्यता को सुनिश्चित करने हेतु हमने मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग को फार्मों का विवरण भेजा। मध्य प्रदेश से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी पाँचों मामलों में मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारी को फार्म जारी नहीं किये थे। इससे सिद्ध होता है कि व्यापारी द्वारा प्रयुक्त फार्म फर्जी थे तथा फर्जी फार्मों का प्रयोग करके व्यापारी ने ₹ 1.27 करोड़ की कर मुक्ति का लाभ लिया। इस प्रकार व्यापारी छूट का हकदार नहीं था तथा ₹ 1.27 करोड़ के कर के साथ ₹ 2.54 करोड़ के अधिकतम अर्थदण्ड के लिए भी दायी था।

**2.9.15.2** हमने वाणिज्य कर विभाग के तीन कर निर्धारण कार्यालयों में देखा कि वर्ष 2007-08 के दौरान तीन व्यापारियों ने फार्म एफ के विरुद्ध ₹ 3.75 करोड़ के माल का अन्तरण किया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण के समय ₹ 45.82 लाख की कर मुक्ति अनुमन्य की। कर मुक्ति की अनुमन्यता की सत्यता की जाँच के अनुक्रम में हमने प्रेषिती व्यापारियों से सम्बन्धित कार्यालयों से विवरणों का सत्यापन किया और पाया कि प्रेषिती कार्यालयों में केवल ₹ 2.61 करोड़ का ही माल प्राप्त हुआ। इस प्रकार कर को बचाने के उद्देश्य से व्यापारी ने ₹ 1.14 करोड़ का अपना प्रेषण अधिक दिखाया। इस प्रकार व्यापारियों पर ₹ 18.86 लाख के कर के अतिरिक्त ₹ 37.72 लाख का अधिकतम अर्थदण्ड भी आरोपणीय था जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

**2.9.15.1** हमने एक व्यापारी की वर्ष 2006-07 की कर निर्धारण पत्रावली में उपलब्ध सूचनाओं के आधार देखा कि व्यापारी ने मध्य प्रदेश के दो व्यापारियों-मेसर्स जैन कं, नीमच (एक फार्म एफ) तथा मेसर्स जय अम्बे ट्रेडिंग कं, पिपलिया मण्डी (चार फार्म एफ) को ₹ 12.73 करोड़ के खादय तेल का हस्तान्तरण किया। सम्ब्यवहार फार्म एफ से आच्छादित था अतः ₹ 1.27 करोड़ की कर मुक्ति अनुमन्य की गयी। प्रदान की गयी कर

क्र0सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष/कर निर्धारण की तिथि	माल का नाम	घोषणा पत्रों के अनुसार माल का मूल्य	क्रेता व्यापारियों के उपभोग प्रमाण पत्र के अनुसार माल का मूल्य	माल के मूल्य में अन्तर	कर की दर	प्रभावित कर	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि	(₹ लाख में)
1	डिओको-13 गाजियाबाद	1	2007-08 26.02.2010	नमकीन	56.31	40.05	16.26	12	1.95	3.9	
2	डिओको-24 कानपुर	1	2007-08 20.03.2009	मोम	72.14	0.79	71.35	20	14.27	28.54	
3	डिओको-1 रामपुर	1	2007-08 31.12.2009	टोनर एण्ड डेवलपर	246.26	219.84	26.42	10	2.64	5.28	
	योग	3			374.71	260.68	114.03		18.86	37.72	

### 2.9.16 केन्द्रीय बिक्री में कम/अधिक धनराशि की घोषणा/फर्जी फार्मों के प्रयोग के कारण कम कर का आरोपण।

#### डिओको-14 गाजियाबाद

केओबिओको 0 अधिनियम की धारा-8 सपष्टित केओबिओको (आरो एण्ड टी०) नियमावली 1957 के नियम 12(1) के अनुसार यदि एक व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान एक पंजीकृत व्यापारी को माल बेचता है तो वह समय समय पर निर्धारित कर या राज्य के अन्दर ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर निर्धारित कर की दर जो भी कम हो, छूट प्राप्त कर सकता है परन्तु शर्त यह है कि ऐसी घोषणा फार्म सी में होगी और एक घोषणा पत्र में केवल एक वित्तीय वर्ष के एक त्रैमास में बिक्री के सभी सम्ब्यवहार आच्छादित होंगे। अग्रेतर, उओप्र०व्या०को 0 अधिनियम 1948 की धारा-15 ए(1)(सी) के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम पर भी लागू होते हैं जो बचाये गये कर की धनराशि के न्यूनतम 50 प्रतिशत लेकिन 200 प्रतिशत से अनाधिक अर्थदण्ड आरोपणीय होता है यदि उसने अपने टर्नओवर को छिपाया है या जानबूझकर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया है।

लाभ लिया। इस प्रकार व्यापारी छूट का हकदार नहीं था तथा ₹ 70 लाख के कर के अतिरिक्त ₹ 1.40 करोड़ के अधिकतम अर्थदण्ड के लिए भी दायी था।

2.9.16.2 हमने वाणिज्य कर विभाग के सात कर निर्धारण कार्यालयों में देखा कि वर्ष 2007-08 के दौरान सात व्यापारियों ने फार्म सी के विरुद्ध ₹ 5.40 करोड़ के माल की बिक्री घोषित की। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण के समय (जनवरी 2010 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य) तीन प्रतिशत की दर से रियायती दर पर कर आरोपित किया। छूट की अनुमन्यता की सत्यता की जांच के अनुक्रम में हमने क्रेता व्यापारी के सम्बन्धित कार्यालयों से फार्म सी के विवरण का सत्यापन किया। सत्यापन के

2.9.16.1 हमने देखा कि एक व्यापारी ने वर्ष 2007-08 के दौरान मध्य प्रदेश के व्यापारी मेसर्स जय अम्बे ट्रेडिंग कं०, पिपलिया को दो फार्म सी के विरुद्ध ₹ 34.88 करोड़ का खाद्य तेल बेचा। मध्य प्रदेश से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों मामलों में फार्म को सम्बन्धित क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा मध्य प्रदेश के व्यापारी को जारी नहीं किया गया था। इससे सिद्ध होता है कि व्यापारी द्वारा प्रयुक्त फार्म फर्जी थे तथा फर्जी फार्म का प्रयोग करके व्यापारी ने ₹ 70 लाख की छूट का

परिणामस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया कि क्रेता व्यापारी ने अपने लेखों में केवल ₹ 97.62 लाख का माल ही लेखांकित किया था। इस प्रकार कर को बचाने के उद्देश्य से व्यापारी ने केन्द्रीय बिक्री का अपना टर्नओवर ₹ 4.42 करोड़ अधिक दिखाया। चूंकि बढ़े हुए टर्नओवर पर पहले ही तीन प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया जा चुका है अतः बढ़ाये हुए टर्नओवर पर भी ₹ 15.83 लाख का अवशेष कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त गलत घोषणा करने पर ₹ 31.66 लाख का अधिकतम अर्थदण्ड भी आरोपणीय है। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	वर्ष / कर निर्धारण की तिथि	माल का नाम	घोषणा पत्रों के अनुसार माल का मूल्य	क्रेता व्यापारियों के उपभोग प्रमाण पत्र के अनुसार माल का मूल्य	माल के मूल्य में अन्तर	कर की दर	प्रभावित कर	(₹ लाख में)	
1	डिंगो-3 हरदोई	1	2007-08 01.10.2010	यीस्ट	12.22	8.33	3.89	10	0.27	0.54	
2	डिंगो-9 नोयडा	1	2007-08 07.01.2010	बिजली का सामान	132.41	44.97	87.44	10	6.12	12.24	
3	डिंगो-14 गाजियाबाद	1	2007-08 09.03.2010	खाद्य तेल	188.93	13.82	175.11	4	1.75	3.50	
4	डिंगो-21 कानपुर	1	2007-08 06.01.2010	परिष्कृत चमड़ा	17.43	15.30	2.13	4	0.02	0.04	
5	डिंगो-15 आगरा	1	2007-08 19.01.2010	दवायें	2.65	0.15	2.50	8	0.13	0.26	
6	ज्वांगो (कारपोरेट) कानपुर	1	2007-08 25.05.2010	प्रिन्टेड पालीपैक	146.48	0.62	145.86	8	7.29	14.58	
7	डिंगो-5 झाँसी	1	2007-08 26.02.2010	लौह छीजन	39.42	14.49	24.93	4	0.25	0.50	
	योग	7			539.54	97.68	441.86		15.83	31.66	

**2.9.16.3** हमने वाणिज्य कर विभाग के तीन कर निर्धारण कार्यालयों में देखा कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान तीन व्यापारियों ने फार्म सी के विरुद्ध ₹ 3.24 करोड़ के माल की बिक्री घोषित की। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण के समय (नवम्बर 2008 और मार्च 2010 के मध्य) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लिए रियायती दर पर क्रमशः चार प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। कर में दी गयी छूट की अनुमन्यता की सत्यता की जाँच के अनुक्रम में हमने क्रेता व्यापारी के सम्बन्धित कार्यालय से फार्म सी के विवरणों को क्रास चेक किया। सत्यापन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि क्रेता व्यापारी ने अपने लेखों में ₹ 4.18 करोड़ के माल को लेखांकित किया। इस प्रकार कर को बचाने के उद्देश्य से व्यापारी ने ₹ 94 लाख की केन्द्रीय बिक्री को अपने टर्नओवर में कम दिखाया। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कम टर्नओवर दिखाये जाने पर ₹ 9.21 लाख का कर आरोपणीय है। गलत घोषणा करने पर ₹ 18.42 लाख का अधिकतम अर्थदण्ड भी आरोपणीय है। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	वर्ष/कर निर्धारण की तिथि	माल का नाम	घोषणा पत्रों के अनुसार माल का मूल्य	क्रेता व्यापारियों के उपभोग प्रमाण पत्र के अनुसार माल का मूल्य	माल के मूल्य में अन्तर	कर की दर	प्रभावित कर	(₹ लाख में) आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
										आगरा
1	डिंको-13 आगरा	1	2007-08 08.03.2010	छोड़ा गया वायल	103.51	106.61	3.10	4	0.12	0.24
2	डिंको-17 गाजियाबाद	1	2007-08 11.02.2010	अल्ट्यूपीनियम फ्लायल	84.01	127.52	43.51	10	4.35	8.70
3	डिंको-20 वाराणसी	1	2006-07 06.11.2008	एच०डी०पी०ई० बैग	136.40	183.79	47.39	10	4.74	9.48
	योग	3			323.92	417.92	94.00		9.21	18.42

शासन, निश्चित अन्तराल पर दूसरे राज्यों से घोषणा पत्रों के क्रास वेरीफिकेशन, विशेष रूप से ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जो टिनएक्सिस में उपलब्ध नहीं है, के सम्बन्ध में एक व्यवस्था प्रारम्भ करने पर विचार कर सकता है।

### 2.9.17 अनियमित कर मुक्ति/कर में छूट

हमने देखा कि चार कर निर्धारण कार्यालयों में 2006-07 से 2007-08 के दौरान उठोप्र० के चार व्यापारियों ने फार्म सी एवं फार्म एफ से आच्छादित माल को बेचा / माल का अन्तरण किया जिस पर कर में छूट दी गयी अथवा कर मुक्ति प्रदान की गयी। क्रेता/प्राप्त कर्ता राज्य (दिल्ली, हिमांचल प्रदेश और उत्तराखण्ड) के वाणिज्य कर विभागों (वा०क०वि०) / से क्रास वेरीफिकेशन के दौरान हमने देखा कि ये फार्म उन राज्यों के वा०क०वि० द्वारा अन्य व्यापारियों को निर्गत किये गये थे न कि उठोप्र० के उन व्यापारियों को जिन्होंने कर मुक्ति अथवा कर में छूट के लाभ का दावा किया और उन्हें कर मुक्ति/कर में छूट का लाभ प्रदान किया गया। क्योंकि उठोप्र० के व्यापारियों की कर निर्धारण पत्रावलियों में जो फार्म उपलब्ध थे वे वास्तविक नहीं थे, अतः उठोप्र० के व्यापारियों के टर्नओवर पर ₹ 11.17 लाख की कर मुक्ति/कर में प्रदान की गयी छूट अनियमित थी। नीचे दी गयी तालिका में विवरण दिया गया है:

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	वर्ष/कर निर्धारण की तिथि	माल का नाम	माल का मूल्य	फार्म से आच्छादित मूल्य	प्रदान की गई कर मुक्ति/कर में छूट	क्रेता/प्राप्त कर्ता व्यापारी के राज्य का नाम
1	डिंको-14 गाजियाबाद	1	2006-07 (20.03.2009)	खाद्य तेल	170.26	एफ	8.50	उत्तराखण्ड
2	डिंको-1 गोण्डा	1	2007-08 (23.03.2010)	दाल	32.10	एफ	0.64	दिल्ली
3	असि०क०-2 उरई	1	2007-08 (18.01.2010)	मटर	26.55	सी	0.53	दिल्ली
4	डिंको-22 कानपुर	1	2007-08 (03.02.2010)	माचिस	15.06	सी	1.50	हिमाचल प्रदेश
	योग	4			243.97		11.17	

### 2.9.18 माल की अनियमित खरीद

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(3)बी के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी दूसरे राज्य से कर की रियायती दर पर माल की खरीद करना चाहता है तो वह विभाग में अपने आप को पंजीकृत करायेगा। यदि व्यापारी पुनः बिक्रयार्थ , माल के विनिर्माण (मैनुफैक्चर) हेतु अथवा बिक्री हेतु माल के प्रसंस्करण अथवा दूर संचार नेटवर्क हेतु अथवा खनन हेतु अथवा विद्युत या अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण में प्रयोग हेतु क्रय करना चाहता है तो पंजीयन प्रदान करने वाला प्राधिकारी उपरोक्त कार्य हेतु व्यापारी को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है विद्युत के पारेषण हेतु प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर से माल की खरीद हेतु कोई सुविधा अधिनियम में नहीं है।

जनवरी 2010 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय भी इस तथ्य की जाँच नहीं की। इस त्रुटि के फलस्वरूप ₹ 16.93 करोड़ की कर में दी गयी छूट अनियमित थी।

### 2.9.19 माल के अन्तरण पर अनुचित कर मुक्ति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 ए सपठित के0बि0क0 नियमावली के नियम 12(5) के अन्तर्गत यदि एक व्यापारी कर निर्धारण के समय अन्तरिती (ट्रान्सफरी) से प्राप्त फार्म एफ में एक घोषणा प्रस्तुत करता है जिसमें उसकी केन्द्रीय पंजीयन संख्या, वैधता की अवधि, क्रय आदेश की संख्या और तिथि का उल्लेख है तो वह कर मुक्ति का हकदार होगा। ऐसे मामलों में जहाँ सम्ब्यवहार फार्म एफ से आच्छादित नहीं है वहाँ 10 प्रतिशत की दर से अथवा प्रान्त के अन्दर जो भी कर की दर लागू हो, इनमें से जो अधिक हो, उस दर से कर आरोपणीय है।

के दौरान अपने इस सम्ब्यवहार के लिए कर मुक्ति का हकदार नहीं था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2006 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस तथ्य की जाँच नहीं की और कर मुक्ति प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.15 लाख की अनियमित कर मुक्ति प्रदान की गयी।

डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-16 के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच के समय हमने देखा (दिसम्बर 2010) कि एक व्यापारी को विद्युत पारेषण में प्रयोग हेतु माल की खरीद के लिए केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के0पं0प्र0) जारी किया गया जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। के0पं0प्र0 के आधार पर व्यापारी ने 2004-05 से 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) ट्रान्समिशन लाइन्स फाल्ट एनालाइजर सिस्टम, टावर पार्टस एवं कन्डक्टर्स की कर की रियायती दर पर ₹ 211.35 करोड़ की खरीद की। यद्यपि ये वस्तुएं केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में भी वर्णित नहीं थीं फिर भी क0नि0प्रा0 ने

डिप्टी कमिश्नर-5 वा0क0 गाजियाबाद के अभिलेखों की अगस्त 2006 में नमूना जाँच में हमने देखा कि वर्ष 2003-04 के दौरान एक व्यापारी ने फार्म एफ की घोषणा से आच्छादित ₹ 1.51 करोड़ की दवाएं अपने मुम्बई स्थित डिपो को अन्तरित की। व्यापारी को के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत 2 जून 2004 को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया था अतः वह वर्ष 2003-04

हमारे द्वारा मामले को सितम्बर 2006 में विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने जुलाई 2008 में बताया कि ₹ 15.15 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है (मार्च 2008)। हमें वसूली के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2011)।

### 2.9.20 केन्द्रीय बिक्री कर का अनारोपण

डिप्टी कमिश्नर खण्ड-20 वा०क० कानपुर

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत घोषित माल को छोड़कर, माल की ऐसी अन्तर्राजीय बिक्री, जो कि फार्म सी की घोषणा से आच्छादित नहीं है, उस पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा प्रान्त के अन्दर ऐसे माल की खरीद अथवा बिक्री पर कर की दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय होगा।

इसके कारण उस सीमा तक के०बि०क० का आरोपण नहीं हुआ।

हमने देखा (अक्टूबर 2010) कि वर्ष 2006-07 के दौरान एक व्यापारी ने ₹ 4.31 करोड़ के इम्पोर्ट लाइसेंस की ऐसी अन्तर्राजीय बिक्री की जो फार्म सी की घोषणा से आच्छादित नहीं थी अतः व्यापारी ₹ 43.10 लाख के कर के भुगतान का दायी था। क०नि०प्रा० ने मार्च 2009 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर आरोपित नहीं किया

### 2.9.21 छूट की सीमा के विरुद्ध कर का अनियमित समायोजन

दो वाणिज्य कर कार्यालय (डि०क० खण्ड-19 वा०क० गाजियाबाद और डि०क० खण्ड-15 वा०क० कानपुर)

13 मई 2002 से संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) (सप्तित कमिश्नर का दिनांक 2 नवम्बर 2002 का परिपत्र) के प्रावधानों के अनुसार केवल फार्म सी में घोषणा प्रस्तुत करने पर ही अन्तर्राजीय बिक्री पर कर मुक्त अथवा कर की दर में कमी का लाभ देय है। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 4 ए के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति के अनुसार नई इकाइयों को ऐसा लाभ देय है।

कर का त्रुटिपूर्ण समायोजन अनुमन्य किया जबकि उक्त राशि की मांग को सृजित करके उसे वसूल किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.11 करोड़ के कर का गलत समायोजन हुआ।

हमने देखा कि उ०प्र०व्या०क०अधिनियम की धारा 4-के अन्तर्गत पात्रता प्रमाणपत्र (पा०प्र०) धारक तीन व्यापारियों ने वर्ष 2003-04 और 2005-06 के मध्य ₹ 41.48 करोड़ मूल्य की स्वनिर्मित वस्तुओं की अन्तर्राजीय बिक्री की। क०नि०प्रा० ने मार्च 2006 एवं मार्च 2008 के मध्य कर निर्धारण करते समय यद्यपि देय कर की गणना की परन्तु उन्होंने व्यापारियों की छूट सीमा के विरुद्ध ₹ 4.11 करोड़ के

## 2.9.22 माल की अनधिकृत खरीद पर अर्थदण्ड का अनारोपण

### 10 वाणिज्य कर कार्यालय<sup>6</sup>

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 एवं 10 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म सी की घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है तो व्यापारी अभियोजन का पात्र होगा फिर भी यदि कर निर्धारण प्राधिकारी इसे उचित समझें तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल पर देय कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने देखा कि 10 व्यापारियों ने वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के दौरान ₹ 2.19 करोड़ का ऐसा माल जो उनके पंजीयन प्रमाण पत्र में आच्छादित नहीं था, फार्म सी की घोषणा पर कर की रियायती दर पर खरीदा। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2009 एवं मार्च 2010 के बीच कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 30.42 लाख का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा इन मामलों को विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2009 और मार्च 2011 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने सितम्बर 2010 में बताया कि एक मामले में ₹ 1.86 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है।

## 2.9.23 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि यद्यपि ₹ 5 लाख एवं उससे ज्यादा की राशि के माल के अन्तरण के सम्बन्धित व्यवहार के मामलों में दी गयी कर मुक्ति के सम्बन्ध में वि0अ0शा0 को क्रास वेरीफिकेशन हेतु उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के कमिशनर द्वारा अक्टूबर 2004 में जारी आदेश तथा टिनएक्सिस वेबसाइट के प्रारम्भ होने से अनियमित कर मुक्ति/कर में छूट को रोका जा सकता था जो कि राजकोषीय घाटे का कारक है परन्तु विभाग ने ऐसा कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया जिसके द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इतने महत्वपूर्ण आदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जा सके। कर मुक्ति/कर में छूट को अनुमन्य करते समय टिनएक्सिस वेबसाइट में उपलब्ध सूचनाओं से घोषणा पत्रों के सत्यापन हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी इसके अतिरिक्त हमने कुछ ऐसे प्रकरण देखे जहाँ पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बिना घोषणा पत्रों/त्रुटिपूर्ण घोषणा पत्रों/बिना किसी सूचना से आच्छादित अथवा अपूर्ण सूचनाओं के घोषणा पत्रों पर कर मुक्ति/कर में छूट अनुमन्य की। हमने दूसरे राज्यों से घोषणा पत्रों का क्रास वेरीफिकेशन किया और केता एवं विक्रेता व्यापारियों के फार्मों के आंकड़ों में भिन्नता, दूसरे व्यापारियों को जारी किये गये घोषणा पत्रों का कपटपूर्ण उपयोग, निष्प्रयोज्य एवं जाली घोषणा पत्रों का उपयोग और खरीद के टर्नओवर को छिपाये जाने के प्रकरण को पाया। इन कमियों एवं अनुश्रवण के अभाव में अनुमन्य कर मुक्ति/कर में छूट उचित एवं सही थी, इस सम्बन्ध में आश्वास्त होने का आधार नहीं है।

<sup>6</sup> डिंक0 (क0नि0)–1 वा0क0 बुलन्दशहर, डिंक0 (क0नि0)–12 वा0क0 गाजियाबाद, अ0क0 (क0नि0)–2 वा0क0 गोण्डा डिंक0 (क0नि0)–7 वा0क0 गोरखपुर, अ0क0 (क0नि0)–16 वा0क0 कानपुर, डिंक0 (क0नि0)–5 वा0क0 लखनऊ, अ0क0 (क0नि0)–1 वा0क0 मैनपुरी, डिंक0 (क0नि0)–11 वा0क0 मेरठ, डिंक0 खण्ड–2 रायबरेली तथा डिंक0 (क0नि0)–4 वा0क0 सोनभद्र।

## 2.9.24 अनुसंशाओं का सारांश

कमियों में सुधार हेतु शासन निम्नलिखित अनुसंशाओं के क्रियान्वयन पर विचार कर सकता हैः—

- अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में कर मुक्ति/कर में छूट के आंकड़ों को संक्षिप्त करके;
- केन्द्रीय स्तर के साथ साथ नोडल अधिकारियों के स्तर पर घोषणा पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु एक उचित तन्त्र विकसित करके;
- ऑन लाइन क्रास वेरीफिकेशन हेतु टिनएक्सिस वेबसाइट पर केन्द्रीय घोषणा पत्रों के आंकड़े डालकर के;
- वाणिज्य कर विभाग की अधिकारिक बेवसाइट में संदिग्ध व्यापारियों के आंकड़े तैयार करके एवं उसका प्रकाशन करके;
- सतत गलती करने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में, राज्य अधिनियम में कड़े एवं कठोर अर्थदण्ड के प्रावधान को लागू करके।

## 2.10 अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण/कम आरोपण, अनियमित करमुक्ति, कर की गलत दर लगाये जाने आदि के अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरों में उल्लिखित हैं। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) के स्तर पर ऐसी त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। हमने महसूस किया कि शासन आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुधार करने के साथ ही आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

## 2.11 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर का प्रयोग नहीं किया तथा कुछ मामलों में माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतम दरें लागू की गयीं जिसके फलस्वरूप ₹ 7.84 करोड़ के कर का अनारोपण/ कम आरोपण/ हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है:

### 28 वाणिज्य कर कार्यालय<sup>7</sup>

उ0प्र0व्या0क0अधिनियम 1948 (उ0प्र0व्या0क0अ0) की धारा 3क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय—समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 82.56 लाख का कम कर आरोपित हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इन मामलों को विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2008 तथा मार्च 2011 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि एक मामले क्र0सं0-4-1(क) में ₹ 2.65 लाख कर आरोपित कर दिया गया है, यद्यपि हमें वसूली की स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अन्य मामलों में हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (दिसम्बर 2011)।

**2.11.1** हमने देखा कि 2005–06 से 2007–08 (31.12.2007 तक) की अवधि के 33 व्यापारियों के मामलों में वर्ष में क0नि0प्रा0 ने मार्च 2008 से मार्च 2010 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 25.76 करोड़ के माल की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण दर से कर

<sup>7</sup> डि�0क0-8, बरेली, वा0क0अ0-2 बाराबंकी, अ0क0-4 फिरोजाबाद, डि�0क0-3 गाजियाबाद, डि�0क0-5 गाजियाबाद, डि�0क0-10 गाजियाबाद, डि�0क0-14 गाजियाबाद, डि�0क0-1 गाजीपुर, अ0क0-2 हसनपुर, ज्वा0क0(का0)-2 कानपुर, डि�0क0-17 कानपुर, डि�0क0-15 कानपुर, डि�0क0-27 कानपुर, अ0क0-27 कानपुर, डि�0क0-12 लखनऊ, डि�0क0-8 लखनऊ, डि�0क0-10 लखनऊ, डि�0क0-14 लखनऊ, अ0क0-22 लखनऊ, अ0क0-16 लखनऊ, अ0क0-2 ललितपुर, डि�0क0 सरधना मण्डल मेरठ, डि�0क0-14 नोयडा, अ0क0-10 नोयडा, अ0क0-11 नोयडा, अ0क0-6 सहारनपुर, अ0क0-5 सोनभद्र तथा डि�0क0-6 वाराणसी।

## 18 वाणिज्य कर कार्यालय<sup>8</sup>

**2.11.2** हमने नवम्बर 2008 तथा फरवरी 2011 के मध्य देखा कि 20 व्यापारियों के वर्ष 2005–06 से 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) की अवधि के मामलों में का क०नि०प्रा० ने मार्च 2008 तथा मार्च 2010 के मध्य कर निर्धारण करते समय बिक्री की गयी ₹ 22.44 करोड़ के मूल्य के माल पर गलत वर्गीकरण के कारण त्रुटिपूर्ण दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ। विवरण परिणाश्ट-II में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2008 तथा नवम्बर 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया गया | हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

कमिशनर बिक्री कर उ०प्रा० लखनऊ के परिपत्र सं. विधि/टी/93-94/1251 दिनांक 05.10.1993 के अनुसार, यदि उत्तर प्रदेश वन निगम (उ०प्रा०व०नि०) के नीलामी में प्रकाष्ठ की बिक्री राज्य के या दूसरे राज्य के एक केता को की जाती है तथा इसका स्थल पर ही हस्तान्तरण करते हैं तो उक्त पर राज्य व्यापार कर आरोपणीय होगा।

उक्त का स्थल पर ही हस्तान्तरण किया गया। क०नि०प्रा० ने मार्च 2009 में कर निर्धारण करते समय राज्य व्यापार कर के बजाय केन्द्रीय दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.74 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को मई 2010 में प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

उत्तर प्रदेश शासन ने (फरवरी 1997) टेंडर फार्मों की बिक्री पर कर आरोपित करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किया। पुनश्च क०वा०क० द्वारा सभी क०नि०प्रा० को निर्देशित किया गया (मार्च 2008) की शासकीय/अर्द्धशासकीय /निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/ बिल्डरों के विगत वर्षों के आंकड़ों को एकत्र करके, टेंडर फार्म/ब्रोशर/फार्मों की बिक्री पर कर आरोपित करना सुनिश्चित करें।

मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम प्रभावी जनवरी 2008 के अन्तर्गत टेंडर फार्म की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर से कर

बिक्री आंकड़ों को संग्रहीत किया। हमने पाया कि 14 इकाईयों<sup>9</sup>/व्यापारियों ने वर्ष

**2.11.3** डि० क० खण्ड- 3 वाणिज्य कर पीलीभीत के अभिलेखों की मार्च 2010 में नमूना जॉच में हमने देखा कि वर्ष 2005–06 के दौरान उ०प्रा०व०नि० ने ₹ 1.48 करोड़ के प्रकाष्ठ की नीलामी, दूसरे राज्य के व्यापारी को फार्म 'सी' के विरुद्ध किया तथा

**2.11.4** क०वा०क० के मार्च 2008 के निर्देशों के क्रियान्वयन का हमने परीक्षण किया और समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचनाओं के सम्बन्ध में हमारा प्रारंभिक परीक्षण दर्शाता है कि कुछ सरकारी विभागों ने टेंडर फार्मों के मूल्य पर अतिरिक्त वाणिज्यकर/वैट प्रभारित किये जबकि अन्य कम्पनियों/निगमों/प्राधिकरणों ने इस प्रकार प्रभारित नहीं किया। तथ्यों को आगे सुनिश्चित करने हेतु हमने वाणिज्य कर विभाग (वा०क०वि०) में पंजीकृत कुछ इकाईयों से टेंडर फार्म/ब्रोशर्स के

<sup>8</sup> डि०क०-3, आगरा, अ०क०-7, आगरा, डि०क०-4, अलीगढ़, डि०क०-2, फैजाबाद, डि०क०-10, गाजियाबाद, अ०क०-2, गोरखपुर, डि०क०-8, झौंसी, डि०क०-8, कानपुर, डि०क०-15, कानपुर, डि०क०-18, कानपुर, डि०क०-20, कानपुर, अ०क०-21, कानपुर, ज्वा०क०(का०)-2, कानपुर, डि०क०-12, लखनऊ, अ०क०-4, मुरादाबाद, डि०क०-3, मुजफ्फरनगर, डि०क०-2, नोयडा एवं डि०क०-13, वाराणसी।

2003–04 से 2009–10 (इन 14 इकाईयों द्वारा कुछ वर्षों की बिक्री के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये) के अवधि में ₹ 103.65 करोड़ के उपरोक्त प्रपत्रों की बिक्री की गई है इसलिए ₹ 6.43 करोड़ के वार्को/वैट के दायी थे जैसा कि विवरण परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।

वार्कोविठि द्वारा करारोपण को सुनिश्चित करने हेतु हमने सम्बन्धित वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की क्रास जॉच किया, जिन्होंने इन 14 इकाईयों/व्यापारियों के प्रत्येक वर्षों का कर निर्धारण किया था और पाया कि ₹ 49.41 करोड़ टर्नओवर हेतु कर निर्धारण आदेश इस प्रकार पारित किये गये:—

- चार कर्निप्रा०<sup>10</sup> ने वर्ष 2007–08 तक पाँच विकास प्राधिकरणों/निगमों/समितियों का कर्निप्रा० पारित किया और ₹ 12.62 करोड़ के वास्तविक टर्नओवर के विरुद्ध ₹ 7.56 करोड़ टर्नओवर पर नौ मामलों में ₹ 72.61 लाख का कर आरोपित किया। इस अनाच्छादित टर्नओवर पर ₹ 1.23 करोड़ का कर आरोपणीय था, अतः ₹ 50.60 लाख कम आरोपित हुआ।
- शेष मामलों में कर्निप्रा० ने इस वस्तुस्थिति का परीक्षण तुलन पत्र की प्रति माँग कर नहीं किया और विकास प्राधिकरणों/निगमों/कारपोरेशन द्वारा की गई टेन्डर फार्मो/ब्रोशर्स की बिक्री ₹ 36.79 करोड़ के टर्नओवर कोई पर कर आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 3.68 करोड़ का कर अनारोपित रहा। इन संगठनों के सभी वर्षों के मामलों के विवरण का परीक्षण किया जाता तो धनराशि और अधिक हो सकती थी।

अभी 2007–08 (जनवरी 2008 के बाद) का कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना है।

हमारी अनुशंसा है कि:

- वार्कोविठि को कर निर्धारण वर्ष 2008–09 और 2009–2010 का कर्निप्रा० पारित करने के पहले इन व्यापारियों के ₹ 54.24 करोड़<sup>11</sup> से अधिक के विक्रय विवरण के आंकड़ों का गहराई से परीक्षण करना चाहिए जिससे आगे होने वाली हानि ₹ 2.24 करोड़ को रोका जा सके।
  - विभाग को जहाँ तक सम्भव हो सके इन व्यापारियों की कर निर्धारण पुनः खोलने पर विचार करना चाहिए।
  - विभाग को सभी विकास प्राधिकरणों/निगमों/विश्वविद्यालयों और ऐसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/कारपोरेशन/उपक्रमों तथा प्राइवेट बिल्डरों की स्थितियों का परीक्षण करना चाहिए जहाँ उक्त ब्रोशर्स/टेन्डर फार्मों की बिक्री की जाती है और यह सुनिश्चित करें कि राजस्व की उचित वसूली की गई है।
- प्रकरण विभाग एवं शासन को अप्रैल 2011 में प्रतिवेदित किया गया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

<sup>9</sup> विकास प्राधिकरण: आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास निगम नोयडा, न्यू ओखला औद्योगिक विकास निगम नोयडा; नगर निगम: आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर।

<sup>10</sup> अ०क०–१६, आगरा–आगरा विकास प्राधिकरण आगरा;

डिक०–२, गौतमबुद्ध नगर–ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास निगम नोयडा;

डिक०–१७, कानपुर–उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर;

अ०क०–२, लखनऊ–नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ और लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।

<sup>11</sup> ब्रोसर्स इत्यादि की कुल बिक्री ₹ 103.65 करोड़ (–) बिक्री जो कर निर्धारण आदेश में पारित किया गया ₹ 49.41 करोड़ = ₹ 54.24 करोड़।

उ0 प्र0 व्या0 क0 अधिनियम एवं वैट अधिनियम के अन्तर्गत टेन्डर फार्मों की बिक्री पर कर आरोपणीय है। पुनश्च, कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ने अपने परिपत्र दिनांक 26 मार्च 2008 द्वारा कर निर्धारण अधिकारियों और विशेष अनुसंधान शाखा (वि0आ0शा0) के अधिकारियों को निर्देशित किया कि टेन्डर फार्मों की बिक्री को चिन्हित करके अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर निर्धारण करें जो उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से तथा उ0प्र0 वैट अधिनियम के अन्तर्गत चार प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

2007–08 से 2010–11 के अवधि में 94,690 टेन्डर फार्मों की बिक्री पर ₹ 27.74 करोड़ प्रोसेसिंग शुल्क संग्रहित किया गया। इस बिक्री पर ₹ 1.21 करोड़ व्यापार कर/वैट आरोपणीय थी, लेकिन जि0आ0आ0 द्वारा इसे न आरोपित किया गया अथवा संग्रहित किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	फार्मों की संख्या	धनराशि	दर (प्रतिशत में)	(₹ लाख में) आरोपणीय व्यापार कर/वैट
					योग
1	2007–08	2,267	56.83	10	5.68
2	2008–09	13,620	342.41	4	13.70
3	2009–10	57,487	1,732.75	4	69.31
4	2010–11	21,316	642.01	5	32.10
		<b>योग</b>	<b>94,690</b>	<b>2,774.00</b>	<b>120.79</b>

वाणिज्य कर विभाग ने इन तथ्यों के बावजूद भी यह परीक्षण करने का कोई प्रयास नहीं किया कि दुकानों का आवंटन तथा इसके लिए टेन्डर फार्मों की बिक्री राज्य आबकारी विभाग का एक नियमित, भली-भाँति प्रकाशित लक्षण है। ₹ 1.21 करोड़ की राजस्व हानि अकेले 16 जनपदों में ही हुयी।

प्रकरण विभाग/शासन को अप्रैल 2011 में प्रतिवेदित किया गया है। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

## 2.12 अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों के किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसे कि अनियमित संव्यवहार, लेखा बाहर के संव्यवहार, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार। यद्यपि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण एवं ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं फिर भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.63 करोड़ धनराशि के अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना हुआ जो कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है:

<sup>12</sup> भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (आई0एम0एफ0एल0), बीयर और देशी मदिरा (सी0एल0)।

<sup>13</sup> जि0आ0आ0— आजमगढ़, बरेली, इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सीतापुर, सोनभद्र, वाराणसी और उन्नाव।

## छ: वाणिज्य कर कार्यालय

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए(1) (सी) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से सन्तुष्ट है कि एक व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझ कर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है तो वह ऐसे व्यापारी को, कर के अतिरिक्त, इस प्रकार बचाये गये कर का न्यूनतम 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 प्रतिशत तक की धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

गये टर्नओवर पर ₹ 5.17 करोड़ का कर आरोपित किया लेकिन ₹ 2.58 करोड़ का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को अप्रैल 2008 एवं जुलाई 2010 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (जुलाई 2010 एवं मार्च 2011) कि क्र0सं0 1 के मामले में फरवरी 2010 में अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है और क्र0सं0 3 और 6 के मामले में क्रमशः फरवरी और मई 2010 में न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। यद्यपि विभाग ने वसूली का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। हमें शेष मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

## तीन वाणिज्य कर कार्यालय

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 15 ए(1)(ओ) सप्तित धारा 28-क के अन्तर्गत, कोई पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर से हेतु सड़क, रेल, नदी अथवा वायुमार्ग से कर योग्य माल के आयात करना चाहता है, इसकी घोषणा फार्म XXXI में अपने क0नि0प्रा0 को प्रस्तुत करेगा। आयातकर्ता इस माल की आपूति तब तक नहीं लेगा जबतक कि वह क0नि0प्रा0 को सम्यक रूप से भरे गये व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र की दो प्रतियों में उस प्राधिकारी को पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत न कर दे। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को संलिप्त माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक या ऐसे माल पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। पुनर्श्व, कमिशनर व्यापार कर ने अक्टूबर 2005 में घोषणा पत्रों से अनाच्छादित माल के आयात पर समय से अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।

**2.12.1** व्यापारियों के कर निर्धारण आदेशों तथा विशेष अनुसन्धान शाखा (वि0अ0शा0) के रिपोर्ट के आधार पर हमने मार्च 2008 और मार्च 2010 के मध्य देखा कि सात व्यापारियों ने वर्ष 2003–04 और 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के दौरान ₹ 88.60 करोड़ के विक्रय टर्नओवर को छिपाया था। क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2005 तथा मार्च 2010 के मध्य उनके कर निर्धारण करते समय इस छिपाये

गये टर्नओवर पर ₹ 5.17 करोड़ का कर आरोपित किया लेकिन ₹ 2.58 करोड़ का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है।

**2.12.2** हमने नवम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य देखा कि पाँच व्यापारियों ने ₹ 6.70 करोड़ मूल्य के माल का आयात राज्य के बाहर से बिना फार्म XXXI में घोषणा किये हुए किया। मार्च 2009 तथा जनवरी 2010 के मध्य क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के लिये कर निर्धारण करते समय ₹ 2.68 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	आयातित वस्तु का मूल्य	वस्तु का नाम	(₹ लाख में) अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	डिंको-खण्ड-18, वारको आगरा	1	2007-08 (दिसम्बर 2009)	20.53	ज्वैलरी	8.21
2.	डिंको-खण्ड-8 वारको बरेली	1	2006-07 (मार्च 2009)	98.80	जटादार वाटरी कोकोनट	39.52
			2007-08 (जनवरी 2010)	143.66	तदैव	57.46
3.	अ०को-खण्ड-2 वारको ललितपुर	3	2007-08 (दिसम्बर 2009)	65.75	तदैव	26.30
			2006-07 (मार्च 2009)	76.62	तदैव	30.65
			2007-08 (दिसम्बर 2009)	33.43	तदैव	13.37
			2006-07 (मार्च 2009)	129.41	तदैव	51.76
			2007-08 (दिसम्बर 2009)	101.94	तदैव	40.78
	योग	5		670.14		268.05

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी 2011 तथा मार्च 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

#### 14 वाणिज्य कर कार्यालय<sup>14</sup>

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 8 डी(6) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ठेकेदार को ऐसी संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व निवर्हन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में या कटौती करने के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व शासकीय कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो, कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

आरोपित नहीं किया था। विवरण परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है।

**2.12.3** हमने फरवरी 2010 तथा फरवरी 2011 के मध्य कर निर्धारण आदेश में देखा कि 15 व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 और वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) के अवधि में ठेकेदारों को भुगतान करते समय ओत पर ₹ 1.52 करोड़ के कर की कटौती की, लेकिन व्यापारियों ने उसे निर्धारित समय के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया। विलम्ब की अवधि सात दिन से लेकर 302 दिनों की थी। क०निप्रा० कर निर्धारण करते समय ₹ 3.04 करोड़ का अधिकतम अर्थदण्ड

<sup>14</sup> डिंको खण्ड-11, वारको आगरा, अ०को खण्ड-1, वारको बदायूँ अ०को खण्ड-2, वारको कर्वी, चित्रकूट, डिंको खण्ड-14, वारको कानपुर, डिंको खण्ड-15, वारको कानपुर, अ०को खण्ड-12, वारको लखऊ, अ०को खण्ड-13, वारको लखनऊ, डिंको खण्ड-2, वारको मेरठ, वारको०३० खण्ड-2, वारको मैनपुरी, अ०को खण्ड-12, वारको सहारनपुर, अ०को खण्ड-2, वारको सहारनपुर, डिंको खण्ड-18, वारको वाराणसी, अ०को खण्ड-19, वारको वाराणसी एवं डिंको खण्ड-1, वारको रामपुर।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को अगस्त 2010 तथा मार्च 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

### दो वाणिज्य कर कार्यालय<sup>15</sup>

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 15 ए(1)(एल) के अन्तर्गत कोई व्यापारी जो मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी करता है या प्रस्तुत करता है जिसके कारण कर आरोपणीय न रह जाय तो ऐसे कर की धनराशि को जो इस प्रकार बचा ली गई होती का कम से कम पचास प्रतिशत किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक, अर्थदण्ड के रूप में देगा।

₹ 9.13 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा इन मामलों को अगस्त 2008 तथा अगस्त 2009 के मध्य विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने मई 2010 में बताया कि दोनों मामलों में ₹ 9.13 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। यद्यपि हमे वसूली की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (दिसम्बर 2011)।

### नौ वाणिज्य कर कार्यालय<sup>16</sup>

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी से जिस पर कर अदा करने का दायित्व है, अपेक्षा की जाती है कि जिस माह में कर देय था उसके अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व कर की धनराशि राजकोष में जमा करे। यदि व्यापारी द्वारा स्वीकृत देय कर का भुगतान देय जमा की तिथि तक नहीं किया जाता तो उक्त भुगतान पर देय तिथि से दिनांक 11 अगस्त 2004 तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके पश्चात् 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है।

के लिए नोटिस जारी नहीं किया। यद्यपि विलम्ब की अवधि 873 से 2,422 दिनों की थी। स्वीकृत कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 23.32 लाख का ब्याज प्रभारणीय था जिसे क0निप्रा0 द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को अगस्त 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

**2.12.4.** हमने जून 2008 तथा जून 2009 के मध्य देखा कि दो व्यापारियों ने मिथ्या घोषणा पत्र जारी अथवा प्रस्तुत किया, जिसके कारण वर्ष 2002–03 तथा 2006–07 के मध्य खरीद या बिक्री पर ₹ 18.26 लाख का कर आरोपित होना था। यद्यपि क0निप्रा0 ने इन व्यापारियों के वर्ष 2002–03 तथा 2006–07 का कर निर्धारण क्रमशः जुलाई 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य करते समय ₹ 18.26 लाख का कर आरोपित किया, लेकिन उन्होंने

**2.12.5** हमने जून 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य देखा कि 11 व्यापारियों ने, जिनका कर निर्धारण वर्ष 2002–03 तथा 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के लिए कर निर्धारण मार्च 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य में किया गया था, ₹ 53.34 लाख का स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किया। क0निप्रा0 ने किसी भी मामले में विलम्बित भुगतान पर ब्याज के भुगतान

<sup>15</sup> अ0क0 खण्ड-17, वा0क0 गाजियाबाद एवं डिंक0 खण्ड-27, वा0क0 कानपुर।

<sup>16</sup> डिंक0-1, वा0क0आगरा, डिंक0-15, वा0क0 आगरा, अ0क0-12, वा0क0 इलाहाबाद, डिंक0-8, वा0क0 अलीगढ़, डिंक0-5, वा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0क0(कारपोरेट सर्किल)-2, कानपुर, डिंक0-13, वा0क0 लखनऊ, डिंक0-1, वा0क0 रामपुर एवं डिंक0-2, वा0क0 उन्नाव।

## 2.13 अनियमित छूट

### दो वाणिज्य कर कार्यालय<sup>17</sup>

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जारी शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 27 फरवरी 1997, 30 सितम्बर 2004 एवं परिपत्र दिनांक 31 मार्च 2007 के अनुसार अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (यू0पी0के0वी0आई0बी0) द्वारा प्रमाणित संस्थाओं को विज्ञप्ति की अनुसूची में उल्लिखित उत्पादों की बिक्री एवं निर्माण से सम्बंधित किसी माल की खरीद पर कर का भुगतान करने से छूट है। धान से चावल का निर्माण एवं अल्यूमिनियम कैप्स उपरोक्त विज्ञप्ति में आच्छादित नहीं है अतः इस पर छूट अनुमन्य नहीं है।

की वसूली नहीं हुई।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 तथा सितम्बर 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

### 14 वाणिज्य कर कार्यालय<sup>18</sup>

उ0प्र0व्या0क0 नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यथासंशोधित दिनांक 21 अप्रैल 2001 से, एक वित्तीय वर्ष में जारी कोई एकल घोषणा प्रपत्र III ख / III घ / III ग-1 तथा III ग-2 व्यापारी को, उस वित्तीय वर्ष में साथ ही उस वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती एवं पश्चवर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किये गये क्रय या विक्रय के सम्ब्यवहार हेतु विधिमान्य होगा।

किया। इसके फलस्वरूप ₹ 63.16 लाख की अनियमित रियायत दी गई।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को नवम्बर 2008 एवं नवम्बर 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

**2.13.1** हमने फरवरी 2009 तथा जून 2010 के मध्य देखा कि दो व्यापारियों ने वर्ष 2000-01 तथा 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) में ₹ 2.56 करोड़ की स्वनिर्भित चावल एवं अल्यूमिनियम कैप्स की बिक्री की। क0नि0प्रा0 ने अक्टूबर 2002 एवं मार्च 2010 के मध्य यू0पी0के0वी0आई0बी0 हरदाई और मुजफ्फरनगर द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर त्रुटिपूर्ण रूप से छूट अनुमन्य किया, यद्यपि ये वस्तुएं उपरोक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत छूट के लिए पात्र नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.24 लाख राजस्व

**2.13.2** हमने जुलाई 2008 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य देखा कि 14 व्यापारियों ने प्रपत्र<sup>19</sup> III ख, III घ, तथा III ग-1 / III ग-2 के विरुद्ध ₹ 9.65 करोड़ की रियायती दर पर 2003-04 एवं 2007-08 के मध्य खरीद/बिक्री किया। व्यापारियों द्वारा प्रयोग किये गये घोषणा प्रपत्र सम्ब्यवहार हेतु कालवाधित थे। फिर भी क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय रियायती दर पर कर आरोपित

<sup>17</sup> डि0क0-2, वा0क0 हरदोई एवं डि0क0-1, वा0क0 मुजफ्फरनगर।

<sup>18</sup> डि0क0(क0नि0)-वा0क0, बर्स्ती, डि0क0(क0नि0)-4, वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0(क0नि0)-2 वा0क0 गोरखपुर, डि0क0(क0नि0)-4 वा0क0 झाँसी, डि0क0(क0नि0)-7 वा0क0 कानपुर, डि0क0(क0नि0)-4 वा0क0 मुजफ्फरनगर, डि0क0(क0नि0) वा0क0 नजीवाबाद, अ0क0 खण्ड-3 सुल्तानपुर, डि0क0(क0नि0)-2 वा0क0 इलाहाबाद, डि0क0(क0नि0)-3 वा0क0 इलाहाबाद, डि0क0(क0नि0)-2 वा0क0 गौतमबुद्ध नगर, डि0क0(क0नि0)-1 वा0क0 एटा, अ0क0 खण्ड-2 वा0क0 इटावा एवं डि0क0(क0नि0)-12 वा0क0 वराणसी।

<sup>19</sup> ये प्रपत्र उ0प्र0व्या0क0 में छूट/रियायत के लाभ के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।

## आठ वाणिज्य कर कार्यालय

के0बि0क0 अधिनियम की धारा-6(2) के अन्तर्गत माल का अन्तर्प्रान्तीय बिक्री या क्रय एक राज्य से अन्य राज्य को माल के संचालन के दौरान उस माल के हक दस्तावेजों (डाक्यूमेन्ट्स) के अन्तरण द्वारा फार्म-ई-1/सी के विरुद्ध किये जाने पर कर के भुगतान से मुक्त हैं। यदि कोई क्रय आदेश माल के स्वामित्व के स्थानान्तरण के पूर्व की तिथि का है तो छूट प्राप्त नहीं होगी।

पूर्ववर्ती आदेश के विरुद्ध माल का हस्तानान्तरण वास्तविक बिक्री के दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये फार्म 'सी' में था, फिर भी क0नि0प्रा0 ने इस बिक्री को अमान्य नहीं किया।

₹ 75.86 करोड़ के माल की बिक्री पर क0नि0प्रा0 द्वारा व्यापारियों को ₹ 7.59 करोड़ की कर में छूट प्रदान की गयी, जो अनियमित था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम सर्वश्री	क0नि0आ0का दिनाँक कर निर्धारण वर्ष	ई-1/ सी द्वारा बिक्री	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर
1.	डिंको-15, लखनऊ	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि0 महानगर, लखनऊ	25 मार्च 2009 2006-07	1,494.68	10	149.77
			20 मार्च 2010 2007-08	516.52	10	51.65
2.	डिंको-9, मुरादाबाद	जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रॉनिक लि0, मुरादाबाद	30 अगस्त 2010 2006-07	1,118.00	10	111.80
3.	अ0क0 खण्ड-8, लखनऊ	पावर फैब्रिकेट्स (इंडिया)प्रा0लि0 लखनऊ	29मार्च 2010 2007-08 (31.12.2007 तक)	54.73	10	5.47
4.	डिंको-12, लखनऊ	एशिया ब्राउन ब्रेवरीज लि0लखनऊ	27 जुलाई 2011 2006-07	2,913.40	10	291.34
5.	डिंको-7, मुजफ्फरनगर	मदन कान्ट्रेक्टर्स मुजफ्फरनगर	09 मार्च 2010 2007-08	28.62	10	2.86
6.	डिंको-4, बरेली	आर0के0 इण्डस्ट्रीज बरेली	31 मार्च 2009 2006-07	90.50	10	9.05
7.	डिंको-2, कानपुर	सनकेम इन्जीनियर्स प्रा0लि0,कानपुर	28 दिसम्बर 2010 2006-07	272.03	10	27.20
			23 फरवरी 2011 2007-08	126.15	10	12.62
8.	डिंको-9, नोएडा	हाइथर्थ पावर कार्पोरेशन लि0,नोएडा	11 मई 2011 2006-07	971.52	10	97.15
	योग			7,586.15		758.61

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी 2011 एवं नवम्बर 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

के0बि0क0अधिनियम की धारा 5 सपष्टित के0बि0क0(र0 एवं आ0) नियमावली 1957 के नियम 12(10) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय या क्रय हुआ केवल तभी समझा जायेगा जब उस विक्रय या क्रय से ऐसा निर्यात होता है या वह विक्रय या क्रय भारत के सीमा शुल्क सीमान्त से माल पार हो जाने के पश्चात माल के हक दस्तावेजों के अन्तरण इस शर्त के साथ किया जाता है कि कर निर्धारण के समय अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष फार्म-एच में घोषणा होगा। पुनश्च, फार्मों को प्रस्तुत करने के लिए केवल एक ट्रैमासिक नियम एवं शर्त फार्म-सी पर लागू हैं, फार्म-एच के प्रमाणपत्र पर भी लागू होंगी।

थी।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को मई 2010 एवं नवम्बर 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

**2.13.4** अक्टूबर 2009 में डिको-12 वारकोआगरा के अभिलेखों की नमूना जाँच में, हमने पाया कि वर्ष 2005–06 में एक व्यापारी ने ₹ 12.56 करोड़ के ट्रान्सफार्मर का भारत के बाहर निर्यात किया और वर्ष 2005–06 के पूरे सम्बन्धित वर्ष के लिए एक फार्म 'एच' प्रस्तुत किया। इनमें से ₹ 9.58 करोड़ का सम्बन्धित एक ट्रैमास से अधिक का था। अतः ₹ 95.75 लाख की कर में दी गयी छूट अनियमित थी।

## 2.14 प्रवेश कर का अनारोपण

तीन वाणिज्य कर कार्यालय

उ0प्र0माल के प्रवेश कर अधिनियम 2001 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय—समय पर अधिसूचित कर की दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

आरोपित नहीं किया, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कोनी0माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	प्रवेश कर की दर <sup>1</sup> आरोपणीय	प्रवेश कर की दर <sup>2</sup> आरोपित	अनारोपित प्रवेश कर की धनराशि
1.	डिको खण्ड-11 वारको नोयडा	1	2007–08 (फरवरी-2010)	मशीनरी (₹ 10 लाख से अधिक)	759.60	2	—	15.19
2.	डिको वारको कोशीकला मथुरा	1	2007–08 (फरवरी 2010)	वैक्स	12.81	4	—	0.51
3.	डिको खण्ड-1 वारको नजीबाबाद	1	2007–08 (दिसम्बर 2009)	सीमेंट	72.97	2	—	1.46
	योग	3			845.38	—	—	17.16

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को नवम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

## 2.15 राज्य विकास कर का अनारोपण

### 16 वाणिज्य कर कार्यालय<sup>20</sup>

उ0प्र0व्या0क0अधिनियम की धारा 3—एच सपठित कमिशनर के परिपत्र दिनॉक 3 मई 2005 प्रभावी दिनॉक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख से अधिक कुल वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त रा0वि0क0 वसूल किया जायेगा।

त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 18.90 लाख का रा0वि0क0 अनारोपित रहा।

हमारे द्वारा नवम्बर 2008 एवं मार्च 2010 के मध्य इन मामलों को विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने जून 2010 एवं मई 2011 के मध्य बताया कि दो मामलों में ₹ 6.53 लाख की रा0वि0क0 की वसूली की गयी और दो मामलों में ₹ 1.88 लाख का रा0वि0क0 आरोपित कर दिया गया। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों में विभाग/शासन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2011)।

## 2.16 जमानत की कम वसूली

### पाँच असिस्टेन्ट कमिशनर (सचल दल)<sup>21</sup>

वैट अधिनियम 2008 की धारा 50, सपठित कमिशनर परिपत्र दिनॉक 5 नवम्बर 2009 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर, कर योग्य माल का आयात करने या प्राप्त करने का इच्छुक हो, तो घोषणा का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करेगा। घोषणा—प्रपत्र के अभाव में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत जमानत की धनराशि वसूल की जायेगी।

किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.54 लाख की जमानत की धनराशि कर की जगह कम वसूल की गई।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को सितम्बर 2010 और मार्च 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

हमने अगस्त 2008 तथा जनवरी 2011 के मध्य देखा कि 17 व्यापारियों के मामलों में जिनका समेकित वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक का था, क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2005—06 और 2007—08 (दिसम्बर 2007 तक) की अवधि का कर निर्धारण जुलाई 2007 तथा मार्च 2010 के मध्य करते समय ₹ 18.90 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर रा0वि0क0 आरोपित नहीं किया। इस

हमने वर्ष 2009—10 की अवधि में देखा कि 14 व्यापारियों के ₹ 94.89 लाख का माल सचल दल द्वारा जब्त किया गया क्योंकि उनका परिवहन बिना वैध प्रपत्रों के किया जा रहा था। वैध प्रपत्रों के अभाव में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत जो कि ₹ 37.96 लाख की धनराशि जमानत के रूप में वसूली हेतु दायी थे, लेकिन क0नि0प्रा0 ने उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन पर व्यापारियों से केवल ₹ 10.42 लाख जमानत के रूप में वसूल

<sup>20</sup> अ0क0—1, वा0क0 बॉदा, डि0क0—4 वा0क0 बरेली, डि0क0—3 वा0क0 बरेली, अ0क0—4 वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0—12 वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0—16, वा0क0 कानपुर, डि0क0—27 वा0क0 कानपुर, ज्या0क0(कारपोरेट)—1 वा0क0 कानपुर, डि0क0—13 वा0क0 लखनऊ, डि0क0—22 वा0क0 लखनऊ, डि0क0—2 वा0क0 मथुरा, डि0क0—2 वा0क0 मैनपुरी, अ0क0—3 वा0क0 नोयडा, डि0क0—2 वा0क0 नोयडा, डि0क0—3 वा0क0 पीलीभीत एवं डि0क0—21 वा0क0 वाराणसी।

<sup>21</sup> अ0क0(स0द0) वा0क0, फिरोजाबाद, अ0क0(स0द0) वा0क0, कानपुर देहात, अ0क0(स0द0)—2 वा0क0, मथुरा, अ0क0 (स0द0) वा0क0, शाहजहाँपुर एवं अ0क0(स0द0)—2 वा0क0, वाराणसी।

## 2.17 अधिक वसूले गये कर का जमा न किये जाने से राजस्व हानि

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जहाँ धारा 8(क) की उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी व्यापारी द्वारा किसी व्यक्ति से किसी माल की बिक्री या क्रय पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूल की जाय, वहाँ ऐसा व्यापारी इस प्रकार वसूल की गई सम्पूर्ण धनराशि ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जैसी निर्धारित की जाय, जमा करेगा।

राज्य सरकार ने विज्ञप्ति सं 1283 दिनांक 13 जुलाई 2006 के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर०जी०जी०वी०वाई०) और एक्सीलिरेटेड पॉवर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (ए०पी०डी०आर०पी०) में प्रयोग हेतु आयातित इलेक्ट्रिकल गुड्स पर वाणिज्य कर (वा०क०) की छूट दी गयी है।

चार प्रतिशत हो जाती थी। हमने य०पी०पी०सी०एल० 2005–06 और 2006–07 के मध्य के कर निर्धारण की जाँच की। इन सभी अनुबन्धों की आपूर्ति दरों में समस्त कर एवं शुल्क सम्मिलित थी और ठेकेदारों द्वारा इन्हीं दरों पर भुगतान प्राप्त किये गये थे। क०नि०प्रा० ने वर्ष 2005–06 और वर्ष 2006–07 (12 जुलाई 2006 तक) क०नि०आ० पारित करते समय फार्म III 'डी' प्रस्तुत न करने वाले मामलों में 10 प्रतिशत की दर से तथा फार्म III 'डी' के विरुद्ध 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। हमने पाया कि ठेकेदारों ने कर निर्धारण वर्ष 2006–07 (13 जुलाई 2006 से 31 मार्च 2007 तक) तथा 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) निरन्तर उसी आपूर्ति दर से भुगतान प्राप्त किया। कुछ वस्तुओं पर 13 जुलाई 2006 से पूर्व एवं 13 जुलाई 2006 के पश्चात की तुलनात्मक दरों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

क्र० सं०	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध सं०	वस्तु कोड तथा वस्तु का नाम	13 जुलाई 2006 से पूर्व चार्ज किया गया दर	(₹ में) 13 जुलाई 2006 के पश्चात चार्ज किया गया दर
1.	मेसर्स रिलायंस इनर्जी लि०	सी-264/एम०वी०वी०एन० एल०/आर०जी०जी०वी०वाई० / 126 हरदोई दिनांक 01.08.2008	2000869874 16 केवीए ट्रान्सफार्मर	49812	49812
2.	तदैव	तदैव	2000880908 पीएलसी फोल्स 8.5 मी०	2510	2510
3.	तदैव	तदैव	2000869927 एलटीएवी केबिल	40039 प्रति. किमी०	40039 प्रति. किमी०
4.	तदैव	तदैव	2000869849 एसीएसआर वीजल कन्डक्टर	96822 सीकेटी० किमी०	96822 सीकेटी० किमी०

<sup>22</sup> दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०(द०विंविंनिंलि०), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केरको), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०(म०विंविंनिंलि०), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०(प०विंविंनिंलि०) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०(पूविंविंनिंलि०)।

18 वाणिज्य कर कार्यालयों<sup>23</sup> के क0नि0प्रा0 ने मार्च 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय कुल व्यापार कर की धनराशि ₹ 27.68 करोड़ जैसा कि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है का पता लगाने में असफल रहे और इन बिक्रियों के संचालन अनुबन्धों के जाँच किये बिना ही 13 जुलाई 2006 के उपरोक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत छूट प्रदान की गयी। जब हमने केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी तीन प्रतिशत की घटी हुई दर के बजाय चार प्रतिशत की उच्चतर दर से किये गये भुगतान की ओर इंगित किया, डिस्काम ने अधिक भुगतान किये गये धनराशि की कटौती की। पुनश्च यह हमारे मतों की पुष्टि करता है कि भुगतान की दरों में व्यापार कर/के0बि0क0 सम्मिलित थी।

इस विफलता के परिणामस्वरूप विभाग को केवल 31 डिवीजनों में ही जहाँ हमने परीक्षण किया ₹ 27.68 करोड़ की राजस्व क्षति हुयी। यह क्षति और अधिक हो सकती थी यदि वितरण कम्पनियों के अन्य डिवीजनों का परीक्षण किया गया होता।

हम अनुशंसा करते हैं कि जब कभी विभाग ऐसी छूट की स्वीकृति प्रदान करे तो इसके उचित कार्यान्वयन की जाँच किया जाना चाहिए, जिससे ऐसी हानि से बचा जा सके।

प्रकरण विभाग एवं शासन को मार्च 2011 में प्रतिवेदित किया गया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)

<sup>23</sup> डि0क0 खण्ड-15 वा0क0 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-9 वा0क0 मुरादाबाद, डि0क0 खण्ड-3 वा0क0 सुल्तानपुर, डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 मुजफ्फरनगर, ज्या0क0(का0स0) लखनऊ, डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-3 वा0क0 गौतमबद्धनगर, डि0क0 खण्ड-20 वा0क0 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-13 वा0क0 आगरा, डि0क0 खण्ड-12 वा0क0 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-11 वा0क0 मेरठ, डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 सुल्तानपुर, डि0क0 खण्ड-14 वा0क0 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 कानपुर, डि0क0 खण्ड-25 वा0क0 कानपुर, ज्या0क0(का0स0) वा0क0 फैजाबाद, डि0क0 खण्ड-9 वा0क0 गाजियाबाद एवं डि0क0 खण्ड-9 वा0क0 नोयडा।

## 2.18 सकर्म संविदा कर की कटौती न किया जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ०प्र०व्या०क०) की धारा 8घ(1) तथा उ०प्र०मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (वैट) की धारा 34(1) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को सकर्म संविदा के अनुकरण में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, ऐसा भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की धनराशि सकर्म संविदा (डब्ल्यू०सी०टी०) कर की कटौती करेगा। यदि वह कटौती करने में असफल रहता है तो उ०प्र०व्या०कर अधिनियम की धारा 8 घ (6) तथा उ०प्र० वैट अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत काटी जानी योग्य धनराशि जो नहीं काटी गयी है दोगुने से अनाधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा।

एवं चार डिस्कामो<sup>24</sup> के 32 डिवीजनों द्वारा किये गये भुगतानों का परीक्षण किया। वर्ष 2005–06 और 2006–07 की अवधि के मध्य इन खण्डों ने 34 संविदाकारों/व्यापारियों से 79 अनुबंध किये और वर्ष 2005–06 से 2008–09 के दौरान ₹ 272.27 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया और ₹ 10.89 करोड़ की कटौती करने के स्थान पर ₹ 8.65 लाख की डब्ल्यू०सी०टी० की कटौती की गई, विवरण परिशिष्ट–VII में दिया गया है। क०नि०प्रा० ने डिस्कामों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों का मार्च 2009 और मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय इन तथ्यों का परीक्षण नहीं किया गया और अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 21.61 करोड़ का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। हमारे द्वारा इस विफलता को केवल 32 डिविजनों में ही इंगित किया गया, यह और अधिक हो सकती है यदि वितरण कम्पनियों के अन्य डिविजनों की जाँच की जाये।

हम अनुशंसा करते हैं कि ऐसी पुर्नावृत्ति न हो इसके लिए विभाग को उ०प्र०शासन के विभागों/उपक्रमों का उचित कर निर्धारण करें एवं क्रास जॉच द्वारा संविदाकारों को किये भुगतान पर डब्ल्यू०सी०टी० की कटौती सुनिश्चित करें।

प्रकरण विभाग और शासन को मार्च 2011 में प्रतिवेदित किया गया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

उ०प्र०पावर कारपोरेशन लिमिटेड (य०पी०सी०एल०) की वितरण कम्पनियाँ (डिस्काम्स) जो राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर०जी०जी०वाई) और एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (ए०पी०डी०आर०पी०) योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न हैं और विभिन्न संविदाकारों को टर्नकी संविदायें आवंटित करती हैं। यह पता लगाने के लिए कि क्या सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा संविदाकारों के बिलों से डब्ल्यू०सी०टी० की कटौती तथा उसे शासकीय कोषागार में जमा किया जा रहा है और विभाग द्वारा उचित रूप से कर निर्धारण किया जा रहा है। हमने (जनवरी 2011) में सम्बंधित कर निर्धारण आदेशों

<sup>24</sup> द०विं०विं०नि०लि०—₹ 65.31 करोड़, म०विं०विं०नि०लि०—₹ 27.57 करोड़, प०विं०विं०नि०लि०—₹ 168.22 करोड़ और प०विं०विं०नि०लि०—₹ 11.17 करोड़

## 2.19 व्यापारियों के पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम 1948 की धारा 3 एफ के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए, किसी प्रयोजन के लिए नकद आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण के शुद्ध विक्रयधन पर कर का भुगतान करेगा। दिनांक 29 जनवरी 2001 से निजी बस मालिक द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यू०पी०ए०आर०टी०सी०) को हस्तान्तरित की गई बसों को उपयोग का अधिकार (राइट टू यूज) के लिए किसी अनुबन्ध पर पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। वैट अधिनियम में दिनांक 1 जनवरी 2008 से चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित की जायेगी।

प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिकरण के निर्णय निजी बस मालिकों का उ0प्र0व्या0क0अधिनियम के अन्तर्गत कर की अदायगी आकर्षित नहीं होती है, को न्यायोचित नहीं माना।

यह सत्यापन करने के लिए कि क्या वाणिज्य कर (वा०क०) विभाग द्वारा यू०पी०ए०आर०टी०सी० द्वारा किराये की निजी बसों पर “राइट टू यूज” के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व का संग्रहण उचित रूप से किया जा रहा था, हमने जनवरी एवं फरवरी 2011 में वर्ष 2003–04 से 2010–11 हेतु अपनी बसों को ‘राइट टू यूज’ के अन्तर्गत निजी बस मालिकों/व्यापारियों को किये गये भुगतानों के सम्बन्ध में यू०पी०ए०आर०टी०सी० की मासिक सूचना विवरण (एम०आई०ए०स०) का परीक्षण किया। यू०पी०ए०आर०टी०सी० ने अपने सभी 20 परिक्षेत्रों के व्यापारियों को कुल ₹ 879.44 करोड़ (दिसम्बर 2007 तक ₹ 299.79 करोड़ एवं उसके बाद ₹ 579.65 करोड़) का भुगतान किया।

धारा 3 एफ(2)(बी)(x) और (xi) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शुद्ध कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने के लिए, उपयोग की गयी कन्ज्यूमेविल्स का मूल्य एवं स्थापना (जैसे— ईंधन की कीमत, ड्राइवर एवं सहायकों को वेतन) व्यापारी के कुल टर्नओवर से घटाया जाना है। हमने धारा 3 एफ(3) के अनुसार यू०पी०ए०आर०टी०सी० के ईंधन उपभोग के मानकों (5.6 कि०मी० प्रति लीटर) और यू०पी०ए०आर०टी०सी० द्वारा संविदा पर लिये गये ड्राइवरों और सहायकों के पारिश्रमिक के आधार पर इन तथ्यों को निश्चित किया जो ₹ 574.62<sup>25</sup> करोड़ आता है। यह कुल देय प्राप्तियों में से घटायी जायेगी।

निजी बस मालिक यू०पी०ए०आर०टी०सी० को अपनी बसों अनुबन्धों के तहत उपलब्ध कराती हैं। क०नि०प्रा० ने ऐसे निजी बस मालिकों द्वारा यू०पी०ए०आर०टी०सी० से प्राप्त धनराशि पर इस सम्ब्यवहार को “राइट टू यूज” के अन्तर्गत बसों का हस्तान्तरण मानते हुए कर आरोपित किया। क०नि०प्रा० के इन आदेशों से निराश होकर ऐसे मालिकों ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल की जिसे स्वीकार किया गया। अपीलीय प्राधिकारी के इन विचारों को व्यापार कर अधिकरण ने (मई 2003 में) स्थापित किया। इसी

<sup>25</sup> (कुल दूरी ÷ औसत ईंधन खपत) X प्रति लीटर दर + कुल दूरी X ड्राइवरों और सहायकों का वेतन

4/03 से 12/06 = (2761.11 ÷ 5.6) X 25.20 + 2761.11 X 0.45 = ₹ 13667.50 लाख

1/07 से 12/07 = (927.84 ÷ 5.6) X 28.78 + 927.84 X 0.90 = ₹ 5603.49 लाख

1/08 से 3/11 = (5169.71 ÷ 5.6) X 36.33 + 5169.71 X 0.90 = ₹ 38191.23 लाख

57462.22 लाख या ₹ 574.62 करोड़

यूपी0एस0आर0टी0सी0 के सभी 20 परिक्षेत्रों<sup>26</sup> के निजी बस मालिकों के पंजीयन के सम्बन्ध में हमने वाणिज्य कर विभाग से क्रास जाँच किया और पाया कि इसमें से केवल एक<sup>27</sup> व्यापारी विभाग में पंजीकृत थे। 11 व्यापारियों<sup>28</sup> के मामलों में क0नि0प्रा0 ने 2002 तथा 2007 के मध्य कर आरोपित किया जिसे उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23 जुलाई 2009 द्वारा स्थापित किया गया। यद्यपि, विभाग ने उ0प्र0व्या0कर/वैट अधिनियम और न्यायिक घोषणा में निश्चित प्रावधान होने के बावजूद भी इन व्यापारियों के पंजीकरण का प्रयास नहीं किया तथा कोई कर वसूल/आरोपित नहीं किया। परिणामस्वरूप विभाग को ₹ 13.23 करोड़<sup>29</sup> की राजस्व की क्षति हुई।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अप्रैल 2011 में प्रतिवेदित किया गया। हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)

<sup>26</sup> इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़, अलीगढ़, बरेली, चित्रकूट, देवीपाटन, इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, हरदोई, झौसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, नोयडा, सहारनपुर और वाराणसी।

<sup>27</sup> पारुल सिंह, 605, शान्तिनिकेतन अपार्टमेंट चर्च रोड आगरा-2010-11 में डिक्टो खण्ड-12 वा0क0 आगरा में पंजीकृत।

<sup>28</sup> मुरादाबाद-9, मधुरा और ललितपुर-प्रत्येक में एक।

<sup>29</sup> शुद्ध आरोपणीय कर = कुल टर्नओवर-(ईंधन की कीमत+स्थापना की कीमत)

4/03 से 12/06 = ₹215.15 करोड़-₹136.6 करोड़ = ₹ 78.48 करोड़ वा0क0 @ 5 % = ₹ 3.92 करोड़

1/07 से 12/07 = ₹84.64 करोड़-₹56.03 करोड़ = ₹ 28.61 करोड़ वा0क0 @ 5% = ₹ 1.43 करोड़

1/08 से 3/11 = ₹579.66 करोड़-₹381.91 करोड़ ₹ 197.25 करोड़ वैट @ 4% = ₹ 7.91 करोड़

घटाया : 2010-11 में एक व्यापारी से वसूला गया कर =(-) ₹ 0.03 करोड़

₹ 13.23 करोड़

## अध्याय-III

### राज्य आबकारी

#### 3.1 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर, अन्य मादक द्रव्यों जैसे चरस, भाँग एवं गांजा इत्यादि पर फीस आरोपित या आदेशित समपहरण उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उ०प्र०आ०अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत की जाती है। ये नियम मदिरा तथा अन्य मादक द्रव्यों की अवैध खरीद-बिक्री, अल्कोहल के आयात-निर्यात तथा उसके विधिविरुद्ध उत्पादन पर नियंत्रण करते हुए विभाग में राजस्व के रिसाव पर प्रबल नियंत्रण रखने हेतु बनाये गये हैं।


आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः चीनी निर्माण के दौरान सहउत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे से होता है। अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे०म०) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा०नि०वि०म०) जैसे व्हिस्की, ब्राणडी, रम एवं जिन निर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आसवनी से मानव उपभोग हेतु मदिरा का निर्गम या तो बन्ध-पत्र के अधीन बिना आबकारी अभिकर के या निर्धारित दर पर उसके अग्रिम भुगतान पर होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होती है। जिला अधिकारी (जि०आ०) जिला आबकारी अधिकारी (जि०आ०आ०) की सहायता से जिले में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी है।

अभिकर, फीस एवं अन्य करों के संग्रहण का संचालन एवं अनुश्रवण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है जिनका सहयोग मुख्यालय स्तर पर दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, तीन संयुक्त आबकारी आयुक्त (स०आ०आ०), 10 उप आबकारी आयुक्त (उ०आ०आ०) एवं छः सहायक आबकारी आयुक्त (स०आ०आ०) करते हैं। प्रभावी प्रशासन के उद्देश्य से प्रदेश को चार जोन एवं 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। राजस्व के निर्धारण, आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु जनपद स्तर पर जि०आ०आ० / स०आ०आ० तैनात हैं। आबकारी अभिकर के आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु आसवनी स्तर पर स०आ०आ० / प्रभारी अधिकारी (निरीक्षक) तैनात किए गए हैं।

#### 3.2 प्राप्तियों का रूझान

राज्य आबकारी से वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि के दौरान कुल कर प्राप्ति को निम्नलिखित तालिका एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य(+) कमी(-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों से प्रतिशत	(₹ करोड़ में)
2006-07	3,650.00	3,551.25	(-) 98.75	(-) 2.71	22,997.97	15.44	
2007-08	4,192.00	3,948.40	(-) 243.60	(-) 5.81	24,959.32	15.82	
2008-09	5,040.00	4,720.01	(-) 319.99	(-) 6.35	22,658.97	16.47	
2009-10	5,176.45	5,666.06	(+) 489.61	(+) 9.46	33,877.60	16.73	
2010-11	6,763.23	6,723.49	(-) 39.74	(-) 0.59	41,355.00	16.26	



### 3.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व बकाया ₹ 56.72 करोड़ था जिसमें से ₹ 51.56 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक पुराने थे। वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में राजस्व बकाये का स्थिति निम्नलिखित तालिका में वर्णित हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहीत / बट्टे खाते में डाली गयी धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2006-07	59.86	1.08	0.05	60.89
2007-08	60.89	0.56	0.06	61.39
2008-09	61.39	0.59	0.03	61.95
2009-10	61.95	1.35	0.07	63.23
2010-11	63.23	0.45	6.96	56.72

(स्रोत : विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी)।

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाने के लिए विचार करे।

### 3.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के लिये सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2008-09	4,720.01	50.19	1.06	3.27
2009-10	5,666.06	70.86	1.25	3.66
2010-11	6,723.49	95.72	1.42	3.64

हमने पाया कि राज्य आबकारी विभाग की संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम है।

### 3.5 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

विगत पाँच वर्षों के दौरान हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिधारण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 670 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 1,989.44 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 45 मामलों में शामिल ₹ 1.45 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की एवं वसूल की गई। विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैं:

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गई धनराशि		वसूल की गयी धनराशि		(₹ करोड़ में)
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	
2005-06	66	126	470.67	04	0.24	04	0.24	
2006-07	80	122	60.68	--	--	--	--	
2007-08	82	93	18.80	12	0.06	12	0.06	
2008-09	118	189	1,372.36	09	0.20	09	0.20	
2009-10	119	140	66.93	20	0.95	20	0.95	
योग	465	670	1,989.44	45	1.45	45	1.45	

### 3.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तियों के 190 इकाईयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में कर के अवनिधारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 231.03 करोड़ के 435 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि	(₹ करोड़ में)
1.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	40	39.86	
2.	देशी मदिरा की न्यूप्र०मा० का उठान न किया जाना	28	1.38	
3.	अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना	53	10.35	
4.	ब्याज का अनारोपण	33	0.91	
5.	अन्य अनियमितताएं	281	178.53	
योग		435	231.03	

वर्ष के दौरान, विभाग ने अवनिधारण एवं अन्य कमियों के 46 मामलों में ₹ 1.33 करोड़ स्वीकार एवं वसूल किये गये, जिसमें से ₹ 16,290 का एक मामला वर्ष 2010-11 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे।

₹ 1.03 करोड़ के कुछ निर्दर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

### 3.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में अल्कोहल का कम उत्पादन, टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) का मार्गस्थ छीजन, अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण, देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 का कम उठान किया जाना आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियाँ की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

### 3.8 माडल शापों के लाइसेंस फीस की सम्भावित हानि

#### तीन जिला आबकारी कार्यालय

दिनांक 11 फरवरी 2009 एवं 26 फरवरी 2010 को विज्ञापित राज्य आबकारी नीति के अनुसार, वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 या वर्ष के भाग के लिये माडल शाप के व्यवस्थापन के लिये लाइसेंस फीस ₹ 8 लाख निर्धारित की गई या उसी वर्ष में जिले में व्यवस्थित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सम्मिलित सर्वोच्च लाइसेंस फीस की धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो भी अधिक हो, परन्तु यह ₹ 22 लाख से अधिक नहीं होगी, निर्धारित की गई थी।

हमने मई 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य तीन जिला आबकारी कार्यालयों (जिओआ०का०) के अभिलेखों की जाँच में देखा कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये विदेशी मदिरा एवं बीयर की 44 माडल शापों<sup>1</sup> की लाइसेंस फीस ₹ 9.06 करोड़ निर्धारित की गयी थी। इन माडल शापों की

वास्तविक बिक्री के आधार पर वसूली योग्य लाइसेंस फीस ₹ 13.78 करोड़ थी। लेकिन माडल शापों की लाइसेंस फीस से वसूल की गयी वास्तविक लाइसेंस फीस में ₹ 22 लाख की ऊपरी सीमा लगाने के कारण विभाग को ₹ 4.72 करोड़<sup>2</sup> के लाइसेंस फीस की हानि हुयी, इन माडल शापों से वसूल की गयी वास्तविक लाइसेंस फीस से वास्तविक बिक्री के आधार पर उद्ग्रहणीय लाइसेंस फीस 16.52 प्रतिशत से 109.73 प्रतिशत उच्च थी।

<sup>1</sup> माडल शाप एक लाइसेंस दुकान है, जो निगम, शहर, नगर पालिका के वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित हो, तथा कम से कम 600 वर्ग फुट कार्पेट क्षेत्रफल एवं मदिरा पिलाने की सुविधा भी हो।

<sup>2</sup> ₹ 13.78 करोड़–₹ 9.06 करोड़ = ₹ 4.72 करोड़

(₹ लाख में)

क्रम सं०	इकाई का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	वास्तविक वसूली गयी लाइसेंस फीस	माडल शाप की वास्तविक बिक्री के आधार पर कुल लाइसेंस फीस	माडल शाप से वास्तविक वसूल की गयी लाइसेंस फीस के सापेक्ष उच्च प्रतिशत	लाइसेंस फीस की कम वसूली
							जब माडल शाप की वास्तविक बिक्री के आधार पर लाइसेंस फीस की तुलना की गयी
1.	जि०आ०का०, जी०बी०नगर	2009-10	16	352.00	410.15	16.52	58.15
		2010-11	16	352.00	553.45	57.23	201.45
2.	जि०आ०का०, गाजियाबाद	2010-11	01	22.50	37.69	67.51	15.19
3.	जि०आ०का०, मुजफ्फरनगर	2010-11	11	179.56	376.60	109.73	197.04
	योग		44	906.06 या 9.06 करोड़	1377.89 या 13.78 करोड़	52.07	471.83 या 4.72 करोड़

माडल शाप की लाइसेंस फीस में ऊपरी सीमा लगाये जाने के परिणामस्वरूप उक्त तीन जिलों में ₹ 4.72 करोड़ की हानि हुई।

हमने यह भी देखा कि वर्ष 2008-09 एवं आगे सीलिंग लगाया जाना विभाग द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव का एक अंग था। यद्यपि आँकड़े उपलब्ध होते हुये भी विभाग ने सीलिंग लगाये जाने के कारण होने वाले राजस्व हानि का परीक्षण नहीं किया। विभाग द्वारा भेजा गया प्रस्ताव शासन द्वारा यथावत् अनुमोदित किया गया था, हमारा मत है कि गलत प्रस्ताव के कारण केवल इन तीन जि०आ०का० में ही न्यूनतम् ₹ 4.72 करोड़ की लाइसेंस फीस कम वसूल हो पायी।

हमने प्रकरण मई 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर-2011) कि नीति के अनुसार लाइसेंस फीस का निर्धारण एवं आवंटन किया गया था और वे अगली आबकारी नीति तैयार करते समय सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण करने पर विचार करेंगे।

### 3.9 | शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन

#### दस आसवनियों<sup>3</sup>

उ.प्र.आबकारी आसवनियों के कार्यकलाप (संशोधन) नियमावली, 1978 के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से न्यूनतम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए०एल०) अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिये। इस उद्देश्य से आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे से मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट को जाँच के लिये भेजा जाना अपेक्षित है। शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर अन्य शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किया जा सकता है तथा जमानत के रूप में जमा प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

ए०एल० का कम उत्पादन हुआ। इसे इन आसवनियों में कुल पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन के समानुपातिक रूप से बाँटने के उपरांत, हमने पाया कि 0.66 लाख ए०एल० पेय अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ था, जिसमें ₹ 2.79 करोड़ का राजस्व निहित था जैसा कि परिशिष्ट –VII में दर्शाया गया है। तीन प्रकरणों<sup>4</sup> को आबकारी आयुक्त द्वारा प्रश्नापत्र किया गया था और ₹ 1.05 लाख की शास्ति आरोपित की गयी थी, लेकिन प्रतिभूति धनराशि<sup>5</sup> को जब नहीं किया गया था। विभाग ने अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार इन आसवनियों के लाइसेंसों को रद्द नहीं किया।

हमने प्रकरण को सितम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2011) कि शोधित आसव एक औद्योगिक अल्कोहल है और यह मानव पेय—मदिरा (एल०एच०सी०) के उत्पादन हेतु कच्चा माल है तथा कर केवल एल०एच०सी० पर ही आरोपित किया जा सकता है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमने उपर्युक्त आपत्ति में उक्त तथ्य को पूर्व में ही संज्ञान में लिया था और केवल एल०एच०सी० के सापेक्ष में हुये कम उत्पादन के कारण हुई हानि को ही इंगित किया गया है।

हमने देखा कि अप्रैल 2009 से नवम्बर 2010 के दौरान 3.08 लाख कुन्तल शीरे के मिश्रित नमूने शर्करा की मात्रा के निर्धारण हेतु अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट को भेजे गये थे। उनके रिपोर्ट के आधार पर शीरे में मौजूद 1.19 लाख कुन्तल किण्वीय शर्करा से 62.61 लाख ए०एल० अल्कोहल उत्पादित होना चाहिये था। जिसके विरुद्ध अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 61.67 लाख ए०एल० हुआ था, जिससे कुल 0.94 लाख

<sup>3</sup> मोदी आसवनी गाजियाबाद, सिम्बौली आसवनी गाजियाबाद, लार्ड्स आसवनी गाजीपुर, इण्डिया ग्लायकोल आसवनी गोरखपुर, एन०आई०सी०एल० आसवनी मुरादाबाद, सर सादीलाल आसवनी मुजफ्फरनगर, शामली आसवनी मुजफ्फरनगर, मझौला आसवनी पीलीभीत, पिलखनी आसवनी सहारनपुर एवं यू०डी०बी०एल० आसवनी, उन्नाव।

<sup>4</sup> एन०आई०सी०एल० आसवनी मुरादाबाद (₹ 50,000), शामली आसवनी मुजफ्फरनगर (₹ 5,000) एवं पिलखनी आसवनी, सहारनपुर (₹ 50,000)।

<sup>5</sup> आवेदक द्वारा प्रतिभूति धनराशि ₹ 5 लाख नकद एवं ₹ 15 लाख फिक्स डिपाजिट रसीद जमा करने के उपरांत आसवनी को कार्य करने हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है।

### 3.10 सी०एस०डी० कैन्टीन से लाइसेंस फीस की वसूली न किया जाना

#### नौ जिला आबकारी कार्यालय<sup>6</sup>

दिनांक 1.4.2010 से प्रभावी आबकारी आयुक्त उ०प्र० की अधिसूचना सं. 25693/ दस/ लाइसेंस-210 /एस०एस०डी०/2010-11 दि० 29 मार्च 2010 के अनुसार, विदेशी मदिरा/रम एवं बीयर के कैन्टीन स्टोर डिपो (सी०एस०डी०) कैन्टीन लाइसेंस एफ०एल० 9/9ए की लाइसेंस फीस आबकारी आयुक्त द्वारा सम्बंधित वर्ष हेतु सिविल के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस के 50 प्रतिशत के समतुल्य आरोपणीय था। इस अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2010-11 में सी०एस०डी० कैन्टीन के लिये विदेशी मदिरा/रम एवं बीयर की लाइसेंस फीस क्रमशः ₹ 13 एवं ₹ 2.50 प्रति बोतल थी।

इसके बजाय आबकारी आयुक्त द्वारा 27 मई 2010 को पुनः एक निर्देश निर्गत किया। हमने इंगित किया कि अधिसूचना के लागू न किये जाने के कारण राजस्व क्षति हुयी, इसके पश्चात् विभाग द्वारा पुनः 3 जनवरी 2011 को अधिसूचना जारी की गयी, जिसके द्वारा लागू होने की तिथि परिवर्तित कर 1 जुलाई 2010 इस प्राविधान के साथ की गयी थी कि 1 जुलाई 2010 से पूर्व लाइसेंसियों द्वारा जमा लाइसेंस फीस न तो वापस होगी और न ही समायोजित होगी।

यह प्रमाणित है कि जब हमने केवल राजस्व क्षति की ओर इंगित किया, फिर भी विभाग द्वारा लाइसेंस फीस की क्षति ₹ 1.66 करोड़ की वसूली के बजाय बिलम्ब से कार्यान्वयन को छुपाने के उद्देश्य से पूर्व में अधिसूचित संग्रहण की लागू तिथि को परिवर्तित कर दिया गया।

हमने प्रकरण दिसम्बर 2010 एंव अगस्त 2011 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2011) कि रक्षा कैन्टीनों से वसूली सम्भव नहीं है। भविष्य में, परिपत्रों का समय से निर्गम करना सुनिश्चित किया जायेगा। यह उत्तर नियंत्रण एवं अनुश्रवण में हुयी कमी के हमारे बिन्दुओं को बल प्रदान करता है।

हमने देखा कि अप्रैल 2010 से जून 2010 की अवधि के दौरान एफ०एल० 9/9ए<sup>7</sup> कैन्टीन लाइसेंसियों द्वारा विदेशी मदिरा/रम की 12,34,870 बोतलें एवं बीयर की 2,08,898 बोतलें आपूर्ति की गयी थी, जिसके लिये ₹ 1.66 करोड़ लाइसेंस फीस आरोपणीय था। उक्त धनराशि के निर्धारण एवं वसूली नहीं की गयी,

<sup>6</sup> इलाहाबाद, बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ व वाराणसी।

<sup>7</sup> सेना के कैन्टीन व्यवस्था के अन्तर्गत एफ०एल०-9/9ए के रूप में लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

### 3.11 टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन के कारण राजस्व क्षति

#### पाँच आसवनियाँ<sup>8</sup>

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली 1974 के नियम 8, 20 एवं 25 के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) पर कोई मार्गस्थ छीजन (ट्रांजिस्ट लास) अनुमत्य नहीं है। अग्रेतर, आबकारी आयुक्त के मई 1995, के परिपत्र के अनुसार टी0आर0एस0 में अधिकतम् 12 प्रतिशत अकिण्वीय शर्करा विद्यमान होता है और इस प्रकार एक कुन्तल टी0आर0एस0 से 46.2 अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) अल्कोहल उत्पादित हो सकता है।

हमने देखा कि जुलाई 2009 से अक्टूबर 2010 के दौरान शीरे के परिवहन करते समय चीनी मिलों द्वारा निर्गत की गयी परिवहन पास में दर्शायी गयी मात्रा

में 0.02 से 6 प्रतिशत के मध्य टी0आर0एस0 की हानि हुई थी, जिन्हें आसवनियों के निरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था। आसवनियों द्वारा 849.051 कुन्तल टी0आर0एस0 कम प्राप्त किया गया, जिससे 39226.42

ए0एल0 अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता था। इन आसवनियों<sup>9</sup> में उत्पादित कुल पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल को समानुपात में बाँटने के उपरांत हमने पाया, कि ₹ 1.56 करोड़ आबकारी राजस्व सन्निहित 37,072.65 ए0एल0 पेय अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता था, जैसा कि परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण नवम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर-2011), कि शोधित आसव एक औद्योगिक अल्कोहल है, जो कि मानव पेय मंदिरा (एल0एच0सी0) के उत्पादन के लिये कच्चा माल है और कर केवल एल0एच0सी0 पर ही आरोपणीय है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि हमने उपर्युक्त आपत्ति में इस तथ्य को पूर्व में ही संज्ञान में लिया था और केवल एल0एच0सी0 के सापेक्ष हुये कम उत्पादन के कारण हुई हानि को ही इंगित किया गया है।

<sup>8</sup> नानपारा आसवनी, बहराइच, केसर इंस्टर प्राइसेस लि. आसवनी, बहेड़ी बरेली, लार्डस् आसवनी, गाजीपुर, आई0जी0एल0 आसवनी गोरखपुर एवं सर सादीलाल आसवनी, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर

<sup>9</sup> आई0जी0एल0 आसवनी गोरखपुर का 629.43 ए0एल0 और 1105.80 ए0एल0 औद्योगिक उत्पादन वर्ष 09-10 एवं 2010-11 और सर सादीलाल आसवनी मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर का 418.54 ए0एल0 औद्योगिक उत्पादन को वर्ष 2010-11 में निकाल दिया गया है।

### 3.12 अर्थदण्ड का अनारोपण

#### आठ चीनी मिल<sup>10</sup>

उम्रोशीरा नियंत्रण नियमावली 1974 के नियम 27 में आबकारी स्टाफ द्वारा एम०एफ० 4 पासेज का सत्यापन प्रावधानित है जिस (गेट पास से चीनी मिल द्वारा आसवनी को शीरा प्रेषित किया जाता है)। आसवनी में शीरे की प्राप्ति की अभिस्थीकृति के साथ आसवनी द्वारा एक सप्ताह के अंदर गेट पास को वापस कर देना चाहिये। चीनी मिल के आबकारी विभाग के स्टाफ द्वारा वापस प्राप्त हुये एम०एफ०-4 गेट पास को अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करना चाहिये, कि अधिकृत आसवनी द्वारा एम०एफ०-4 गेट पास में अंकित शीरे की मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप प्राप्त किया गया था। उम्रोशीरा नियंत्रण अधिनियम की धारा-11 के अनुसार नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिये अर्थदण्ड देय है जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और सतत उल्लंघन पर अतिरिक्त दण्ड देय है जिसे सतत उल्लंघन के दौरान ₹ 100 प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है।

हमने मई 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य एम०एफ०-4 गेट पास की लेखा परीक्षा के दौरान देखा और पाया, कि वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010-11 के अवधि में 2544 एम०एफ०-4 गेट पास<sup>11</sup> औसतन आठ सप्ताह विलम्ब से वापस प्राप्त हुये थे। विभागीय अधिकारियों ने आसवनियों द्वारा विलम्ब से वापस किये गये गेट पासों को संज्ञान में नहीं लिया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ तक का अर्थदण्ड अनारोपित रहा।

हमने नवम्बर-2010 एवं अगस्त-2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रकरण प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2011) कि एक प्रकरण में कुल निर्धारित दण्ड ₹ 11.84 लाख के विरुद्ध ₹ 59,000 धनराशि का शमन किया जा चुका है। हमारी राय है कि केवल शमन धनराशि जो कि कुल आरोपणीय दण्ड का मात्र पाँच प्रतिशत है के आरोपण के बजाय धारा-11 के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिये।

<sup>10</sup> ओसवाल चीनी मिल, नवाबगंज बरेली, निवेली चीनी मिल, निवेली, एटा, इण्डोगल्फ इण्डस्ट्रीज, मैजापुर, गोण्डा, सरैया चीनी मिल, सरदार नगर, गोरखपुर, डी०एस०सी०एल० चीनी मिल, रूपापुर, हरदोई, चढ़ढा चीनी मिल, जै०पी०नगर, डी०एस०सी०एल० चीनी मिल, अजबापुर, लखीमपुर खीरी एवं कुम्ही चीनी मिल, कुम्ही, लखीमपुर खीरी।

<sup>11</sup> प्रभारी अधिकारी तुरंत ही प्राप्त किये गये शीरे की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण करेगा, तथा उसके द्वारा किये गये परीक्षण एवं सत्यापन के परिणाम को एम०एफ० 4 गेट पास के पीछे अभिलिखित करेगा, जो कि प्रत्येक प्रेषित माल के साथ ग्राही चीनी फैक्ट्री में द्वितीय कापी में प्राप्त होता है।

### 3.13 विदेशी मदिरा की दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण

#### 11 जिला आबकारी कार्यालय<sup>12</sup>

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों के व्यावस्थापन) नियम 2002 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत फुटकर विदेशी मदिरा की दुकानों के वार्षिक लाइसेंस फीस वर्तमान वर्ष में बिक्रीत बोतलों की संख्या के आधार पर आरोपणीय है। नयी आबकारी नीति के अंतर्गत, बिक्रीत बोतलों की संख्या का आगणन दस माहों में वास्तविक बिक्री जो कि अप्रैल से जनवरी तक और फरवरी व मार्च की काल्पनिक बिक्री (अप्रैल से जनवरी का एक 1/5 ) के आधार पर किया जाना था।

हमने देखा कि वर्ष 2009–10 के लिये 138 विदेशी मदिरा दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस दस माहों की वास्तविक बिक्री जो कि अप्रैल 2008 से जनवरी 2009 तक और फरवरी एवं मार्च 2009 की काल्पनिक बिक्री के आधार पर निर्धारित की गयी थी। इसी प्रकार वर्ष 2010–11 के लिये, लाइसेंस फीस अप्रैल 2009 से जनवरी 2010 तक वास्तविक बिक्री

और फरवरी एवं मार्च 2010 की काल्पनिक बिक्री के आधार पर निर्धारित की गयी थी। कुल लाइसेंस फीस क्रमशः ₹ 2.75 करोड़ एवं ₹ 2.68 करोड़ क्रमशः दो वर्षों हेतु निर्धारित किया गया था। दोनों वर्षों की लाइसेंस फीस बोतलों की वास्तविक बिक्री जो कि विगत वर्ष की फरवरी व मार्च की बिक्री और वर्तमान वर्ष की अप्रैल से जनवरी की वास्तविक बिक्री के आधार पर वर्ष 2009–10 के लिये ₹ 3.08 करोड़ व वर्ष 2010–11 के लिये ₹ 2.97 करोड़ थे। इस प्रकार शासन ₹ 62.32 लाख (₹ 33.14 लाख + ₹ 29.18 लाख) लाइसेंस फीस के राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा, जैसा कि परिशिष्ट–IX में दर्शाया गया है।

हम शासन से सिफारिश करते हैं कि राजस्व हित में वार्षिक लाइसेंस फीस का निर्धारण गत 12 माहों के वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाना चाहिये।

हमने प्रकरण मई 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2011) कि विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानों पर अध्ययन के पश्चात् यदि वास्तविक बिक्री के आधार पर राजस्व में वृद्धि होती है, तो आगामी वर्ष की आबकारी नीति में वे इस पर विचार करेंगे।

<sup>12</sup> जिओआ०का०:- बिजनौर, एटा, फर्लखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हाथरस, जालौन, झौसी, लखीमपुरखीरी, एवं उन्नाव

### 3.14 देशी मंदिरा के न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्रा का कम उठान के कारण आबकारी शुल्क की हानि

#### तीन जिला आबकारी कार्यालय

उपरोक्त आबकारी(देशी मंदिरा के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियमावली 2002) के अन्तर्गत, आबकारी आयुक्त के परिपत्र दिनांक 9 मार्च 2009, के अनुसार, अनुज्ञापी को माह मार्च में न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्रा (न्यूप्र०मा०) का कम से कम 80 प्रतिशत उठान किया जाना है। यदि अनुज्ञापी इसे करने में असफल रहता है, तो लाइसेंस फीस अनुज्ञापियों की जमा प्रतिभूति से समायोजित किया जायेगा।

के अंतरीय धनराशि ₹ 39.13 लाख विभाग द्वारा अनुज्ञापियों की जमा प्रतिभूति से समायोजित नहीं किया गया। विवरण जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	अनुज्ञापनों की संख्या	मासिक न्यूप्र०मा० (ब० ली० मे०)	मासिक न्यूप्र०मा० का 80% (ब० ली० मे०)	मार्च 2009 एवं मार्च 2010 में न्यूप्र०मा० का उठान (ब०ली० मे०)	कम उठान (ब०ली० मे०)	(₹ लाख मे०) आबकारी शुल्क की क्षति
1.	जि०आ०आ०, प्रतापगढ़	62	34,903.49 मार्च ,2010	27,922.79	15,351.02	12,571.77	13.58
2.	जि०आ०आ० सीतापुर	80	41,444.02 मार्च, 2009	33,155.22	12,496.40	20,658.82	21.49
3	जि०आ०आ० वाराणसी	17	24,246.60 मार्च ,2010	19,397.3	15,633.47	3,763.83	4.06
	योग	159	1,00,594.11	80,475.31	43,480.89	36,994.42	39.13

हमने प्रकरण अप्रैल 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर में (सितम्बर 2011) हमारे राजस्व क्षति के आकलन को स्वीकार किया और बताया कि 159 मामलों में से 152 मामलों में ₹ 37.30 लाख की धनराशि वसूली की जा चुकी है एवं शेष धनराशि की वसूली प्रक्रिया में है।

### 3.15 देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी शुल्क वसूला न जाना

#### चार जिला आबकारी कार्यालय

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रत्येक अनुज्ञापी, प्रत्येक अनुज्ञापन के लिए निर्धारित समस्त मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यूप्र०मा०) को उठाने के लिए उत्तरदायी है। असफल होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापी की जमा प्रतिभूति से अनुज्ञापन शुल्क की बकाया अवशेष धनराशि का समायोजन करेगा तथा अगले माह की तीसरी तारीख तक अनुज्ञापी को नोटिस भी देगा कि वह प्रतिभूति की राशि की कमी को, या तो पुनः देशी मदिरा की उतनी मात्रा जिसमें समायोजित धनराशि के बराबर निहित शुल्क हो, उठाकर अथवा नकद जमा कर या फिर दोनों ही विकल्पों द्वारा पूरा करे। यदि अनुज्ञापी आगामी माह की 10 तारीख तक प्रतिभूति की राशि की कमी को पूरा करने में विफल रहता है तो उसका अनुज्ञापन निरस्त समझा जायेगा।

हमने (सितम्बर 2010 से मार्च 2011 के मध्य) चार जिलों के अभिलेखों में देखा कि वर्ष 2009–10 में 39 अनुज्ञापियों ने देशी शराब की न्यूप्र०मा० 5.30 लाख ब०ली० के सापेक्ष 5.05 लाख ब०ली० का उठान किया। देशी शराब की सम्पूर्ण न्यूप्र०मा० का वर्ष के दौरान उठान करने पर इस कम उठान की गई 25,217.42 ब०ली० मदिरा पर अन्तरीय अनुज्ञापन शुल्क की धनराशि ₹ 27.24 लाख की वसूली अनुज्ञापियों से की जानी थी। फिर भी विभाग द्वारा धनराशि को जमा प्रतिभूति से समायोजन या लाइसेंस के निरस्तीकरण हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। इसके फलस्वरूप आबकारी शुल्क ₹ 27.24 लाख की वसूली नहीं हुई। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र०सं०	इकाई का नाम	देशी मदिरा के अनुज्ञापियों की संख्या	वार्षिक न्यूप्र०मा० (ब०ली०में)	न्यूप्र०मा० की वास्तविक उठान की मात्रा (ब०ली०में)	अंतर (कम उठान की मात्रा) (ब०ली० में)	(₹ लाख में) देशी आबकारी शुल्क
1.	जिलों का, गाजीपुर	15	1,91,586.00	1,88,911.65	2,674.35	2.89
2.	जिलों का, फर्रुखाबाद	05	1,32,898.00	1,19,105.00	13,793.00	14.90
3	जिलों का, झौंसी	8	92,849.00	88,608.50	4,240.50	4.58
4	जिलों का, वाराणसी	11	1,13,137.00	1,08,627.43	4509.57	4.87
	योग	39	5,30,470	5,05,252.58	25,217.42	27.24

हमने प्रकरण नवम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 में विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। शासन ने हमारी टिप्पणी स्वीकार्य करते हुए बताया (सितम्बर 2011) कि 25 मामलों में ₹ 4.52 लाख की धनराशि की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों की वसूली प्रक्रिया में है।

### 3.16 शीरे के निर्गम पर देय प्रशासनिक शुल्क का भुगतान न किया जाना

शासनादेश दिनांक 9 नवम्बर 2005 एवं 13 दिसम्बर 2006 के अनुसार, वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर शीरे की आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क क्रमशः ₹ 11 एवं ₹ 15 प्रति कुन्तल था।

तक उत्पादित शीरे का अवशेष भण्डार 1,65,466.40 कुन्तल की आपूर्ति प्रदेश के अंदर किया गया, किन्तु मिल द्वारा प्रशासनिक शुल्क ₹ 14.84 लाख<sup>14</sup> जमा नहीं किया गया। इस प्रकार शासन उक्त राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

हमने प्रकरण को जून 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2011) कि छूट प्राप्ति के दिनांक (23 फरवरी 2007) के बाद शीरे का विक्रय/आपूर्ति की गयी थी, जिस पर प्रशासनिक शुल्क आरोपणीय नहीं था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि मिल द्वारा छूट प्राप्ति के दिनांक से पूर्व उत्पादित शीरे का अवशेष भण्डार की बिक्री/आपूर्ति की गयी थी और जिस पर स्पष्टतः प्रशासनिक शुल्क देय है।

### 3.17 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

#### तीन जिला आबकारी कार्यालय

उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38(अ) के अंतर्गत जहाँ कोई भी आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, उक्त आबकारी राजस्व पर देय तिथि से भुगतान तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है।

तालिका में दर्शाया गया है:

क्र0 सं0	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	बकाये का वर्ष	ब्याज गणना की अवधि	बकाया धनराशि	विलम्बित अवधि (दिनों में)	(₹ लाख में) विलम्बित भुगतान पर <sup>13</sup> आरोपणीय ब्याज
1.	जिओआ०का०, एटा	3	2002-03	01.04.03 से 04.04.09	1.75	475 से 2194	1.63
2.	जिओआ०का०, ललितपुर	1	2002-03	01.04.03 से 26.10.09	3.59	2399	4.25
3.	जिओआ०का०, सन्त रविदास नगर	9	2001-02	01.04.02 से 30.08.10	8.55	240 से 3072	4.33
		4	2003-04	01.04.03 से 15.02.07	1.48	636 से 1415	0.71
		17			15.37	240 से 3072	10.92

<sup>13</sup> अकबरपुर चीनी मिल (बलरामपुर चीनी मिल की एक इकाई), अम्बेडकरनगर

<sup>14</sup> ₹ 18.20 लाख – ₹ 3.36 लाख भुगतान = ₹ 14.84 लाख

हमने प्रकरण जून 2010 व अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था। शासन ने हमारे निरीक्षण पर सहमति के साथ में बताया (सितम्बर 2011) कि ₹ 8,251 धनराशि की वसूली की जा चुकी है, और शेष मामलों में वसूली प्रक्रिया में है।

### 3.18 अतिकाल फीस का कम आरोपण

#### तीन आसवनियाँ

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत और मार्च 2007 की अधिसूचना के अनुसार यदि आसवनी में तैनात आबकारी स्टाफ की किसी अवकाश या रात में आसवनी में उपस्थित होने की आवश्यकता हो तो आसवक को शासन को प्रति घंटे या उसके भाग के लिये जो कि 15 मिनट से कम नहीं होगा, सम्बन्धित कर्मचारी के औसत वेतन के चार गुना धनराशि के समतुल्य भुगतान करना आवश्यक होगा। उक्त धनराशि कार्य दिवस के दौरान दिन में किये गये अतिकाल के लिये सम्बन्धित कर्मचारी के औसत वेतन के दो गुना होगा। धनराशि शीर्ष “0039 राज्य आबकारी—अन्य प्राप्तियाँ” में जमा किया जाना है।

हमने फरवरी 2010 से जनवरी 2011 के मध्य तीन आसवनियों<sup>15</sup> के अभिलेखों में देखा कि वेतन के पुनरीक्षण और समय-2 पर देय महँगाई भत्ते के कारण, विभाग को अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2010 की अवधि के लिये अतिकाल फीस के अंतरीय धनराशि ₹ 10.45 लाख माँग करना था। विभाग द्वारा उक्त की माँग नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, सम्बन्धित आसवनियों नहीं किया गया था।

हमने प्रकरण मार्च 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2011) कि ₹ 10.28 लाख धनराशि की वसूली की जा चुकी है और शेष धनराशि की वसूली हेतु प्रयास जारी है।

हमने फरवरी 2010 से जनवरी 2011 के मध्य तीन आसवनियों<sup>15</sup> के अभिलेखों में देखा कि वेतन के पुनरीक्षण और समय-2 पर देय महँगाई भत्ते के कारण, विभाग को अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2010 की अवधि के लिये अतिकाल फीस के अंतरीय धनराशि ₹ 10.45 लाख माँग करना था। विभाग द्वारा उक्त की माँग नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, सम्बन्धित आसवनियों नहीं किया गया था।

<sup>15</sup> सरैया आसवनी गोरखपुर, डालभियाँ आसवनी सीतापुर और उन्नाव आसवनी एवं यवात्तवनी लिंग उन्नाव।

## अध्याय-IV

### माल एवं यात्री वाहनों पर कर

#### 4.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0 या0क0 अधिनियम), उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा मोटरयान नियमावली, 1989 में विभिन्न प्रकार के करों जैसे माल कर, अतिरिक्त कर (यात्रीकर) एवं फीस आदि के आरोपण का प्रावधान है।

करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छ: उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0आ0) तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0आ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है।

#### 4.2 संग्रह की लागत

वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान माल एवं यात्री वाहनों पर कर का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे अंकित है:

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत (₹ करोड़ में)
2008–09	1,391.15	50.43	3.62	2.58
2009–10	1,674.55	69.16	4.13	2.93
2010–11	2,058.58	78.13	3.80	3.07

यद्यपि परिवहन विभाग की संग्रह की लागत में वर्ष 2010–11 में कमी आई है, यह अब भी अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

विभाग को संग्रह की लागत को कम करने हेतु समुचित उपाय करने की आवश्यकता है।

#### 4.3 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

विगत पाँच वर्षों के दौरान (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन को छोड़कर), हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, गलत छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,295 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 273.71 करोड़ का राजस्व निहित था। इनमें से विभाग/शासन ने 198 मामलों में निहित ₹ 5.53 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की तथा ₹ 3.79 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गयी धनराशि		(₹ करोड़ में)
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	
2005–06	41	250	20.45	3	1.73	1	0.02	
2006–07	48	243	14.01	3	0.21	3	0.18	
2007–08	62	213	94.45	4	0.25	4	0.25	
2008–09	71	344	118.34	148	2.49	148	2.49	
2009–10	71	245	26.46	40	0.85	40	0.85	
योग	<b>293</b>	<b>1295</b>	<b>273.71</b>	<b>198</b>	<b>5.53</b>	<b>196</b>	<b>3.79</b>	

अधिक संख्या में लेखापरीक्षा निरीक्षण लम्बित रहने की दृष्टि में, शासन नियमित अन्तराल में प्रस्तरों के त्वरित निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन करना सुनिश्चित करें।

#### 4.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010–11 के दौरान परिवहन विभाग से सम्बन्धित 71 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 29.54 करोड़ के 369 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

क्रम सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि	(₹ करोड़ में)
1.	मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	--	
2.	यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/कम आरोपण	120	18.24	
3.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	70	6.46	
4.	माल कर का कम आरोपण	13	0.47	
5.	अन्य अनियमिततायें	165	4.37	
योग		<b>369</b>	<b>29.54</b>	

वर्ष के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों में ₹ 6.44 करोड़ के 263 मामलों को स्वीकार किया जो विगत वर्ष में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे। यह धनराशि वसूली जा चुकी है।

“मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और ₹ 2.46 करोड़ निहित के कुछ निदर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

## 4.5 मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण

### मुख्य अंश

- सारथी साफ्टवेयर और वाहन साफ्टवेयर के प्रवर्तन माड्यूल स्थापित नहीं किये गये।  
(प्रस्तर 4.5.7.4)
- वर्ष 2006–07 तक स्मार्ट कार्ड्स निर्गत किये जाने थे लेकिन विभाग ने अभी तक स्मार्ट कार्ड्स निर्गत करना आरम्भ नहीं किया है।  
(प्रस्तर 4.5.7.5)
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों में निहित नागरिकों को आनलाइन सेवायें उपलब्ध नहीं हैं।  
(प्रस्तर 4.5.7.6)
- 62,79,933 वाहनों का आकड़ा डिजिटाइज नहीं था परिणामतः स्टेट रजिस्टर के साथ ही साथ नेशनल रजिस्टर अधूरा रहा।  
(प्रस्तर 4.5.10)
- राज्य के स०प०/स०स०प० अधिकारियों के मध्य आपस में अन्तर्सम्बद्धता स्थापित नहीं थी।  
(4.5.11)
- विभिन्न मैण्डेटरी फील्ड्स की सूचनायें संग्रहीत नहीं थीं परिणामतः डाटाबेस में सूचनायें अपूर्ण रहीं।  
(4.5.14.2)
- डाटा वैलिडेशन की कमी के कारण डाटाबेस में एक ही प्रकार के चेसिस नम्बर, इन्जन नम्बर तथा इन्श्योरेंश कवर नोट नम्बर विद्यमान थे।  
(4.5.14.4)

### 4.5.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम (1988) और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली (1989), उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत दूसरी ऐसी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मोटरयानों पर कर, शुल्क, परमिट तथा दण्ड शुल्क के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। विभाग द्वारा निष्पादित किया जाने वाला मुख्य कार्य वाहनों का पंजीयन तथा चालक अनुज्ञाप्तियों का निर्गमन है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स०प०रा०मा०म०) ने जनवरी 2001 में सभी राज्यों को निर्देशित किया था कि वे चालक अनुज्ञाप्तियों के निर्गमन एवं वाहनों के पंजीयन और एक डाटाबेस जिससे कि मोटरयानों तथा चालक अनुज्ञाप्तियों हेतु एक नेशनल रजिस्टर बनाया जा सके, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक केन्द्र (एन०आई०सी०) द्वारा फृण्ट एण्ड एवं बैक एण्ड प्रयोग के लिए एक मानक डाटा प्रारूप अपनायें। स०प०रा०मा०म० के निर्देश में तीव्र और बेहतर सेवा, पारदर्शिता, राज्य के राजस्व की मानीटरिंग और सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का आधुनिकीकरण तथा उनके अन्तर्संयोजन

द्वारा मोटरयानों तथा चालक अनुज्ञापियों का एक स्टेट रजिस्टर एवं नेशनल रजिस्टर बनाना एवं उसका रख-रखाव निहित था। साफ्टवेयर बहुस्तरीय<sup>1</sup> संरचना पर निर्मित है। यह डी काम सर्वर जो कि मध्य स्तर के रूप में कार्य करता है और विण्डोज सर्वर तथा लाइनेक्स सर्वर का प्रयोग करते हुए ओरेकिल 10 जी के प्लेटफार्म पर विकसित था।

राज्य के परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 1998–99 में प्रारम्भ हुआ तथा जुलाई 2010 में पूर्ण हुआ (नव सृजित जनपद छत्रपति साहूजी महाराज नगर को छोड़कर)। राज्य के परिवहन कार्यालयों में वाहन साफ्टवेयर का क्रियान्वयन अक्टूबर 2006 में प्रारम्भ हुआ और जुलाई 2010 तक पूर्ण हुआ। ये कार्यालय वाहन साफ्टवेयर के प्रयोग से छपे हुए फार्म पर वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं। सरकार ने सारथी साफ्टवेयर द्वारा स्मार्ट कार्ड पर चालक अनुज्ञाप्ति निर्गत करने हेतु सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने के लिये किसी बाह्य एजेन्सी को नियत नहीं किया है और इसलिए अभी तक सारथी साफ्टवेयर की स्थापना एवं उसका क्रियान्वयन राज्य के परिवहन कार्यालयों में नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश के “मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण” पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा की गई जिसमें कई प्रक्रियात्मक तथा अनुपालन सम्बन्धी कमियाँ पाई गई जो आगे के प्रस्तरों में वर्णित हैं।

#### 4.5.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष है। परिवहन विभाग का सम्पूर्ण दायित्व परिवहन आयुक्त, लखनऊ में निहित है जिसकी सहायतार्थ मुख्यालय पर दो अतिरिक्त परिवहन आयुक्त एवं परिक्षेत्र स्तर पर छ: उप परिवहन आयुक्त हैं। राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिए सम्भाग स्तर पर 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा जनपद स्तर पर 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी हैं।

#### 4.5.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पन्न की गई कि क्या:

- वाहन एवं सारथी का राज्य में चरणबद्ध क्रियान्वयन की रूपरेखा को निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्राप्त किया गया।
- स्थापित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली सम्पूर्ण तथा माझ्यूल वार सही थी।
- राज्य के विभिन्न सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के मध्य वाहनों एवं चालक अनुज्ञापियों का स्टेट रजिस्टर एवं नेशनल रजिस्टर बनाने हेतु सम्बद्धता स्थापित हुई।
- कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय परमिट सिस्टम का अपनी योजना के अनुसार क्रियान्वयन हुआ और परियोजना के उद्देश्य प्राप्त किए गए।
- ऑकड़ों की सत्यता, सुरक्षा और आडिट ट्रेल को सुनिश्चित करने हेतु सामान्य और सुरक्षात्मक नियंत्रण विद्यमान थे।
- परियोजना के क्रियान्वयन पर निगाह रखने के लिए कोई आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि थी।

<sup>1</sup> बहुस्तरीय संरचना से न्यूनतम तीन तार्किक स्तरों अथवा भागों वाले अनुप्रयोग की संरचना, जो अलग-अलग हों, अभिप्रेत है।

#### 4.5.4 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्रदेश की 71 इकाइयों<sup>2</sup> को वर्ष 2010-11 में उनकी राजस्व वसूली को आधार मानकर उच्च, मध्यम एवं निम्न रिस्क इकाइयों में विभाजित किया गया। रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर कुल 15 स०प०अ० / स०स०प०अ० कार्यालयों<sup>3</sup> (5 स०प०अ० एवं 10 स०स०प०अ०) का उच्च, मध्यम एवं निम्न रिस्क की श्रेणियों में चयन किया गया जो कि कुल 1,32,87,232 वाहनों का 33.41 प्रतिशत था तथा कुल राजस्व ₹ 1,816.89 करोड़ का 30.62 प्रतिशत था।

हमने कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों में नवम्बर 2000, जब से योजना प्रारम्भ हुई से जुलाई 2011 (सम्पूर्ण होने तक) की अवधि का लेखा परीक्षा किया। हमने परिवहन आयुक्त लखनऊ एवं चयनित स०प०अ० / स०स०प०अ० से 27 जून 2011 से 3 सितम्बर 2011 के मध्य ऑकड़े प्राप्त किए तथा अनुप्रयोग नियंत्रणों का विश्लेषण किया।

#### 4.5.5 अभिस्वीकृति

परिवहन विभाग द्वारा लेखा परीक्षा को आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए हम आभारी हैं। समीक्षा के उद्देश्य एवं लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र के विषय में परिवहन आयुक्त के साथ जुलाई 2011 में प्रारम्भिक बैठक की गई। उत्तर प्रदेश सरकार तथा विभाग को समीक्षा की एक प्रति अक्टूबर 2011 में प्रेषित की गई। दिसम्बर 2011 में विभाग के अपर परिवहन आयुक्त के साथ समापन बैठक की गई। विभाग द्वारा समय-समय पर तथा समापन बैठक के समय दिये गये उत्तरों को सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित कर लिया गया है।

#### 4.5.6 कर संग्रहण एवं बकाया

राज्य परिवहन विभाग में 2004-05 से 2010-11 के दौरान बकाया, देय कर एवं इसके संग्रहण का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया	वर्ष में देय कर	योग	वर्ष में संग्रहीत कर	अवशेष
2004-05	22.80	562.06	584.86	559.20	25.66
2005-06	25.66	615.21	640.87	617.17	23.70
2006-07	23.70	673.57	697.27	674.26	23.01
2007-08	23.00	798.05	821.05	749.31	71.74
2008-09	71.74	808.19	879.93	819.32	60.61
2009-10	60.61	538.90	599.51	552.04	47.47
2010-11	47.47	606.09	653.56	623.90	29.66

उपरोक्त सारणी से यह प्रदर्शित होता है कि देय कर में 2004-05 से 2008-09 तक वृद्धि हुई और 2009-10 में कमी आने के बाद 2009-10 के सापेक्ष 2010-11 में इसमें मामूली वृद्धि हुई। प्रत्येक वर्ष के अन्त में पर्याप्त धनराशि वसूली हेतु अवशेष रही जो इस बात का दोतक है कि विभाग द्वारा देयकों की वसूली के प्रयास अपर्याप्त थे। वाहन साफ्टवेयर में बकाया देयों के विरुद्ध मॉग पत्र और वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने का

<sup>2</sup> नवसृजित जनपद छत्रपति साहूजी महाराज नगर को छोड़कर।

<sup>3</sup> स०प०अ० वर्स्टी, झॉसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी तथा स०स०प०अ० बलिया, बुलन्द शाहर, बागपत, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, मधुरा, प्रतापगढ़ एवं उन्नाव।

कोई प्रावधान, जो कि विभाग को बकाये कर की धनराशि कम करने में सहायक होता, नहीं है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि बकाया कर को कम करने के लिए वसूली प्रमाण पत्र के माड्यूल्स विकसित किए जायेंगे।

## लेखा परीक्षा की उपलब्धियाँ

### 4.5.7 परियोजना का क्रियान्वयन एवं मानीटरिंग

#### 4.5.7.1 औपचारिक नीति का अभाव

वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन, अनुकूलन एवं सूचना तन्त्र के रख-रखाव के लिए एक समुचित सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति और सुव्यवस्थित योजना का होना आवश्यक है। आवश्यक दिशा निर्देश देने, कम्प्यूटरीकरण के प्रयासों के मार्गदर्शन तथा साथ ही क्रियान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग हेतु, विभाग तथा एन0आई0सी0 के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक स्टीयरिंग कमेटी होनी चाहिए।

होने का कोई प्रमाण उपलब्ध था। इसके परिणामस्वरूप कम्प्यूटरीकरण का एकीकृत अनुप्रयोग न होना और इसके संघटकों का आंशिक उपयोग ही हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में विस्तृत रूप से वर्णित है।

सूचना तन्त्र के प्रभावी उपयोग के लिए एक दीर्घकालिक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति/योजना तैयार करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।

#### 4.5.7.2 परियोजना मानीटरिंग इकाई का गठन न होना

कम्प्यूटरीकरण परियोजना के बेहतर परिणाम तथा उसकी दिन प्रतिदिन की मानीटरिंग के लिए विभाग में एक मानीटरिंग इकाई विद्यमान होनी चाहिए।

परिवहन विभाग की कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित क्रियाकलापों का सम्पूर्ण नियंत्रण परिवहन आयुक्त के अधीन है। उसकी सहायतार्थ मुख्यालय में एक उप परिवहन आयुक्त हैं। कम्प्यूटरीकरण परियोजना की मानीटरिंग के लिए विभाग में कोई सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नहीं है। दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए विभाग पूर्ण रूप से एन0आई0सी0 पर आश्रित है। स0प0अ0 / स0स0प0अ0 स्तर पर भी कोई सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नहीं है तथा वाहन साफ्टवेयर पर दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों एवं रख-रखाव, एन0आई0सी0 के माध्यम से दैनिक या संविदा पर रखे गये कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि सरकार से संस्तुति लेकर एक कम्प्यूटर प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।

#### 4.5.7.3 कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब

प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998–99 में राज्य के परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया। भारत सरकार ने पंजीकृत वाहनों एवं चालक अनुज्ञापियों के लिए वर्ष 2001 में एक नेशनल डाटाबेस बनाने हेतु राज्य सरकार को एनोआई0सी0 द्वारा निर्मित वाहन और सारथी साफ्टवेयर क्रियान्वित करने की सलाह दिया। कम्प्यूटरीकरण के लिए सरकार से मॉगी गई धनराशि, स्वीकृत धनराशि, व्यय की गई धनराशि एवं कम्प्यूटरीकृत हुए कार्यालयों की संख्या का विवरण निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	विभाग द्वारा मॉगी गई धनराशि	सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि	समर्पित की गई <sup>4</sup> धनराशि	कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों की संख्या
1998-99	0	55.46	55.46	55.46	0	0
1999-00	0	250.00	250.00	250.00	0	0
2000-01	458.22	200.00	200.00	0	200.00	2
2001-02	0	200.00	200.00	195.85	4.15	0
2002-03	300.00	79.00	79.00	0	79.00	5
2003-04	0	70.00	70.00	70.00	0	2
2004-05	70.00	34.08	34.08	25.10	8.98	2
2005-06	70.00	70.00	70.00	70.00	0	7
2006-07	0	0	0	0	0	15
2007-08	0	70.00	70.00	68.75	1.25	1
2008-09	158.00	157.25	157.25	157.25	0	4
2009-10	166.57	166.57	166.57	158.32	9.25	34
2010-11	1498.32	1403.46	1022.09	558.02	464.07	0
योग	<b>2721.11</b>	<b>2755.82</b>	<b>2374.45</b>	<b>1608.75</b>	<b>766.70</b>	<b>72</b>

वर्ष 1998–99 से 2010–11 की अवधि में परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण परियोजना में ₹ 23.74 करोड़ आवंटित धनराशि के विरुद्ध ₹ 16.09 करोड़ व्यय किया एवं ₹ 7.67 करोड़ उपयोग में नहीं लाई गई धनराशि राज्य सरकार को समर्पित कर दी गई। इस प्रकार विभाग ने कम्प्यूटरीकरण कार्य को आंशिक<sup>4</sup> रूप से पूरा करने में लगभग 10 वर्ष का समय लिया क्योंकि विभाग के पास निधियों के त्वरित उपयोग के लिए और कम्प्यूटरीकरण शीर्घ कराने के सम्बन्ध में कोई समुचित रणनीति नहीं थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनोआई0सी0 के माध्यम से 34 स०प०अ०/स०स०प०अ० के कम्प्यूटरीकरण हेतु ₹ 3.85 करोड़ के कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति किया। वर्ष 2009–10 में भारत सरकार ने 11 कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को उच्चीकृत करने के लिए एनोआई0सी0 के माध्यम से ₹ 1.44 करोड़ के कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति की।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब स्थल की तैयारी में देरी के कारण हुआ।

<sup>4</sup> केवल वाहन साफ्टवेयर क्रियान्वित हुआ, सारथी साफ्टवेयर क्रियान्वित नहीं हुआ।

#### 4.5.7.4 वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर का आंशिक क्रियान्वयन होना अथवा क्रियान्वयन न होना

पंजीकृत वाहनों तथा चालक अनुज्ञाप्तियों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को वर्ष 2001 में एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित वाहन तथा सारथी साफ्टवेयर क्रियान्वित करने की सलाह दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी राज्यों के परिवहन विभाग पंजीकृत वाहनों तथा चालक अनुज्ञाप्तियों के राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए एक एकरूप प्रारूप और मानक साफ्टवेयर अपनायें। सभी राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान इसे क्रियान्वित किए जाने की योजना थी।

हमने देखा कि:

- वाहन, सारथी और डाटा स्थानान्तरण प्रणाली (डी0टी0एस0)<sup>5</sup> लागू करने के लिए राज्य में कोई चरणबद्ध कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया।
- परिवहन विभाग ने नवम्बर 2000 और अगस्त 2006 के मध्य 25 इकाइयों में वाहनों के पंजीकरण के लिए यूनिक्स आधारित अप्लीकेशन साफ्टवेयर स्थापित कराये और उसका क्रियान्वयन किया। इन कार्यालयों का मई

2009 से जुलाई 2010 के मध्य वाहन साफ्टवेयर में विस्थापित किया गया।

- शेष जनपदीय कार्यालयों में वाहन साफ्टवेयर सीधे स्थापित एवं क्रियान्वित किये गये।
- राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों में वाहन साफ्टवेयर के पाँच माड्यूलों<sup>6</sup> में से केवल चार माड्यूल यथा पंजीकरण, फिटनेस, टैक्स एवं परमिट का क्रियान्वयन अक्टूबर 2006 से प्रारम्भ हुआ और जुलाई 2010 में पूर्ण हुआ।
- एन0आई0सी0 द्वारा प्रवर्तन सम्बन्धी माड्यूल नहीं विकसित किया जा सका जिसके कारण कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में विभाग के प्रवर्तन सम्बन्धी क्रिया-कलापों के ऑकड़े संग्रहीत नहीं किये गये।
- समस्त जनपदीय कार्यालयों<sup>7</sup> में वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन साफ्टवेयर के प्रयोग से छपे हुए फार्म पर निर्गत किए जा रहे हैं।
- विभाग और कार्यदायी संस्था नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेण्टर सर्विस इनकार्पोरेटेड (निक्सी) के मध्य अनुबन्ध को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण केवल स0प0अ0 लखनऊ को छोड़कर 71 स0प0अ0 / स0स0प0अ0 में सितम्बर 2009 से जुलाई 2011 के दौरान स्थापित सारथी के लिए आवश्यक हार्डवेयर निष्क्रिय पड़े थे। केवल स0प0अ0 लखनऊ में 18 जून 2011 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सारथी साफ्टवेयर प्रारम्भ किया गया तथा यहाँ पर सारथी साफ्टवेयर का प्रयोग करके लेमिनेटेड फोटो पेपर पर चालक अनुज्ञाप्तियाँ निर्गत की जा रही हैं।

वाहन डाटा का स0प0अ0 / स0स0प0अ0 लोकेशन से राज्य परिवहन विभाग के केन्द्रीय डाटाबेस सर्वर पर स्थानान्तरण ओ0डी0आई0 (ओरेकिल डाटा इण्टीग्रेटर) नामक ई0एल0टी0 आधारित पैकेज के माध्यम से किया जाना था। प्रयोगकर्ताओं को “एनीवेयर सर्विस बेसिस” पर सेवाओं का उपयोग करने के योग्य बनाने के निर्धारित उद्देश्य के विरुद्ध परिवहन विभाग के जनपदीय कार्यालयों को यह सुविधा नहीं प्रदान की गई कि वे केन्द्रीय डाटाबेस सर्वर का प्रयोग कर सकें।

<sup>5</sup> डाटा स्थानान्तरण प्रणाली डिजिटल आंकड़ों का स्थानान्तरण एक स्थल से दूसरे स्थलों को करने की एक प्रणाली है।

<sup>6</sup> पंजीयन, फिटनेस, कर, परमिट एवं प्रवर्तन।

<sup>7</sup> नवसृजित जनपद छत्रपति साहूजी महाराज नगर को छोड़कर।

यह सुझाव दिया जाता है कि विभाग सारथी साप्टवेयर तथा वाहन साप्टवेयर के प्रवर्तन माड्यूल का यथाशीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि निक्सी के साथ अनुबन्ध का प्रलेख सरकार के पास संस्तुति के लिए भेजा जा चुका है।

#### 4.5.7.5 स्मार्ट कार्ड्स निर्गत न किया जाना

भारत सरकार के निर्देशानुसार वाहन एवं सारथी साप्टवेयर के माध्यम से 2004-07 के दौरान स्मार्ट कार्ड्स निर्गत किए जाने थे।

हमने देखा कि यह कार्य निक्सी से कराये जाने के लिए प्रस्तावित है जिसके लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है (अगस्त 2011)। इस प्रकार विभाग स्मार्ट कार्ड्स निर्गत करना प्रारम्भ नहीं कर सका जिससे योजना का उद्देश्य निष्फल रहा।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि सरकार से संस्तुति के बाद निक्सी द्वारा स्मार्ट कार्ड्स निर्गत कराने के अनुबंध को अंतिम रूप दिया जायेगा।

#### 4.5.7.6 आनलाइन सेवायें

एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित वाहन एवं सारथी साप्टवेयर में ऐसे प्रावधान हैं कि स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर की सुविधाओं से नागरिक अपने सुविधानुसार उपयुक्त समय पर घर या कार्यालय से अपना कार्य सम्पादित करा सके। इससे न केवल स0प0आ0 कार्यालयों में भीड़ को कम करना बल्कि प्रणाली में ऑकड़ों की प्रविष्टि में लगने वाले अत्यधिक प्रयासों को बचाना भी प्रत्याशित था। आवेदक परिवहन विभाग की वेब साइट पर जाने में समर्थ रहेगा और आन लाइन फार्म भरकर तथा पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से भुगतान करके विभिन्न कार्य करवा सकते हैं। यह कार्य व्यक्तिगत रूप से या किसी कोरियर के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की स्थिति वेब साइट से हर समय उपलब्ध कराई जा सकती है तथा अपने आवेदन के प्रगति की स्थिति जानने के लिए आवेदक एक ट्रैकिंग नम्बर का प्रयोग कर सकता है।

गया।

विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2011) कि ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और बताया कि दूसरे राज्यों से आनलाइन भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ अनुबन्ध होने को है जिसके पश्चात् आनलाइन भुगतान प्रारम्भ हो सकता है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि दूसरी सेवाओं के लिए एक आनलाइन साप्टवेयर विकसित किए जाने की योजना है।

हमने देखा कि:

- केवल माल वाहनों के लिए नेशनल परमिट निर्गत करने हेतु राज्य के समर्त स0प0आ0 कार्यालयों में आनलाइन<sup>8</sup> सेवाओं की सुविधा लागू है (सितम्बर 2010)।
- स0प0रा0मा0मं द्वारा कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों में नागरिकों को आनलाइन सेवायें उपलब्ध कराना नियत था किन्तु बैंक/बैंकों के साथ आनलाइन पेमेण्ट गेटवे की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कोई भी आनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदनों की प्रगति जानने के लिए अलग से कोई साप्टवेयर विकसित नहीं किया

<sup>8</sup> एचटीटीपी: // वीएचएन.एनआईसी.आईएन / एनपीईआरएमआईटी /

#### 4.5.7.7 कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कमी

वाहन साफ्टवेयर के सभी फृण्ट डेस्क कार्य सीधे स0प0अ0 कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। प्रणाली पर समस्त कार्य करना तथा उसका रख-रखाव भी एन0आई0सी0 के सहयोग से स0प0अ0 कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाना है जिसके लिए उनका समुचित प्रशिक्षण आवश्यक है।

समझते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राथमिकता के आधार पर दिया जाय। इससे वाह्य एजेन्सी के ऊपर निर्भरता भी कम होगी।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि सभी कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जायेगी।

स0प0अ0/स0स0प0अ0 कार्यालयों में वाहन साफ्टवेयर 2006–11 के मध्य क्रियान्वित हो चुके थे लेकिन कुल 72 स0प0अ0/स0स0प0अ0 कार्यालयों में से 37 स0प0अ0/स0स0प0अ0 कार्यालयों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है परिणामस्वरूप दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए विभाग अभी भी वाह्य एजेन्सी के ऊपर आश्रित है।

सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राथमिकता के आधार पर दिया जाय। इससे वाह्य एजेन्सी के ऊपर निर्भरता भी कम होगी।

#### 4.5.8 ऑकड़ों का डिजिटाइजेशन

सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटरीकरण का एक उद्देश्य यह था कि वाहनों का एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाय, जिसमें उनके श्रेणीबद्ध विभाजन, एज प्रोफाइल आदि रहें जो कि परिवहन क्षेत्र की योजना में सहायक होंगे। नेशनल रजिस्टर बनाने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यह नितान्त आवश्यक था कि सभी वाहनों के लीगेसी ऑकड़े डिजिटाइज कर लिए जायें।

यूपीडेस्को के पर्सनल लेजर एकाउण्ट (पी0एल0ए0) ने यूपीडेस्को को सितम्बर 2010 तक (साढ़े तीन वर्ष तक) कार्य का आदेश नहीं दिया क्योंकि सभी स0प0अ0/स0स0प0अ0 में पुराने ऑकड़ों के डिजिटाइजेशन के लिए दी गई धनराशि पर्याप्त नहीं थी। यूपीडेस्को ने सितम्बर 2010 में ₹ 1.05 करोड़ की धनराशि सरकार को वापस कर दी।

वर्ष 2010–11 के बजट में 7.83 करोड़ विभाग को सभी स0प0अ0/स0स0प0अ0 में लीगेसी ऑकड़ों के डिजिटाइजेशन के लिए दिया गया। यद्यपि हमने देखा कि:

- जुलाई 1989 से लेकर सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 के कम्प्यूटरीकरण की तिथि तक से सम्बन्धित उनके पुराने मैनअल ऑकड़ों के डिजिटाइजेशन के लिए स्वीकृत अनन्तिम धनराशि ₹ 7.83 करोड़ में से विभाग ने विभागीय कर्मचारियों के बैठन एवं भत्तों हेतु ₹ 2.29 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए ₹ 3.46 करोड़ सरकार से पुर्णविनियोजन का अनुमोदन लेकर व्यावर्तित किया तथा ₹ 1.40 लाख प्रिन्टर एवं लेमिनेशन मशीन के लिए उपयोग किया। अवशेष धनराशि ₹ 4.35 करोड़ बिना कोई कार्य कराये समर्पित कर दी गई (मार्च 2011)।
- सरकार ने वाह्य एजेन्सी द्वारा डिजिटाइजेशन का कार्य कराये जाने सम्बन्धी 2007 में लिए गए अपने मूल निर्णय को बदलकर विभागीय कर्मचारियों द्वारा

विभाग की मॉग (नवम्बर 2006) के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2007 में ₹ 1.05 करोड़ अवमुक्त कराया गया जिससे कम्प्यूटरीकृत 38 स0प0अ0/स0स0प0अ0 में सभी वाहनों के मैनअल (लीगेसी) ऑकड़ों को डिजिटाइज किया जा सके। यह काम मार्च 2007 में वाह्य एजेन्सी उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन्स लिमिटेड (यूपीडेस्को) को दिया गया और स्वीकृत धनराशि

में स्थानान्तरित कर दी गई। विभाग ने यूपीडेस्को को सितम्बर 2010 तक (साढ़े तीन वर्ष तक) कार्य का आदेश नहीं दिया क्योंकि सभी स0प0अ0/स0स0प0अ0 में पुराने ऑकड़ों के डिजिटाइजेशन के लिए दी गई धनराशि पर्याप्त नहीं थी। यूपीडेस्को ने सितम्बर 2010 में ₹ 1.05 करोड़ की

धनराशि सरकार को वापस कर दी।

अपने नियमित कार्य के साथ कराये जाने का निर्णय लिया (जुलाई 2011) तथा परिवहन वाहनों के लिए इसे पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि सितम्बर 2011 निर्धारित की। निर्णय बदलने का कोई आधार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। गैर परिवहन वाहनों के ऑकड़ों के डिजिटाइजेशन के लिए कोई समयावधि या लक्ष्य तिथि नियत नहीं की गई जो कि डिजिटाइजेशन हेतु लम्बित लीगेसी ऑकड़ों का प्रमुख भाग था।

- नमूना जॉच किए गए स0प0अ0/स0स0प0अ0 द्वारा जुलाई/अगस्त 2011 में बताया गया कि मानव शक्ति की कमी तथा समयाभाव के कारण विभागीय कर्मचारियों द्वारा लीगेसी डाटा का डिजिटाइजेशन सम्भव नहीं था। विभाग के पास 1989 से पूर्व हुए पंजीकृत गैर परिवहन वाहनों के लीगेसी डाटा को डिजिटाइजेशन करने हेतु कोई योजना नहीं है।

इस प्रकार अभी तक लीगेसी ऑकड़ों का डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया तथा मार्च 2011 के अन्त तक वर्ष 1989 से अबतक पंजीकृत कुल 1,32,87,232 वाहनों में से 61,50,568 गैर परिवहन यान एवं 1,29,365 परिवहन यान का डिजिटाइजेशन लम्बित रहा।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि केन्द्र सरकार से लीगेसी ऑकड़ों के डिजिटाइजेशन हेतु अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है।

#### 4.5.9 पूर्ववर्ती यूनिक्स सिस्टम के ऑकड़ों का वाहन सिस्टम में विस्थापन

पच्चीस जनपद कार्यालयों में यूनिक्स आधारित साफ्टवेयर की स्थापना की गई थी। बाद में इन कार्यालयों को वाहन प्रणाली में विस्थापित कर दिया गया। अतः तदनुसार यूनिक्स प्रणाली में अंकित ऑकड़ों का वाहन प्रणाली में विस्थापन भी अपेक्षित है जिससे कि ये ऑकड़े स्टेट रजिस्टर एवं नेशनल रजिस्टर में उपलब्ध हो सकें।

मैनुअल प्रविष्टियों की जा रही हैं। इस प्रकार अभी तक 10,74,460 वाहनों से सम्बन्धित ऑकड़े जो पहले यूनिक्स प्रणाली में अंकित थे नये वाहन प्रणाली में विस्थापित नहीं किए गए हैं।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि किसी निजी संस्था के माध्यम से विस्थापन का कार्य पूर्ण करने के लिए निधि के अनुदान के लिए सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

25 जनपद कार्यालयों में से पाँच कार्यालयों<sup>9</sup> के अभिलेखों की जॉच से हमको यह ज्ञात हुआ कि पूर्ववर्ती यूनिक्स आधारित साफ्टवेयर में उपलब्ध डिजिटल ऑकड़ों का वाहन प्रणाली में स्वतः विस्थापन होने के स्थान पर जब कोई वाहन स्वामी अपने किसी कार्य से स0प0अ0/स0स0प0अ0 कार्यालय आता है उस समय वाहनों की पत्रावलियों से वाहन प्रणाली में

<sup>9</sup> स0प0अ0 झॉसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और स0स0प0अ0 उन्नाव।

#### 4.5.10 स्टेट रजिस्टर एवं नेशनल रजिस्टर

सभी महत्वपूर्ण ऑकड़ों/सूचनाओं के लिए नेशनल रजिस्टर एक केन्द्रीय संग्रहण स्थल के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्याशित था। यह प्रयोगकर्ता को “एनीव्हेयर सर्विस बेसिस” पर सेवा प्राप्त करने योग्य बनाएगा। इसके साथ ही नेशनल रजिस्टर राज्य स्तर पर संग्रहण के लिए एक सेलेक्टिव बैकअप के रूप में भी कार्य करेगा। नेशनल रजिस्टर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अन्तर्राज्यीय चेकपोस्ट, पुलिस विभाग और दूसरी सेवाओं को भी सूचनायें प्रदान करेगा। स0प0आ0 स्तर पर एकत्र सूचनाओं का आपदा पुर्नस्थापन हेतु बैकअप डाटा का कार्य करने के लिए स्टेट कान्सोलिडेशन रजिस्टर (एस0सी0आर0) में दर्ज होना अभिप्रेत है। एस0सी0आर0 से चयनित ऑकड़े स्टेट रजिस्टर में प्रतिस्थापित होकर राज्य स्तर पर एक संग्रहण के रूप में होंगी जिससे राज्य परिवहन विभाग, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आटोमोबाइल डीलर्स एवं पुलिस विभाग को सूचनायें उपलब्ध होंगी।

राज्यों के लिए 2002 और 2007 के मध्य पूरा करने का लक्ष्य रखा था, की पूर्णता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

- वर्तमान में राज्य तथा केन्द्र स्तर पर नेशनल रजिस्टर से सम्बन्धित सेवायें “एनीव्हेयर सर्विस बेसिस” पर उपलब्ध नहीं हैं।
- यद्यपि कि सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत वाहनों की सूचनायें स्टेट रजिस्टर के रूप में राज्य स्तर पर उपलब्ध हैं किन्तु आनलाइन सम्बद्धता न होने के कारण इसे सड़क परिवहन विभाग, राज्य के दूसरे स0प0आ0/स0स0प0आ0, अन्तर्राज्यीय चेकपोस्ट, पुलिस विभाग तथा दूसरी सेवाओं को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2011) कि लीगेरी ऑकड़ों का डिजिटाइजेशन पूरा नहीं हुआ है और बताया कि केन्द्र सरकार से गैर परिवहन यानों के डिजिटाइजेशन हेतु अनुदान के लिए अनुरोध किया जा रहा है, जबकि परिवहन यानों के डिजिटाइजेशन का कार्य विभाग के संसाधनों का प्रयोग करके किया जा रहा है।

हमने देखा कि:

- प्रयोगकर्ता स्तर पर अर्थात् स0प0आ0/स0स0प0आ0 कार्यालय स्तर पर एकत्रित समस्त ऑकड़ों एवं सूचनाओं के लिए स्टेट रजिस्टर एक केन्द्रीय संग्रहण की तरह है। केवल वाहन के लिए (सारथी हेतु नहीं) स्टेट रजिस्टर परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है जो अपने एकत्रित ऑकड़ों में कमियों जैसे अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अविश्वसनीय ऑकड़े जैसा कि आगे प्रस्तर 4.5.14 में वर्णित हैं के कारण महत्वपूर्ण ऑकड़े एवं सूचनायें उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।
- मार्च 2011 तक कुल 1,32,87,232 संचलित वाहनों में से 61,50,568 (46.29 प्रतिशत) गैर परिवहन यान और 1,29,365 (0.97 प्रतिशत) परिवहन यान के ऑकड़े डिजिटाइज नहीं हैं जिसने स्टेट रजिस्टर एवं नेशनल रजिस्टर जिसको केन्द्र सरकार ने सभी

#### 4.5.11 ऑकड़ों का स्थानान्तरण एवं कनेक्टिविटी

भारत सरकार के सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से “नेशनल डाटाबेस नेटवर्क” तैयार करने की योजना पर बल दिया क्योंकि पूरे देश में सभी परिवहन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के अतिरिक्त उनमें आपस में कनेक्टिविटी और मोटर यानों के लिए नेशनल रजिस्टर का निर्माण भी मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में था।

हैं।

स०प०अ०/स०स०प०अ० कार्यालय केन्द्रीय सर्वर से मात्र ऑकड़ों के स्थानीय सर्वर से केन्द्रीय सर्वर में स्थानान्तरण हेतु जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट रजिस्टर/नेशनल रजिस्टर की सेवाओं के लिए पंजीकृत वाहनों की सूचनायें एक स०प०अ०/स०स०प०अ० की दूसरे स०प०अ०/स०स०प०अ० द्वारा नहीं देखी जा सकती। राज्य के स०प०अ०/स०स०प०अ० कार्यालयों के बीच कनेक्टिविटी पूरी तरह से कार्यशील नहीं है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि सभी स०प०अ० को ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी के लिए वी०पी०एन० दिया जा चुका है। उप परिवहन आयुक्त और सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को यूजर आई०डी० और पासवर्ड दिये जा चुके हैं। आपस में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को भी यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड देने की योजना है।

#### 4.5.12 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति एवं जनरल असेस कण्ट्रोल

ऐसा वातावरण जिसमें अनुप्रयोग प्रणाली और अनुप्रयोग नियंत्रण कार्य करते हैं, तैयार करने के लिए, विभाग को एक सुरक्षा नीति बनाने की आवश्यकता होती है जिसे प्रणाली के हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की अभिरक्षा के लिए सभी स्तरों पर प्रसारित कर देना चाहिए। सुरक्षात्मक तथा डिटेक्टिव उपाय जैसे एण्टी वायरस साफ्टवेयर, यूजर आई०डी० और पासवर्ड की स्थापना एवं उसे अद्यतन करते रहना अपनाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य के डाटाबेस में अंकित होने से पहले सभी मुख्य सूचनायें प्रविष्ट की जा चुकी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में अन्तर्निर्मित नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। व्यापारिक नियमों में उल्लिखित सभी मुख्य क्रियाविधियों के समावेश द्वारा प्रणाली सम्पूर्ण होनी चाहिए।

उत्पन्न नहीं की गई। सभी संशोधन एन०आई०सी० के माध्यम से रखे गये

सम्प्रेक्षा के दौरान जो कमियों हमने देखी वे निम्न प्रस्तरों में वर्णित हैं:

#### सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति

हमने देखा कि मोटर यान विभाग द्वारा प्रणाली के हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की सुरक्षा हेतु कोई सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति नहीं बनाई गई थी और इस सभी को प्रसारित नहीं किया गया था।

#### जनरल असेस कण्ट्रोल

- कोई पासवर्ड नीति बनाकर लागू नहीं की गई जिससे कि केवल अधिकृत प्रयोगकर्ता ही प्रणाली में काम कर सके। समय-समय पर पासवर्ड में परिवर्तन के विषय में प्रयोगकर्ताओं में जागरूकता

दैनिक/संविदा पर लिये गये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स (डी0बी0ए0) द्वारा, सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को आवंटित पासवर्ड का प्रयोग करते हुए स0स0प0अ0/प्रशासन के लिखित आदेश पर किए जा रहे हैं।

- यदि कोई आपदा स्वचालित प्रणाली को अक्रियाशील बना दे तो उस समय ऑकड़ों के प्रोसेसिंग क्रियाकलाप समय से तथा प्रभावी ढंग से पुर्नस्थापित हो सकें, इसको सुनिश्चितता प्रदान करने हेतु विभाग के पास कोई आपदा पुर्नस्थापन एवं व्यापारिक निरन्तरता योजना नहीं थी। समुचित रिस्क विश्लेषण द्वारा संघटक तत्वों (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, मानव तथा ऑकड़ा सम्पत्ति) जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रिया-कलापों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए अविच्छिन्न थे, चिन्हित नहीं किए गए थे और प्रतिरोधक उपायों की रूपरेखा नहीं बनाई गई थी। राज्य स्तर पर केन्द्रीय प्रणाली में डाटाबेस का बैकअप संग्रहीत था लेकिन जनपद स्तर पर संग्रहीत डाटाबेस में बदलाव की सम्भावनाओं को दूर करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तथा जनरल असेस कण्ट्रोल नीति का अभाव प्रणाली को खतरों के प्रति संवेदनशील बनाता है।

विभाग प्रणाली से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय खतरों के निर्धारण की क्रियाविधि के साथ एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति बनाने के विषय में विचार करें।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति बनाई जायेगी।

#### **4.5.13 अभिलेखन एवं परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रण**

एक बार प्रणाली के लागू हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रण स्थापित हो जाना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो सके कि प्रणाली के परिवर्तन अधिकृत, परखे हुए तथा अभिलेखित हैं और यह भीं पता चले कि पर्याप्त आडिट ट्रैल विद्यमान है। विभाग के उच्च स्तर के कार्यकारियों द्वारा परिवर्तन हेतु किए गए अनुरोध पर हस्ताक्षर होने चाहिए और वास्तविक वातावरण में प्रयोग के पूर्व सभीं परिवर्तनों को जॉचना-परखना चाहिए।

गए। इन अभिलेखों के अभाव में हम अभिलेखन की सत्यापित नहीं कर सके क्योंकि इन ऑकड़ों का अद्यतन किया जाना आन्तरिक या किसी दूसरे एजेन्सी के माध्यम से कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

कर निर्धारण, शुल्क, शास्ति आदि से सम्बन्धित जनपद स्तर पर रखे ऑकड़ों में हुए संशोधन, डाटाबेस में समाहित होने के पूर्व निर्गत प्रमाण पत्रों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकीय समीक्षा के अधीन नहीं थे।

विभाग समुचित अभिलेखन एवं परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रण रखने के विषय में विचार करें।

विभाग ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2011) कि एन0आई0सी0 की मदद से मानीटरिंग की नीति बनाई जाएगी और उसका अनुपालन किया जाएगा।

हमारी जॉच के दौरान मानीटरिंग में निम्नलिखित कमियों पाई गई:

विभाग के पास एन0आई0सी0 द्वारा विकसित माड्यूल्स का समुचित, लिखित और प्रामाणिक अभिलेखन नहीं था। अभिलेख (यूजर्स रिक्वायरमेण्ट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम्स रिक्वायरमेण्ट स्पेसिफिकेशन आदि) जो प्रणाली विकसितकर्ता (एन0आई0सी0 नई दिल्ली) द्वारा बनाये गये थे, परिवहन विभाग को हस्तान्तरित नहीं किए

#### 4.5.14 अनुप्रयोग नियंत्रण

ऑकड़ों की उपयुक्तता, सम्पूर्णता, सत्यता और समुचित प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में समुचित और पर्याप्त इनपुट कण्ट्रोल विद्यमान होने चाहिए।

##### 4.5.14.1 इनपुट एवं वैलिडेशन नियंत्रण का अभाव

विभाग द्वारा उपलब्ध ऑकड़ों को संग्रहीत करने हेतु प्रणाली की संरचना तथा इसके क्रियाकलाप पर्याप्त और परिपूर्ण होनी चाहिए। यदि इनपुट नियंत्रण तथा वैलिडेशन नियंत्रण में कमी है तो इससे पंजीकृत वाहनों के त्रुटिपूर्ण डाटाबेस की सम्भावना रहती है। मोटरस्थान अधिनियम तथा नियमावली, विभिन्न वर्ग तथा श्रेणियों के वाहनों के लिए कुछ मौलिक मापदण्ड का निर्धारण करता है। ऑकड़ों की उपयुक्तता, पूर्णता, सत्यता और समुचित प्रमाणीकरण, ऑकड़ों की प्रविष्टि के स्तर पर उपयुक्त वैलिडेशन नियंत्रण द्वारा सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

साफ्टवेयर में ऐसा कोई प्राविधिक नहीं है कि:

- यदि रसीद नम्बर और कर जमा होने की अवधि बदल दी जाय या कर न जमा हो, ऐसी दशा में कर के क्लीयरेन्स को रोके।
- जॉच करे कि एक से अधिक वाहनों के लिए एक प्रकार के इन्श्योरेंस कवर नोट का प्रयोग नहीं हो रहा है और

बोगस कवर नोट को अस्वीकार करे।

- दूसरे राज्य या जनपदों के वाहनों का पुर्नपंजीकरण की अनुमति न दे जब वे वैध इन्श्योरेंस कवर नोट प्रस्तुत नहीं करते और डाटाबेस में जिसकी प्रविष्टि नहीं है।
- वाहन को स्वरक्षता प्रमाण पत्र निर्गत करते समय वैध इन्श्योरेंस के वावजूद भी “लागू नहीं” विकल्प को निरस्त करे।
- कर, शुल्क जमा करते समय तथा स्वरक्षता प्रमाण पत्र निर्गत करते समय अवैध / कालातीत इन्श्योरेंस कवर नोट को रोके।
- चोरी या वाहनों के अस्तित्व में न होने की दशा में, मोटर यान अधिनियम की धारा 55 के अनुसार उनका पंजीकरण निलम्बित और निरस्त करे। प्रणाली में केवल वाहन को ब्लैक लिस्ट करने की ही सुविधा है, जिसको आपरेटर जब चाहे हटा सकता है।
- संस्थागत वाहनों के सम्बन्ध में परमिट के विवरण की प्रविष्टि के बिना कर में दी जाने वाली छूट को रोके।
- किसी वर्ग के वाहनों के लिए संचालन की अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण करे।
- दूसरे जनपदों के वाहन जो अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर पंजीयन कराने आते हैं, उनके सम्बन्ध में “अन्य डीलर” कोड के स्थान पर केवल डीलर कोड को ही स्वीकार करे।

##### 4.5.14.2 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में अधूरी सूचनायें

पंजीकृत किए जा रहे वाहनों की पूर्ण सूचनाओं का संग्रहण वाहन साफ्टवेयर द्वारा वांछित है। 15 स0प0अ0 / स0स0प0अ0 में पंजीकृत 6,45,489 वाहनों के डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 13 अनिवार्य क्षेत्रों की सूचनायें संग्रहीत नहीं की गई। विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

क्रम सं०	स०प०अ०/स०स०प०अ० कार्यालय का नाम	कुल वाहनों की सं०	अश्व शक्ति	क्यूबिक कैप्सिटी	क्वील बैस	सकल यान भार	लदान रहित भार	मूल्य	इन्स्योरेंस कवर नोट	इंजन नं०	सिलेंडरों की सं०	सीट क्षमता	वाहन की श्रेणी	क्रय की तिथि	निर्माण का वर्ष	13
1	कानपुर	24169	4492	10	1312	479	-	17894	24169	-	10	9	-	-	-	-
2	कौशाम्बी	15788	1	4128	4721	-	-	13063	-	-	-	2	-	-	15649	-
3	लखनऊ	103484	63607	235	30421	15793	49	43677	103484	82	235	200	1	14	79	-
4	बुलन्द शहर	99799	70486	-	66971	65078	1	50616	9014	-	-	-	99799	4	-	-
5	वाराणसी	64836	15646	17	38000	26945	-	17109	54397	-	17	-	64835	-	-	-
6	गाजीपुर	30954	7904	-	28337	11184	-	1865	30954	-	-	1	-	-	-	-
7	मथुरा	123892	97406	1	104859	76611	-	66290	1439	78888	1	-	63232	-	-	-
8	बिल्या	11669	5111	1	10821	5459	1	768	11669	1	-	-	-	1	1	-
9	बस्ती	24028	24028	2150	22026	19274	14	22614	24028	14	21912	14	14	2150	40	-
10	उन्नाब	44033	7783	5	36354	12984	-	8897	5961	-	5	5	-	-	-	-
11	झौंसी	38739	1875	17514	23754	87	32497	35052	6325	96	28	56	-	19	96	-
12	बागपत	17109	17109	7	13984	8092	-	1540	1901	-	7	4	-	-	-	-
13	प्रतापगढ़	41745	774	37223	38155	-	-	40398	3	-	-	3	-	-	39740	-
14	कुरी नगर	2974	49	78	937	35	-	67	2974	-	-	-	2974	2974	-	-
15	फर्रुखाबाद	2270	2096	-	340	-	-	58	2270	-	-	-	-	2270	-	-
	योग	645489	318367	61369	420992	242021	32562	319908	278588	79081	22215	294	230855	7432	55605	-
	रेन्ज प्रतिशत में			0.01 - 100	0.01- 89.17	5.43- 92.73	0.22- 80.21	0.01- 83.81	2.25- 96.77	0.01-100	0.01- 63.67	0.01- 91.19	0.01-0.19	0.06- 100	0.01-100	0.01- 99.12

आवश्यक क्षेत्रों की सूचनायें रिक्त न होने से रोकने हेतु प्रणाली में कोई अन्तर्निर्मित वैलिडेशन चेक्स नहीं थे। यह इस बात का द्योतक है कि प्रणाली में इनपुट नियंत्रण नहीं है तथा साथ ही पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग का अभाव है। वाहनों का पंजीकरण बिना अनिवार्य क्षेत्रों की आवश्यक सूचनाओं को संग्रहीत किए बिना किया जा रहा है जो स्टेट रजिस्टर / नेशनल रजिस्टर को अविश्वसनीय बनाता है।

#### 4.5.14.3 अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण के कारण अनियमितताएं

चयनित स०प०अ०/स०स०प०अ० में की गई हमारी लेखा परीक्षा में पाया गया कि डाटाबेस में काफी अधिक संख्या में असामान्य तथा डुप्लीकेट ऑकड़े विद्यमान थे जिससे ऑकड़ों की अविश्वसनीयता एवं अपर्याप्त पर्यवेक्षण परिलक्षित होता है जैसा कि परिशिष्ट-X में विवरणित है।

#### चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर का अल्फान्यूमेरिक न होना

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के अनुसार निर्माण कर्ता द्वारा दिये गये चेसिस नम्बर तथा इंजन नम्बर किसी वाहन के लिए अद्वितीय पहचान चिन्ह होते हैं।

- 15 स०प०अ०/स०स०प०अ० में किए गए डाटाबेस के विश्लेषण से पता लगा कि 29,816 वाहनों के चेसिस नम्बर और 24,842 वाहनों के इंजन नम्बर आवश्यक अल्फान्यूमेरिक रूप में न होकर केवल संख्यात्मक रूप में थे।

हमने सात<sup>10</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० में संख्यात्मक चेसिस नम्बर के 15616 वाहनों में से 62 प्रकरणों तथा छः<sup>11</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० में संख्यात्मक इंजन नम्बर के 5,932 वाहनों में से छः प्रकरणों की जॉच किया। हमने पाया कि ऐसा मुख्यतः डाटा आपरेटर द्वारा प्रणाली में आंकड़ों की प्रविष्टि के समय चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर की केवल अंतिम कुछ संख्यायें हीं लिखने के गलत प्रचलन के कारण हुआ। इस प्रकार से महत्वपूर्ण फील्ड में गलत प्रविष्टियों को

<sup>10</sup> स०प०अ० कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर, बागपत, कौशाम्बी और प्रतापगढ़।

<sup>11</sup> स०प०अ० कानपुर, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर, बागपत, कौशाम्बी और प्रतापगढ़।

रोकने हेतु प्रणाली में चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर फील्ड पर आवश्यक नियंत्रण/जॉच का अभाव था।

- आगे यह भी पता चला कि स०प०अ० कानपुर, लखनऊ और झौसी में 159 वाहनों के इंजन नम्बर पूर्णतया गलत<sup>12</sup> थे। हमने स०प०अ० लखनऊ तथा कानपुर के इंगित 143 प्रकरणों में से पॉच प्रकरणों में मैनुअल अभिलेखों की जॉच किया। हमने पाया कि ऐसा प्रणाली में डाटा की गलत प्रविष्टि के कारण हुआ।

### अवास्तविक निर्माण वर्ष

डाटाबेस के विश्लेषण में हमने देखा कि नौ<sup>13</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० में 172 वाहनों का निर्माण वर्ष त्रुटिपूर्ण जैसे 12 से 1899 और 2012 से 2538 दिखाया गया था जो कि अवास्तविक थे।

हमने चार<sup>14</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० में 52 प्रकरणों में से 16 प्रकरणों में मैनुअल अभिलेखों की जॉच किया (दिसम्बर 2011)। हमने पाया कि पंजीयन प्रमाण पत्र, अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र का अस्थाई प्राधिकार इत्यादि निर्माण वर्ष की गलत प्रविष्टियों के साथ वाहन स्वामियों को निर्गत किए गए। यह प्रणाली में ऑकड़ों की गलत प्रविष्टि के कारण था।

### वाहनों का उनके निर्माण/क्रय की तिथि के पहले पंजीकरण

किसी वाहन का पंजीकरण उसके निर्माण अथवा क्रय तिथि के पहले कभी नहीं हो सकता। हमने पाया कि चार स०प०अ०/स०स०प०अ०<sup>15</sup> में 21 वाहनों की पंजीयन तिथि, उनके निर्माण/क्रय तिथि के पहले अंकित थी।

हमने स०प०अ० कानपुर, वाराणसी और स०स०प०अ० बुलन्दशहर से सम्बन्धित 11 प्रकरणों में से ४: प्रकरणों के मैनुअल अभिलेखों की जॉच किया। हमने पाया कि प्रणाली में गलत ऑकड़ों की प्रविष्टि किये जाने के कारण इस प्रकार के असंभाव्य ऑकड़े थे।

### विभिन्न क्षेत्रों में ऑकड़ों की प्रविष्टि आधारभूत मापदण्डों के विरुद्ध होना

मोटरयान अधिनियम और नियमावली में किसी वर्ग या श्रेणी के वाहनों के लिए कुछ आधारभूत मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं जैसे किसी माल यान का सकल यान भार या लदान रहित भार 49000 किग्रा से अधिक नहीं होना चाहिए, दो पहिया वाहनों और माल वाहनों की सीटिंग क्षमता क्रमशः तीन एवं सात से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसी वाहन की क्यूबिक कैपसिटी और छील बेस क्रमशः 25 सी०सी० तथा 42 इंच से कम नहीं होनी चाहिए।

डाटाबेस की जॉच में आधारभूत मापदण्डों के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में प्रविष्ट ऑकड़ों में निम्न कमियाँ पाई गईँ:

- किसी भी वाहन का छील बेस 42 इंच से कम नहीं हो सकता लेकिन 15 स०प०अ०/स०स०प०अ० में 1,12,579 वाहनों में यह उक्त मापदण्ड से कम था।

हमने ४:<sup>16</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० से सम्बन्धित 28,475 प्रकरणों में से 61 प्रकरणों के मैनुअल अभिलेखों की जॉच किया (दिसम्बर 2011)। हमने पाया कि ये कमियाँ प्रणाली में ऑकड़ों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण हुईँ।

<sup>12</sup> “प्रतीकों जैसे – “बैटरी”, “-”, “/” के रूप में दिया हुआ।

<sup>13</sup> स०प०अ० कानपुर, झौसी, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बलिया, बागपत, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, मथुरा और फर्रुखाबाद।

<sup>14</sup> स०प०अ० कानपुर एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर, बागपत और कौशाम्बी।

<sup>15</sup> स०प०अ० कानपुर, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर और मथुरा।

<sup>16</sup> स०प०अ० कानपुर, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर, बागपत, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़।

- 15 स०प०अ०/स०स०प०अ० में विभिन्न श्रेणी के वाहनों के 7502 मामलों में क्यूबिक कैपसिटी 25 सी०सी० से कम अंकित पाई गई, यद्यपि इस प्रकार के वाहन बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।  
हमने छः<sup>16</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० से सम्बन्धित 2,043 मामलों में मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया (दिसम्बर 2011) और पाया कि विक्रय प्रमाण पत्र में वाहनों की क्यूबिक कैपसिटी 25 सी०सी० से अधिक दर्शायी गई थी किन्तु त्रुटिपूर्ण ढंग से ऑकड़ों की प्रविष्टि होने के कारण यह कमी पाई गई।
- हल्के मोटर यानों जैसे निजी कार की अधिकतम सीटिंग क्षमता 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन पाँच<sup>17</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० के 1061 वाहनों में यह उपरोक्त सीट क्षमता से अधिक अंकित थी।  
हमने चार<sup>18</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० से सम्बन्धित 1,059 मामलों में से 41 मामलों में मैनुअल अभिलेखों की जाँच की (दिसम्बर 2011) और पाया कि यह प्रणाली में ऑकड़ों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण था क्योंकि विक्रय प्रमाण पत्रों पर वाहनों की सीटिंग क्षमता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप थी।
- दुपहिया वाहनों की सीटिंग क्षमता तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन 10 स०प०अ०/स०स०प०अ० में 47,657 वाहनों में यह इससे अधिक दर्शायी गयी थी जिसका विस्तार चार से 143 तक था।  
हमने स०स०प०अ० बागपत और प्रतापगढ़ से सम्बन्धित मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया (दिसम्बर 2011)। हमने पाया कि पंजीयन प्रमाण पत्र, अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्रों के अस्थाई प्राधिकार आदि, सीटिंग क्षमता त्रुटिपूर्ण दर्शाते हुए वाहन स्वामियों को निर्गत किये गये थे। यह ऑकड़ों के सिस्टम में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण हुआ।
- भारी और मध्यम माल वाहनों की सीटिंग क्षमता सात से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन 12 स०प०अ०/स०स०प०अ० में 653 वाहनों के प्रकरणों में यह सात से अधिक थी।  
हमने पाँच<sup>19</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० से सम्बन्धित 617 मामलों में से 22 मामलों में मैनुअल अभिलेखों (दिसम्बर 2011) की जाँच किया और पाया कि वाहन स्वामियों को सीटिंग क्षमता के त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र, अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र, अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्रों के प्राधिकार आदि में निर्गत किए गए थे। यह प्रणाली में ऑकड़ों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण हुआ।
- भारी मोटर यानों का लदान रहित भार तथा सकल यान भार 49,000 किग्रा<sup>20</sup> से अधिक नहीं होना चाहिए किन्तु 10 स०प०अ०/स०स०प०अ० में 60 वाहनों का लदान रहित भार और 14 स०प०अ०/स०स०प०अ० में 105 वाहनों का सकल यान भार इससे अधिक था।  
हमने चार<sup>21</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० से सम्बन्धित लदान रहित भार के 46 प्रकरणों में से 7 प्रकरणों में तथा पाँच<sup>21</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० से सम्बन्धित सकल यान भार के 62 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया। हमने पाया कि विक्रय प्रमाण पत्र पर वाहनों के सकल यान भार तथा लदान रहित भार 49,000 किग्रा<sup>20</sup> से अधिक नहीं थे किन्तु त्रुटिपूर्ण ढंग से ऑकड़ों की प्रविष्टि होने के कारण यह कमी पाई गई।

<sup>17</sup> स०प०अ० झॉसी, लखनऊ एवं स०स०प०अ० बागपत, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़।

<sup>18</sup> स०प०अ० लखनऊ एवं स०स०प०अ० बागपत, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़।

<sup>19</sup> स०प०अ० कानपुर, लखनऊ एवं स०स०प०अ० बागपत, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़।

<sup>20</sup> स०प०अ० कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बागपत।

<sup>21</sup> स०प०अ० कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर तथा प्रतापगढ़।

- किसी भी वाहन का सकल यान भार सदैव लदान रहित भार से अधिक होता है। अतः प्रणाली को लदान रहित भार को सकल यान भार के बराबर या उससे अधिक होने पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि छ: स०प०अ०/स०स०प०अ० में 6,121 वाहनों के लदान रहित भार तथा सकल यान भार एक समान थे और 15 स०प०अ०/स०स०प०अ० में 8,908 मामलों में लदान रहित भार को सकल यान भार से अधिक दर्शाया गया था। हमने सात<sup>22</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० से सम्बन्धित 4,353 प्रकरणों में से 82 प्रकरणों में मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया (दिसम्बर 2011) और पाया कि वाहन स्वामियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र, अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्रों का प्राधिकार इत्यादि सकल यान भार और लदान रहित भार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के साथ निर्गत किए गए थे। यह ऑकड़ों के त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रणाली में प्रविष्टि के कारण हुआ क्योंकि विक्रय प्रमाण पत्र में लदान रहित भार वाहनों के सकल यान भार से अधिक प्रदर्शित नहीं था।
- **स्वस्थता प्रमाण पत्रों का वैध अवधि से अधिक के लिए दिया जाना**  
मोटर यान अधिनियम की धारा 56 तथा मोटर यान नियमावली के नियम 62 के अनुसार किसी परिवहन यान और निजी वाहन जिनकी सीटिंग क्षमता सात से अधिक हो, के मामलों में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र नये वाहनों के मामले में प्रारूप 38 में दो वर्ष की अनुमन्य अवधि के साथ निर्गत किया जायेगा। हमने पाया कि 13 स०प०अ०/स०स०प०अ० में उक्त प्रावधानों के विपरीत 564 मामलों में स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्ष से अधिक की अवधि हेतु निर्गत किए गए जो सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। हमने छ:<sup>23</sup> स०प०अ०/स०स०प०अ० से सम्बन्धित 444 प्रकरणों में से 16 प्रकरणों के मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया (दिसम्बर 2011) और पाया कि यह प्रणाली में ऑकड़ों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण हुआ क्योंकि स्वस्थता प्रमाण पत्रों के फार्मै पर फिटनेस की अवधि केवल एक या दो वर्ष के लिए थी।

#### 4.5.14.4 एक ही प्रकार के चेसिस/इंजन/इन्श्योरेंस कवर नोट नम्बर

##### एक ही प्रकार के चेसिस तथा इंजन नम्बर

चेसिस नम्बर, इंजन नम्बर और रजिस्ट्रेशन नम्बर वाहनों के अद्वितीय पहचान चिन्ह हैं जो मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके पंजीकरण हेतु आवश्यक हैं।

पंजीयन डाटाबेस के ऑकड़ों के विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि कुछ मुख्य क्षेत्रों में समान प्रकार के नम्बर अंकित थे जैसा कि परिशिष्ट-X में विवरणित है।

- स०प०अ० कानपुर/वाराणसी तथा स०स०प०अ० मथुरा में छ: प्रकरणों में इंजन नम्बर उसी जनपद में समान प्रकार के थे।

हमने स०प०अ० वाराणसी से सम्बन्धित दो प्रकरणों में चेसिस नम्बर और स०प०अ० वाराणसी, स०स०प०अ० बुलन्द शहर तथा प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 111 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों में इंजन नम्बर की मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया (दिसम्बर 2011)। हमने पाया कि सभी मामलों में भिन्न-भिन्न वाहनों के लिए विक्रय प्रमाण पत्र पर एक समान चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर प्रदर्शित थे।

<sup>22</sup> स०प०अ० कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर, बागपत, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़।

<sup>23</sup> स०प०अ० कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़।

<sup>24</sup> स०प०अ० लखनऊ, वाराणसी एवं स०स०प०अ० बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद तथा प्रतापगढ़।

- 15 स0प0अ0/स0स0प0अ0 में चैसिस नम्बर 754 प्रकरणों में और 14 स0प0अ0/स0स0प0अ0 में इंजन नम्बर 341 प्रकरणों में यहाँ तक कि अलग-अलग जनपदों में भी एक समान प्रकार के पाये गये।

हमने स0प0अ0 वाराणसी तथा स0स0प0अ0 बुलन्द शहर से सम्बन्धित इंजन नम्बर के 94 प्रकरणों में से दो प्रकरणों के मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया (दिसम्बर 2011) और पाया कि ऐसा प्रणाली में ऑकड़ों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण हुआ क्योंकि विक्रिय प्रमाण पत्र में ये इंजन नम्बर भिन्न थे।

- 13 स0प0अ0/स0स0प0अ0 में 8,395 प्रकरणों में इंजन नम्बर और चैसिस नम्बर दोनों ही एक समान थे। हमने पॉच<sup>25</sup> स0प0अ0/स0स0प0अ0 से सम्बन्धित 3,230 प्रकरणों में से 24 प्रकरणों में मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया और पाया कि 12 प्रकरणों में मैनुअल अभिलेखों में भी वहाँ गलती थी जबकि अन्य 12 प्रकरणों में ऐसा ऑकड़ों की प्रणाली में त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रविष्टि के कारण था।

### एक समान इन्श्योरेंस कवर नोट्स

मोटर यान अधिनियम की धारा 146 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि यान के प्रयोग से सम्बन्धित वैध इन्श्योरेंस प्रभाव में न हो।

से 15 प्रकरणों में मैनुअल अभिलेखों की जाँच किया (दिसम्बर 2011)। हमने पाया कि प्रणाली में त्रुटिपूर्ण ढंग से ऑकड़ों की प्रविष्टि के कारण ऐसा हुआ क्योंकि मैनुअल अभिलेखों में इन्श्योरेंस कवर नोट भिन्न थे।

#### 4.5.14.5 ऑकड़ों में असमानता

मैनुअल पत्रावलियों तथा कम्प्यूटर प्रणाली में अंकित ऑकड़ों के मध्य एकरूपता होनी चाहिए।

जैसे इंजन नम्बर, चैसिस नम्बर, छील बेस, लदान रहित भार, सकल यान भार, सीटिंग क्षमता और स्वामी का पता आदि अंकित थे जैसा कि परिशिष्ट-XI में विवरणित है।

डाटाबेस में उपरोक्त त्रुटियाँ दर्शाती हैं कि ये समुचित डाटा वैलिडेशन के अभाव में ऑकड़ों की दोषपूर्ण प्रविष्टियों के कारण थे। समय-समय पर ऑकड़ों की सत्यता को परखने के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार से प्रणाली से व्युत्पन्न सूचनाएं प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं हो सकतीं।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि प्रभावी अनुमोदन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए दायित्व स्तर निश्चित किए जाएंगे और साफ्टवेयर में आवश्यक इनपुट वैलिडेशन जाँच भी समाहित किए जाएंगे।

विभाग ऑकड़ों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए समुचित वैलिडेशन जाँच लगाने के विषय में विचार करे और साथ ही वाहनों के पंजीयन के सम्बन्ध में ऑकड़ों की प्रविष्टियों को जाँचने-परखने की व्यवस्था लागू करे।

डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि स0प0अ0 वाराणसी एवं स0स0प0अ0 बुलन्द शहर में 6,766 वाहनों में इन्श्योरेंस कवर नोट में पुनरावृत्ति थी जैसा कि परिशिष्ट-X में विवरणित है।

हमने स0प0अ0 वाराणसी एवं स0स0प0अ0 बुलन्द शहर से सम्बन्धित 6,766 प्रकरणों में

<sup>25</sup> स0प0अ0 कानपुर, वाराणसी एवं स0स0प0अ0 बुलन्दशहर, कौशाम्बी, तथा प्रतापगढ़।

<sup>26</sup> स0प0अ0 बस्ती, झौसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं स0स0प0अ0 बुलन्दशहर, बलिया, बागपत, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ तथा उन्नाव।

#### 4.5.15 व्यापारिक नियमों का मानचित्रण न होना

विभाग की आवश्यकताओं के समाधान के लिए साफ्टवेयर की संरचना पर्याप्त होनी चाहिए अर्थात् सभी व्यापारिक नियमों का साफ्टवेयर में समावेश होना चाहिए। साफ्टवेयर में कमी के मामले में इस बात की सम्भावना है कि त्रुटिपूर्ण ऑकड़ों की उत्पत्ति के कारण विभाग को राजस्व क्षति उठानी पड़ जाय।

की स्वतः संगणना करे तथा करों के भुगतान प्राप्त करने एवं उसकी रसीद निर्गत करने के बाद कर जमा होने की अवधि को अद्यतन करे।

- क्रेनों का पंजीयन वाणिज्यिक वाहनों के रूप में करे तथा क्रेन या बाढ़ी टाइप क्रेन के सम्बन्ध में स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करे।
- शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयुक्त वाहनों को परमिट निर्गत करे।
- मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवहन यानों तथा सात सीट से अधिक सीटिंग क्षमता वाले निजी वाहनों का फिटनेस दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निर्गत किए जाने पर अस्वीकार करे।
- वाहनों की समर्पण अवधि तीन माह से अधिक व्यतीत होने पर स्वतः निरस्त करके उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मार्ग कर की संगणना करे।
- नये पंजीयन नम्बर, पते में बदलाव और वाहनों के स्वामित्व का हस्तान्तरण के विषय में प्रार्थना पत्र जमा करने की अवधि में विलम्ब एक सप्ताह से अधिक होने पर, प्रत्येक सप्ताह के लिए प्रशमन शुल्क की संगणना करे।

#### 4.5.16 एम0आई0एस0 रिपोर्ट्स आदि बनने की सुविधा का अभाव

साफ्टवेयर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो:

- एम0आई0एस0 रिपोर्ट्स जैसे समर्पित वाहनों, अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए गए वाहनों, काली सूची में पड़े वाहनों तथा दूसरे राज्य के वाहनों का विवरण तैयार करे।
- मार्ग कर के बकाया का निर्धारण एवं बकाया राशि सहित बकायेदारों की सूची तैयार करे।
- मॉग पत्र और वसूली प्रमाण पत्र तैयार करे।

सरकार अधिनियम और नियमों के बेहतर अनुश्रवण हेतु व्यापारिक नियमों की आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि मॉग पत्र, वसूली प्रमाण पत्र, बकाया सूची तथा एम0आई0एस0 रिपोर्ट्स को तैयार करने हेतु साफ्टवेयर में परिवर्तन करने पर विचार करे।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि साफ्टवेयर में आवश्यक संवर्द्धन एन0आई0सी0 की मदद से किए जाएंगे।

#### 4.5.17 मानवीय हस्तक्षेप एवं कम्प्यूटरीकरण

वाहनों से सम्बन्धित सभी कार्य, जिनके लिए कम्प्यूटर प्रणाली में प्रावधान उपलब्ध हैं, कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किए जाने चाहिए।

कम्प्यूटर प्रणाली एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने की समस्या, के कारण निम्न कार्यों का निष्पादन एवं प्रमाण पत्रों का निर्गमन मैनुअली किया गया लेकिन सुसंगत विवरणों को बाद में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में प्रविष्ट नहीं किया गया। विवरण

## परिशिष्ट-XII में दिये गये हैं।

कार्यवार विवरण निम्नवत् हैं:

- पॉच स०प०अ०/स०स०प०अ० में वाहन स्वामियों द्वारा जमा किए गए कर/शुल्क सम्बन्धी 2,506 मैनुअल रसीदें निर्गत की गईं।
- चार स०प०अ०/स०स०प०अ० में वाहन स्वामियों को 5,656 स्थाई एवं अस्थाई परमिट मैनुअली निर्गत किए गए।
- दो स०प०अ०/स०स०प०अ० में 44 पंजीयन प्रमाण पत्र एवं तीन स०प०अ०/स०स०प०अ० में 121 अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन स्वामियों को मैनुअली निर्गत किए गए।
- चार स०प०अ०/स०स०प०अ० में 686 वाहन स्वामियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मैनुअली निर्गत किए गए।
- पॉच स०प०अ०/स०स०प०अ० में वाहनों के 1,027 स्वस्थता प्रमाण पत्र मैनुअली निर्गत किए गए।

मैनुअली तैयार किए गए प्रमाण पत्रों को विश्वसनीय एवं प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। मानवीय हस्तक्षेप फर्जी लेन-देन और राजस्व क्षति के खतरे के प्रति संवेदनशील है। स्टेट एवं नेशनल रजिस्टर भी अपूर्ण रहे क्योंकि मैनुअल आंकड़े कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में प्रविष्ट नहीं किए गए।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि वाहन साप्टवेयर के सभी माड्यूलों का प्रयोग करके कार्य करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

### 4.5.18 निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा वाहन और सारथी इस उद्देश्य से बनाये गये थे कि पंजीकृत वाहनों एवं निर्गत चालक अनुज्ञाप्तियों का एक नेशनल डाटाबेस बनाने हेतु एक वृहद डाटाबेस बने। व्यवस्थित कार्यप्रणाली की कमी तथा क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण राज्य में कम्प्यूटरीकरण परियोजना की उपलब्धि पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। वाहन साप्टवेयर में इनपुट नियंत्रण न होने से डाटाबेस में असंगत आंकड़े पड़े रहे। एक ही चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर के साथ वाहनों का पंजीकरण करने तथा एक ही इन्श्योरेंस कवर नोट के साथ दो या अधिक वाहनों का पंजीकरण करने से न केवल डाटाबेस त्रुटिपूर्ण बना बल्कि एक सही और विश्वसनीय स्टेट रजिस्टर तथा नेशनल रजिस्टर बनाये जाने का उद्देश्य भी हल्का हुआ। पर्याप्त संख्या में बैकलाग आंकड़े अभी भी डिजिटाइज नहीं हो पाये हैं। प्रणाली को संचालित करने के लिए कर्मचारियों को कोई समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और विभाग अभी भी दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन के लिए वाह्य एजेन्सी पर आश्रित है। राजस्व की वृद्धि के लिए, कार्यों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु एम०आई०एस० रिपोर्ट्स, प्रणाली द्वारा नहीं बनाये जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नीति, सुरक्षा नीति, व्यापार निरन्तरता योजना और परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रण के अभाव में प्रणाली खतरों से ग्रसित है।

### 4.5.19 संस्तुतियाँ

सरकार विचार करे जिससे:

- प्रणाली के समुचित रूप से कार्य करने के लिए एक दीर्घ कालिक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति/योजना बनें।
- आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के पंजीयन से सम्बन्धित प्रविष्टियों का सत्यापन हो।

- उपयुक्त डाटा वैलिडेशन जॉच का समावेश हो।
- अधिनियमों/नियमों के बेहतर प्रवर्तन हेतु व्यापारिक नियमों की पूर्ति जैसे— मॉग पत्र, वसूली प्रमाण पत्र, बकाये की रिपोर्ट तथा एम0आई0एस0 रिपोर्ट्स बनाने के लिए साफ्टवेयर में संबद्धन हो।
- जाली दस्तावेजों के प्रयोग को रोकने और आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए, अनुप्रयोग नियंत्रण सुदृढ़ हों।
- सारथी साफ्टवेयर तथा वाहन साफ्टवेयर का प्रवर्तन माड्यूल का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
- प्रणाली से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए खतरों के निर्धारण की विश्वसनीय क्रियाविधि के साथ पर्याप्त रूप से अभिलेखित एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति बने।
- प्रणाली के प्रबन्धन तथा डाटाबेस सम्बन्धी कार्य-कलापों के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो।

#### 4.6 लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

हमनें परिवहन विभाग कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में देखा कि कई प्रकरणों में वाहनों पर कर/अतिरिक्त कर के कम आरोपण/अनारोपण/वसूली न किया जाना, बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के वाहनों का संचालन, आदि जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किये गये हैं। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित हैं। हमने प्रत्येक वर्ष इस तरह की अनियमितताओं को इंगित किया है, किन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं बल्कि हमारी लेखा परीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रक प्रणाली को सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की त्रुटियों से भविष्य में पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

#### 4.7. टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत (28 अक्टूबर 2009 से यथा संशोधित) उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन वाहन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जायेगा, जबतक कि अधिनियम की धारा-4 उपधारा (2) के अंतर्गत निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब और मैक्सी कैब पर (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) कर की दर 7 नवम्बर 2010 तक ₹ 550/- प्रतिसीट/प्रति तिमाही लागू थी, तथा 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660/- प्रतिसीट/प्रति तिमाही हो गयी थी। परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 और 24 मई 2010 के अनुसार 1000 किलोग्राम कर्ब भार के टाटा मैजिक वाहन (बेसिक मॉडल) के लिये कुल आठ सीट अनुमन्य की गयी थी।

मॉडल) के सम्बन्ध में कर परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 एवं 24 मई 2010 का उल्लंघन में कुल आठ सीटों के बजाय कुल सात सीटों पर निर्धारित करके वसूला गया था। सम्बन्धित स०प०का०/स०स०प०का० वास्तविक सीट क्षमता के आधार पर कर को वसूल करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 66.68 लाख का कर कम वसूला गया, जैसा कि परिशिष्ट-XIII में दर्शाया है।

हमने प्रकरण दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था। हमें उनके कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

हमने अगस्त 2010 व जनवरी 2011 के मध्य आठ सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (स०प०का०)<sup>27</sup> और छः सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (स०स०प०का०)<sup>28</sup> के यात्री कर पंजिका, सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया और देखा कि अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि के दौरान 1000 किलोग्राम कर्बभार वाले 3,152 टाटा मैजिक वाहनों (बेसिक

<sup>27</sup> स०प०का०:आगरा,इलाहाबाद,आजमगढ़,बॉदा,फैजाबाद,गोण्डा,सहारनपुर और वाराणसी

<sup>28</sup> स०स०प०का०: बाराबकी, चन्दौली, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, रामपुर और उन्नाव

#### 4.8 तीन माह से परेय (अधिक) समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली 1998 के नियम 22 संशोधित 2009 में व्यवस्था है कि जब परिवहन वाहन स्वामी अपने मोटर वाहन को एक माह या अधिक अवधि के अनुपयोग की दशा में मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र व परमिट यदि कोई हो कराधान अधिकारी को अवश्य समर्पित कर देना चाहिये। आगे, उपनियम (4) में प्रावधानों के विषयक, समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का अनुपयोग पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, किसी भी कलेण्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिये कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, चाहे कराधान अधिकारी से समर्पित प्रमाण-पत्र वापस लिये गये हो या नहीं।

देय कर/अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके फलस्वरूप ₹ 51.66 लाख धनराशि राजस्व की वसूली नहीं की गयी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र० सं०	इकाइयों का नाम	वाहनों की संख्या	समर्पण दिनॉक	अवधि (आरोपणीय कर ) <sup>29</sup>	(₹ लाख में) कर की वसूली न किया जाना
1	स०प०का० आगरा	12	12/09 – 06/10	04/10 से 12/10	0.70
2	स०प० का० इलाहाबाद	22	12/09 – 07/10	04/10 से 12/10	3.30
3	स०प०का० आजमगढ़	14	01/09 – 09/09	04/10 से 08/10	2.80
4	स०प०का० गोरखपुर	45	12/09 – 06/10	04/10 से 12/10	2.72
5	स०प०का० कानपुर नगर	29	06/09 – 12/09	04/10 से 06/10	1.30
6	स०स०प०का० बागपत	36	05/08 – 03/09	04/10 से 06/10	1.83
7	स०स०प०का० बलिया	04	06/09 – 12/09	04/10 से 07/10	0.77
8	स०स०प०का० बिजनौर	53	12/09 – 03/10	04/10 से 12/10	4.91
9	स०स०प०का० एटा	15	09/08 – 12/09	04/10 से 08/10	0.98
10	स०स०प०का० जौनपुर	108	06/07 – 07/10	04/10 से 11/10	28.00
11	स०स०प०का० रामपुर	15	10/09 – 05/10	04/10 से 10/10	4.35
योग		353			51.66

हमने प्रकरण दिसम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था। हमें उनके कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

हमने जुलाई 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य पाँच स०प०का० एवं छः स०स०प०का० की समर्पण पंजिका, सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अभिलेखों का परीक्षण किया और देखा कि 353 वाहन अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 के अवधि के दौरान तीन कलेण्डर माह से अधिक अवधि से समर्पित थे, फिर भी विभाग द्वारा उन पर

<sup>29</sup> आरोपणीय कर की अवधि की गणना समर्पण के दिनॉक से कलेण्डर वर्ष के प्रथम तीन माह को छोड़कर की गयी।

#### 4.9 वाहनों के सकल लदान भार पर कर का अनारोपण

उ0प्र0 मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सीमित संख्या में यात्रियों के सवारी के लिये और यात्रियों के वैयक्तिक माल के परिसीमित मात्रा का परिवहन करने वाले सार्वजनिक सेवायानों पर वाहन के पंजीकृत सकल लदान भार (स0ल0भा0) या उसके भाग के लिये ₹ 45 प्रति मीट्रिक टन प्रति त्रैमास की दर से कर देय है।

हमने अप्रैल 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य चार स0प0का0 एवं तीन स0स0प0का0 के यात्री कर पंजिका, सम्बन्धित पत्रावली एवं अभिलेखों का परीक्षण किया और देखा कि इन जिलों में 907 सार्वजनिक सेवायान अप्रैल 2005 व अक्टूबर 2009 के मध्य मात्रा का परिवहन करने के लिये संचालित हो रही थीं, यद्यपि नियमित कर एवं अतिरिक्त कर प्रभारित किया गया था, विभाग ने इन वाहनों से स0ल0भा0 पर कर ₹ 33.09 लाख का आरोपण नहीं किया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र0सं0	इकाई का नाम	निरीक्षण की अवधि एवं लेखा परीक्षा का माह	वाहनों की संख्या	(₹ लाख में) आरोपणीय कर
1	स0प0का0 इलाहाबाद	04/09 से 10/09 (जनवरी 2011)	239	3.54
2	स0प0का0 आजमगढ़	04/09 से 10/09 (दिसम्बर 2010)	139	2.13
3	स0प0का0 लखनऊ	04/05 से 10/09 (नवम्बर 2010)	127	10.06
4	स0प0का0 वाराणसी	04/09 से 10/09 (दिसम्बर 2010)	208	3.20
5	स0स0प0का0 बहराइच	04/05 से 09/09 (मई 2010 से जून 2010)	61	6.78
6	स0स0प0का0 महोबा	04/05 से 09/09 (अप्रैल 2010)	56	4.47
7	स0स0प0 का0 मथुरा	06/05 से 09/09 (जुलाई 2010)	77	2.91
योग			907	33.09

हमारे लेखापरीक्षा के अवधि में इस प्रकरण को इंगित करने के उपरान्त स0प0का0 एवं स0स0प0का0 ने उत्तर दिया कि कर के आरोपण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण मई 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था। हमें उनके कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

#### 4.10 उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व के सार्वजनिक सेवा वाहनों पर कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटरवाहन कराधान अधिनियम (अक्टूबर 2009 में यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन सार्वजनिक सेवा वाहनों पर कर ₹ 50 प्रति सीट प्रति त्रैमास की दर से प्रभार्य है।

हमने नवम्बर 2010 और जनवरी 2011 के मध्य तीन स0प0का0 एवं एक स0स0प0का0 की उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) के बसों के यात्री कर पंजिका, सम्बन्धित

पत्रावलियाँ एवं अभिलेखों का परीक्षण किया और देखा कि अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान इन जिलों में 1900 सार्वजनिक सेवायान उत्पादनों द्वारा के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन यात्रियों को परिवहित करने के लिये संचालित हो रहे थे। इन वाहनों से यद्यपि अक्टूबर 2009 से निर्धारित दर के अनुसार ₹ 85.76 लाख का कर वसूल किया जाना था, विभाग ने ₹ 62.09 लाख का कर वसूल किया था। इसके परिणामस्वरूप कर की धनराशि ₹ 23.67 लाख कम वसूल किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र० सं०	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	अवधि	आरोपणीय कर	वसूल गया कर	(₹ लाख में)
						कम वसूल गया कर
1	स०प०का० इलाहाबाद	843	अक्टूबर 2009 से जून 2010	20.37	14.87	5.50
2	स०प०का० लखनऊ	542	अक्टूबर 2009 से मार्च 2010	12.28	8.65	3.63
3	स०प०का० वाराणसी	418	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010	42.01	30.60	11.41
4	स०स०प०का० जौनपुर	97	अक्टूबर 2009 से नवम्बर 2010	11.10	7.97	3.13
	योग	1900			85.76	62.09
						23.67

हमारे लेखापरीक्षा के दौरान इस प्रकरण को इंगित करने के उपरान्त स०प०का० / स०स०प०का० द्वारा उत्तर दिया गया कि कर के आरोपण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण जनवरी 2011 अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था। हमें उनके कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

#### 4.11 कर एवं अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना।

मो०वा० अधिनियम सपष्टित उ०प्र०मो०वा० करा० अधिनियम के अंतर्गत द्विपक्षीय समझौते के अभाव में अन्य राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम के सार्वजनिक सेवा वाहनों पर कर एवं अति० कर<sup>30</sup> क्रमशः ₹ 2,330 एवं ₹ 45,167 प्रतिवाहन प्रति तिमाही की दर से आरोपणीय एवं देय होगा और 28 अक्टूबर 2009 से ए श्रेणी के मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग ) पर कर एवं अति० कर<sup>31</sup> क्रमशः ₹ 24,000 एवं ₹ 56,400 प्रति वाहन प्रति तिमाही की दर से देय है।

हमने जुलाई 2010 में स०स०प०का० बागपत के अन्य राज्यों के बसों के कर एवं अतिरिक्त कर पंजिका, सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अभिलेखों का

परीक्षण किया और देखा कि यद्यपि उ०प्र० एवं हरियाणा के मध्य कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ है, हरियाणा के आठ स्टेज कैरेज (प्रत्येक में बैठने की क्षमता 49) उत्तर प्रदेश में जनवरी 2009 से जुलाई 2010 तक संचालित थे और कर एवं अतिरिक्त कर का निर्दिष्ट दर पर देय ₹ 31.96 लाख के बजाय कम दर लगाकर ₹ 15.95 लाख का भुगतान किया। सम्बन्धित स०स०प०का० ने कम कर

<sup>30</sup> कर ₹ 2,330 (1,115+585+630), अति० कर ₹ 45,167 (961X47)

<sup>31</sup> कर ₹ 24,000 (500X48), अति०कर ₹ 56,400 (1,200X47)

जमा किये जाने का पता नहीं किया। इसके फलस्वरूप कर एवं अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 16.01 लाख वसूल नहीं की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:

माह एवं अवधि	देय कर			अदा कर			कम आरोपण		
	कर	अतिरिक्त कर	योग	कर	अतिरिक्त कर	योग	कर	अतिरिक्त कर	योग
जनवरी 2009 से अक्टूबर 2009	0.62	12.04	12.66	--	4.14	4.14	0.62	7.90	8.52
नवम्बर 2009 से जुलाई 2010	5.76	13.54	19.30	0.45	11.36	11.81	5.31	2.18	7.49
योग	6.38	25.58	31.96	0.45	15.50	15.95	5.93	10.08	16.01

हमने प्रकरण दिसम्बर 2010 अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था। हमें उनके कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

#### 4.12 वाहनों के बिना स्वास्थ्यता प्रमाण—पत्र के संचालन के कारण हानि

मोरोवा० अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत और को०मो०वा० के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार, परिवहन वाहन वैद्य रूप से निर्बंधित (रजिस्टर्ड) नहीं माना जायेगा जब तक कि उसे स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाय। नये निर्बंधित परिवहन वाहन के सम्बंध में जारी स्वास्थ्यता प्रमाण—पत्र दो वर्षों में लिये वैध है और प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत कराना आवश्यक है। इसके पश्चात हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों का स्वास्थ्यता प्रमाण—पत्र क्रमशः ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 और ₹ 100 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यक निर्धारित फीस भुगतान करने पर जारी किया जाता है। दोषी प्रकरणों में निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। बिना स्वास्थ्यता प्रमाण—पत्र के संचालित वाहन मोरोवा० अधिनियम के अंतर्गत ₹ 2,500 प्रति अपराध की दर से शमनीय है।

हमने दो स०प०का०<sup>32</sup> एवं छः स०स०प० का०<sup>33</sup> के कर पंजिका, सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अभिलेखों का परीक्षण किया और देखा कि मार्च 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य 1,752 वाहन बिना वैद्य स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के संचालित थे और केवल देय कर वसूला गया था। ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। इन वाहनों पर ₹ 11.76 लाख के स्वास्थ्यता

शुल्क और ₹ 43.80 लाख के अर्थदण्ड के आरोपण के लिए दायी थे।

हमने प्रकरण अप्रैल 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था। हमें उनके कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

<sup>32</sup> स०प०का०— आगरा और मुरादाबाद

<sup>33</sup> स०स०प०का०— बलिया, बलरामपुर, फतेहपुर, गौतमबद्ध नगर, लखीमपुर खीरी एवं संतकबीर नगर।

### 4.13 स्टेज कैरेज की न्यूनतम् सीट क्षमता पर कर का अनारोपण


उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत (अक्टूबर 2009 से यथा संशोधित) स्टेज कैरेज पर कर का आरोपण सीटिंग क्षमता पर आधारित है। परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक 31 जुलाई 1985 एवं मई 1991 के अनुसार स्पष्ट किया कि 166 इंच और 205 इंच व्हील बेस के वाहनों पर क्रमशः न्यूनतम् 35 व 54 सीट क्षमता के लिये करों का आरोपण एवं वसूली किया जाय।

आरोपित करने के बजाय उन्होंने ₹ 99.03 लाख का आरोपण एवं वसूल किया। इसके फलस्वरूप धनराशि ₹ 11.23 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है :

क्र0 सं0	इकाइयों का नाम	वाहनों की संख्या	सीटों में अन्तर	अवधि	आरोपणीय कर	आरोपित कर	(₹ लाख में) कम आरोपण
1.	स0प0का0, बस्ती	22	5 से 16	10/09-06/10	10.25	7.94	2.31
2.	स0स0प0का0 बलरामपुर	24	1 से 12	10/09-09/10	15.30	13.75	1.55
3.	स0स0प0का0 फतेहपुर	32	1 से 17	10/09-12/10	31.10	28.44	2.66
4.	स0स0प0का0 हरदोई	64	2 से 9	10/09-10/10	48.51	44.95	3.56
5.	स0स0प0का0 सीतापुर	02	42 से 54	10/05-09/09	5.10	3.95	1.15
योग		144			110.26	99.03	11.23

हमने प्रकरण अप्रैल 2010 और अगस्त 2011 में विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था। हमें उनके कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

हमने मार्च 2010 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य एक स0प0का0 और चार स0स0प0 का0 के कर एवं यात्री कर पंजिका, सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अभिलेखों का परीक्षण में देखा कि अवधि अक्टूबर 2005 से दिसम्बर 2010 के दौरान विभिन्न मार्गों पर संचालित 144 स्टेज कैरेज के सम्बंध में निर्धारित सीट क्षमता के आधार पर ₹ 1.10 करोड़



## अध्याय-V

### स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

#### 5.1 कर प्रशासन


भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा०स्टा० अधिनियम) 1899, भारतीय निबन्धन अधिनियम (भा०नि० अधिनियम) 1908, उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (स्टा०स०म०) नियमावली, 1997 तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं परिपत्रों के अन्तर्गत राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियाँ विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टाम्प शुल्क का अपवंचन, सामान्यतः सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन, विलेखों को निबन्धन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत न किए जाने तथा निष्पादनकर्ताओं द्वारा निबन्धन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के कम/न भुगतान किए जाने के कारण होता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण और अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक निबन्धन (म०नि०नि०) विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं तथा विभाग के कार्यान्वयन पर समग्र अधीक्षण तथा नियंत्रण का संचालन करते हैं। उनकी सहायता एक अपर महानिरीक्षक (अ०म०नि०), मण्डल स्तर पर 17 उप महानिरीक्षक (उ०म०नि०), जिला स्तर पर 63 सहायक महानिरीक्षक (स०म०नि०) तथा जिला एवं तहसील स्तर पर 347 उप निबन्धक (उ०नि०) करते हैं।

#### 5.2 प्राप्तियों का रूझान

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क की वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि के दौरान कुल कर प्राप्ति को निम्नलिखित तालिका एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	(₹ करोड़ में)
						वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों से प्रतिशत
2006-07	3,500.00	4,513.67	(+) 1,013.67	(+) 28.96	22,997.97	19.63
2007-08	4,276.00	3,976.68	(-) 299.32	(-) 7.00	24,959.32	15.93
2008-09	5,370.53	4,138.27	(-) 1,232.26	(-) 22.94	28,658.97	14.44
2009-10	5,351.02	4,562.23	(-) 788.79	(-) 14.74	33,877.60	13.47
2010-11	5,736.99	5,974.66	(+) 237.67	(+) 4.14	41,355.00	14.45



### 5.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व बकाया ₹ 459.64 करोड़ था। पाँच वर्षों से अधिक अवधि के बकाये का विवरण विभाग में उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में राजस्व बकाये का विवरण निम्नलिखित तालिका में वर्णित है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2006-07	215.02	60.03	246.50
2007-08	246.50	101.06	213.25
2008-09	213.25	109.08	553.05
2009-10	553.05	129.87	594.83
2010-11	594.83	132.16	459.64

स्रोत: आकड़े विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये (अगस्त 2011)।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बकाये की धनराशि में वृद्धि हो रही थी सिवाय वर्ष 2007–08 एवं 2010–11 के अलावा, परन्तु विभाग द्वारा बकाये का संग्रहण बहुत कम था।

हम बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाने की संस्तुति करते हैं।

### 5.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2008-09	4,138.27	76.01	1.84	2.09
2009-10	4,562.23	120.73	2.65	2.77
2010-11	5,974.66	145.46	2.43	2.47

उपरोक्त तालिका से देख सकते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन शुल्क की संग्रह की लागत तीन वर्षों में अखिल भारतीय औसत से कम है।

### 5.5 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

विगत पाँच वर्षों के दौरान (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन को छोड़कर), हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,931 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 131.66 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 39 मामलों में शामिल ₹ 11.29 लाख की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसकी वसूली की जा चुकी है। विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़. में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2005-06	122	150	3.06	--	--	--	--
2006-07	186	233	7.08	--	--	--	--
2007-08	210	320	93.30	--	--	--	--
2008-09	329	608	14.70	20	0.08	20	0.08
2009-10	325	620	13.52	19	0.04	19	0.04
योग	1,172	1,931	131.66	39	0.12	39	0.12

अधिक संख्या में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ लम्बित रहने की दृष्टि में शासन नियमित अन्तराल में लम्बित प्रस्तरों के त्वरित निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा कमेटी की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

## 5.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित 329 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में स्टाम्प शुल्क के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं में निहित ₹ 16.40 करोड़ के 669 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़. में)				
क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि	
1.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	258	7.69	
2.	सम्पत्तियों के अवमूल्याकांन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	255	6.07	
3.	अन्य अनियमितताएं	156	2.64	
योग			669	16.40

वर्ष के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 149 मामलों में ₹ 37.79 लाख स्वीकार किये, जो विगत वर्षों में इंगित किये गये थे। वर्ष 2010-11 के दौरान 149 मामलों में सम्पूर्ण धनराशि ₹ 37.79 लाख वसूल किये गये।

₹ 10.36 करोड़ राजस्व निहित के कुछ निर्दर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

## 5.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में पट्टा विलेखों में स्टाम्प शुल्क का अपवर्चन, स्टाम्प ड्यूटी का कम आरोपण और भूमि का अवमूल्यन आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

## 5.8 पट्टा विलेखों में स्टाम्प शुल्क का करापवर्चन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 73अ(1) में प्रावधानित है, कि जहाँ कलैक्टर के पास विश्वास करने का कारण हो कि किसी विलेख पर प्रभारी शुल्क को बिल्कुल ही प्रभारित नहीं किया गया है या इस अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय शुल्क त्रुटि पूर्ण रूप से प्रभारित किया गया है, वह या उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी उनके तरफ से किसी परिसर में प्रवेश कर सकता जहाँ कलैक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि जहाँ उक्त विलेख की कार्यवाही या इससे सम्बन्धित कोई पंजिकाएं, पुस्तकें, अभिलेखों, कागजों, मानचित्र, प्रलेखों को रखा गया है और उनका निरीक्षण करके जैसा कलैक्टर या उक्त अधिकारी आवश्यक समझे उन टिप्पणियों, प्रतियों और सार प्राप्त करे। अधिनियम के अनुच्छेद 35 की अनुसूची 1-ख के अनुसार स्थायी सम्पत्ति के पट्टे से सम्बन्धित विलेख, जिसमें शिकमी लीज और किराये पर उठाने या शिकमी किराये पर देने का अनुबंध सम्मिलित है पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्धारित दरों पर प्रभारणीय है।

का जाँच किया, जहाँ राज्य के दो प्रमुख मॉलों<sup>1</sup> को निबंधित किया था। हमने जाँच में देखा कि गाजियाबाद मॉल की 59 दुकानों में से छ: दुकानों के पट्टा अनुबंधों और लखनऊ माल में 109 पट्टाकृत दुकानों के अनुबंधों को किसी ने भी सम्बन्धित निबन्धन प्राधिकारी से विलेखों को निबंधित नहीं कराया। इसके परिणामस्वरूप केवल इन दो मालों में ही 115 दुकानों के पट्टों पर ₹ 5.20 करोड़<sup>2</sup> का स्टाम्प शुल्क का अपवर्चन हुआ।

हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को प्रस्तुत की गयी पाँच कारपोरेटस<sup>3</sup> के किराये के पट्टा विलेखों के अभिलेखों का भी परीक्षण किया और पाया कि सभी सात पट्टा

परीक्षण के क्रम में कि यदि बड़े शॉपिंग मॉलों ने अपनी दुकानों को पट्टे पर दी हो, उन पट्टा विलेखों पर उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाना है, हमने उपनिबंधकों के अभिलेखों

<sup>1</sup> शिप्रा मॉल गाजियाबाद और सहारा मॉल लखनऊ

<sup>2</sup> ₹1.37 करोड़ शिप्रा मॉल गाजियाबाद और ₹ 3.83 करोड़ सहारा मॉल लखनऊ

<sup>3</sup> (i) मैं0 आई0इंजीनियरिंग इण्डिया, प्राइवेट लिं0, ए-37, सेक्टर 60, नोयडा

(ii) मैं0 एडवांस स्टेट ट्यूब लिमिटेड, गाजियाबाद

(iii) मैं0 आई0 टेक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिं0, नई दिल्ली

(iv) मैं0 सलोरा नेशनल लिमिटेड, डी-13/4, ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली

(v) मैं0 रोहित सरफरैट प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर

विलेख की धनराशि ₹ 95.14 लाख पर उचित स्टाम्प शुल्क के बजाय प्रत्येक में ₹ 100 कुल ₹ 700 पर स्टाम्पित किये गये थे जैसा कि परिशिष्ट-XIV में दर्शाया गया है।

सर्वाधिक दृष्टिगोचर होने वाली शाँपिंग मॉलों में भी स्टाम्प इयूटी के अपवंचन का पता लगाने में विभाग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। यदि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य के अन्य मॉलों के पट्टा विलेखों के विवरणों का जाँच की जाय तो अपवंचन और अधिक हो सकता है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये स्थापित क्षेत्रीय इकनोमिक इण्टेलीज़ैंस कमेटी (आर0ई0आई0सी0) में महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन (आई0जी0आर0) भी एक सदस्य हैं। हमने देखा कि विभाग ने ऐसे प्रकरणों में सूचनाओं को एकत्रित करने के लिये आर0ई0आई0सी0 के फोरम का उपयोग नहीं किया।

हमने संस्तुति करते हैं कि राजस्व हानि से बचने के लिए विभाग को अपनी शक्तियों का और अन्य विभागों से अधिक सूचना एकत्रित करने में आर0ई0आई0सी0 फोरम का प्रभावी उपयोग करना चाहिये।

हमने प्रकरण अप्रैल से अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग एवं शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2011), कि सहारा मॉल लखनऊ के प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है और अन्य प्रकरण में कार्यवाही की जायेगी।

## 5.9 सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

### 5.9.1 24 उप-निबन्धक<sup>4</sup>

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अंतर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है।

अप्रैल 2010 और फरवरी 2011 के मध्य 24 उप-निबंधकों के अभिलेखों के जाँच में देखा कि जुलाई 2009 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य अकृषि भूमि से सम्बन्धित 39 हस्तान्तरण विलेख पत्रों को कृषि दर के मूल्यांकन ₹ 6.13 करोड़ करके निबंधित किये गये थे और ₹ 41.87 लाख स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था।

हमने निम्न युक्तियों के कारण

यह पाया कि मूल्यांकन आवासीय दर पर किया जाना चाहिये:

- उसी प्लाट का हिस्सा पूर्व में आवासीय दर से बेचा गया था (12 विलेख)।
- प्लाट को सर्किल दर में आवासीय घोषित किया गया था (10 विलेख)।
- उसी प्लाट के हिस्से को एक ही दिन में विभिन्न दरों पर मूल्यांकित किया गया था (8 विलेख)।

<sup>4</sup> उ0नि0-I, आगरा, उ0नि0-IV आगरा, उ0नि0 एत्मादपुर आगरा, उ0नि0-II अलीगढ़, उ0नि0-I इलाहाबाद, उ0नि0 करचना, इलाहाबाद, उ0नि0 महेरी बहराइच, उ0नि0रसड़ा बलिया, उ0नि0 सदर बलिया, उ0नि0 सदर बाँदा, उ0नि0 हैदरगढ़ बाराबंकी, उ0नि0 सदर चन्दौली, उ0नि0 टूण्डला फिरोजाबाद, उ0नि0 चक्रनगर इटावा, उ0नि0 सदर गाजीपुर, उ0नि0 बाँसगाँव गोरखपुर, उ0नि0 सवायजपुर हरदोई, उ0नि0-I झाँसी, उ0नि0-II झाँसी, उ0नि0-II लखनऊ, उ0नि0-V लखनऊ, उ0नि0 सम्मल मुरादाबाद, उ0नि0-I मुजफ्फरनगर एवं उ0नि0-II वाराणसी।

- उसी प्लाट के हिस्से को उसी दिन/अगले दिन आवासीय दर पर बिक्रय किया गया था (5 विलेख)।
- प्लाटों की चौहदादी में आवासीय प्लाट थे (2 विलेख)।
- प्लाट को सात छोटे-2 प्लाटों में बेचा गया था (2 विलेख)।

सम्पत्ति का आवासीय दर से उचित मूल्यांकन ₹ 28.09 करोड़ होता है, जिस पर ₹ 1.81 करोड़ का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। इस प्रकार सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया जैसा कि **परिशिष्ट-XV** में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण जनवरी 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया।

विभाग एवं शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये उत्तर दिया कि छः मामलों<sup>5</sup> को विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णित किया गया और चार मामलों<sup>6</sup> में ₹ 4.75 लाख वसूल किये जा चुके हैं, जबकि दो मामलों<sup>7</sup> में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। शेष मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं।

**5.9.2** उपनिबंधक—I गाजियाबाद के अभिलेखों की जाँच जुलाई 2010 में, हमने देखा कि एक वाणिज्यिक भूमि/सम्पत्ति से सम्बंधित हस्तान्तरण विलेख आवासीय दर पर ₹ 6.12 करोड़ के मूल्यांकन पर निबन्धित किया गया और ₹ 42.88 लाख स्टाम्प शुल्क का आरोपण किया गया। सम्पत्ति तीन तरफ से वाणिज्यिक संस्थान से घिरी है और राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है तथा इसे एक वाणिज्यिक संस्थान<sup>8</sup> द्वारा दूसरे वाणिज्यिक संस्थान<sup>9</sup> को बिक्रय किया गया था। इसीलिये सम्पत्ति का सही मूल्यांकन वाणिज्यिक दर पर किया जाना चाहिये जो ₹ 23.20 करोड़ होता है। इस पर ₹ 1.62 करोड़ का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

हमने प्रकरण अक्टूबर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया।

विभाग एवं शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर व अक्टूबर 2011) कि प्रकरण सहायक आयुक्त (स्टाम्प) को संदर्भित किया जा चुका है और न्यायालय में अभी भी लम्बित है।

**5.9.3** आठ उप-निबंधकों<sup>10</sup> के अभिलेखों के जाँच में अगस्त 2010 व फरवरी 2011 के मध्य हमने देखा कि आवासीय प्लाट/भवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिल्डरों/विकासकर्ताओं/आवास समितियों द्वारा भूमि के क्रय/बिक्रय की 12 हस्तान्तरण विलेखों को निर्बंधित कराया गया था। भूमि के उद्देश्य को देखते हुए इन विलेखों में भूमि का मूल्यांकन निर्धारित अकृषि दर पर ₹ 17.36 करोड़ करने के बजाय कृषि दर पर ₹ 2.91 करोड़ किया गया। तदनुसार ₹ 1.07 करोड़ का स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय था जबकि इस पर केवल ₹ 18.91 लाख स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया। इस प्रकार भूमि के अवमूल्यन के फलस्वरूप ₹ 88.08 लाख कम स्टाम्प शुल्क का आरोपण किया गया जैसा कि **परिशिष्ट XVI** में दर्शाया गया है।

<sup>5</sup> क्र0सं0 3, 20(प्रथम विलेख), 12,17,10 एवं 14

<sup>6</sup> क्र0सं0 3, 12,10 एवं 14

<sup>7</sup> क्र0सं0 20 (प्रथम विलेख) एवं क्र0सं0 17

<sup>8</sup> मैं0 तेलस ट्रेडिंग कम्पनी

<sup>9</sup> मैं0 इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट

<sup>10</sup> उ0नि0 सदर फतेहपुर, उ0नि0 सदर फिरोजाबाद, उ0नि0 सदर ललितपुर, उ0नि0 III, लखनऊ, उ0नि0—I कानपुर, उ0नि0-II कानपुर, उ0नि0-III कानपुर एवं उ0नि0 सदर उन्नाव।

हमने प्रकरण सितम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया।

विभाग एवं शासन ने सितम्बर एवं अक्टूबर 2011 के मध्य उत्तर दिया कि क्र०सं० 5 में स्टाम्प ड्यूटी ₹ 3.17 लाख के सापेक्ष ₹ 64,470 का आरोपण एवं वसूली की जा चुकी है। अन्य प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं।

**5.9.4** उप निबंधक फूलपुर इलाहाबाद के अभिलेखों के जाँच में हमने देखा (जून 2010) कि दो हस्तान्तरण विलेख पत्रों में अन्दावा पर स्थिति भूमि का बिक्रीत क्षेत्रफल<sup>11</sup> 9,392 वर्गमीटर का निबन्धन अक्टूबर 2009 में किया गया था। स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु कृषि दर पर मूल्यांकन ₹ 1.12 करोड़ किया गया और स्टाम्प शुल्क ₹ 7.87 लाख आरोपित किया गया। सर्किल दर में लागू अकृषि भूमि की दर ₹ 7000 प्रति वर्गमीटर थी, जिसके अनुसार यह ₹ 6.57 करोड़ आगणित होती है जिस पर ₹ 46.02 लाख का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। इस प्रकार भूमि के गलत मूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 38.15 लाख का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया जैसा कि नीचे इंगित है:

क्र० सं०	इकाई का नाम	खण्ड एवं विलेख सं०	निबंधन का माह (लेखा परीक्षा माह)	भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विभाग द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन	आरोपित स्टाम्प शुल्क	(₹ लाख में)		
							मूल्यांकन @ ₹ 7000 प्रवर्गमीटर (जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है)	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
1	उ०नि० फूलपुर, इलाहाबाद	2975 4074	3.10.2009 (जून 2010)	गाठा सं. 694 क्षेत्रफल 3.7590 हेक्टेयर में से 0.5492 हेक्टेयर जो 5492 वर्ग मीटर है	65.00	4.55	384.44	26.91	22.36
		2975 4075	3.10.2009 (जून 2010)	गाठा सं. 694 क्षेत्रफल 3.7950 हेक्टेयर में से 0.3900 हेक्टेयर बिक्रय किया गया जो 3900 वर्ग मीटर है	47.50	3.32	273.00	19.11	15.79
	योग				112.50 या 1.12 करोड़	7.87 या 7.87 लाख	657.44 या 6.57 करोड़	46.02	38.15

हमने प्रकरण नवम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया।

विभाग एवं शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2011) कि दोनों मामले सहायक आयुक्त (स्टाम्प) को न्यायिक निर्णय हेतु संदर्भित कर दिये गये हैं और न्यायालय में अभी भी लम्बित हैं।

<sup>11</sup> खसरा नं० 694 अंदावा पर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण त्रिवेणीपुरम के मुख्य गेट एवं जैन मंदिर के मध्य इलाहाबाद वाराणसी मार्ग (जी०टी०रोड़) पर।

**5.9.5** उप-निबंधक हरदोई के अभिलेखों के जाँच में हमने देखा (सितम्बर 2010) कि 21640 वर्गमीटर औद्योगिक सम्पत्ति से संबंधित तीन हस्तान्तरण विलेखों को वाणिज्यिक उपयोग के उद्देश्य के लिए कृषि भूमि की लागू दर के प्रतिफल ₹ 70.95 लाख पर 26 अक्टूबर 2009 / 27 अक्टूबर 2009 में निबंधित किया गया और ₹ 5 लाख का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया। विलेख की लिखित के अनुसार कथित सम्पत्ति औद्योगिक सम्पत्ति थी। इसीलिये सही मूल्यांकन उस क्षेत्र के आवासीय दर का 1.5 गुना ₹ 3.98 करोड़ किया जाना चाहिये जिस पर ₹ 27.89 लाख का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। इस प्रकार, सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 22.89 लाख का स्टाम्प शुल्क कम आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र0.सं0	विलेख संख्या निबंधन की तिथि	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	मूल्यांकन (विलेख के अनुसार)	आरोपणीय बाजार मूल्य (मूल्यांकन सूची के अनुसार)	स्टाम्प शुल्क		
					आरोपणीय	आरोपित	कम आरोपण
1.	10625 अक्टूबर 2009	10560	23.09	174.27	12.20	1.65	10.55
2.	10624 अक्टूबर 2009	7580	18.44	126.96	8.89	1.29	7.60
3.	10591 अक्टूबर 2009	3500	29.42	97.12	6.80	2.06	4.74
	योग	21640	70.95	398.35	27.89	5.00	22.89

हमारे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने मार्च 2011 में उत्तर दिया कि क्र0सं0 3 के मामले में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क ₹ 6.45 की ब्याज सहित वसूली फरवरी 2011 में कर ली गयी है। तथापि विभाग द्वारा कमी वाले भाग के चार गुने के समतुल्य आरोपणीय धनराशि ₹ 18.96 लाख ( $4.74 \times 4$ ) का अधिकतम् शास्ति प्रभारित नहीं किया गया था।

हमने प्रकरण नवम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य में विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया।

विभाग एवं शासन ने सितम्बर एवं अक्टूबर 2011 के मध्य उत्तर दिया कि सभी तीनों मामले को न्यायिक निर्णय हेतु अतिरिक्त किया जा चुका है। अन्य दो मामले अभी भी अतिरिक्त किया जा चुका हैं।

**5.9.6** चार उपनिबंधकों<sup>12</sup> की जुलाई 2010 व जनवरी 2011 के मध्य अभिलेखों के जाँच में, हमने देखा कि चार हस्तान्तरण विलेखों से संबंधित भूमि का क्रय शिक्षण संस्थानों द्वारा अकृषि भूमि की निर्धारित दर के मूल्यांकन ₹ 2.73 करोड़ के बजाय कृषि दर के मूल्यांकन ₹ 55.53 लाख पर निबंधित किया गया था। हमारा निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित है कि इन प्लाटों की चौहादियों में शिक्षण संस्थान थे और इनको शिक्षण संस्थान चलाने एवं तत्सम्बन्धित कार्यकलापों के लिये क्रय किया गया था जैसा कि विलेखों में उल्लिखित था। इसलिये ₹ 17.55 लाख का स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय था, जबकि केवल ₹ 4.15 लाख का स्टाम्प शुल्क भुगतान किया गया था। भूमि के इस अवमूल्यन के फलस्वरूप ₹ 13.40 लाख का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया जैसा कि निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

<sup>12</sup> उ0नि0— गभाना अलीगढ़, सदर बलिया, बब्रेल बॉदा, एवं मऊ।

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	विलेख संख्या (निबन्धन तिथि)	चौहदी	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विलेख के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय बाजार मूल्य (मूँसूँके अनुसार)	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क		
							आरोपणीय	आरोपित	कम आरोपण
1.	उ०नि०, गभाना, अलीगढ़	1876 (मार्च 2010)	उत्तर-जी ०टी०रोड एवं दक्षिण शिक्षण संस्थान	3735.00	7.72	112.05	7.84	0.92	6.92
2.	उ०नि० सदर, बलिया	4489/10 (सितम्बर 2010)	उत्तर-जमुआन राम डिग्री कालेज	4120.80	6.06	53.58	2.68	0.30	2.38
3.	उ०नि०, बबौल बॉदा	6586 (नवम्बर 2009)	उत्तर-विद्या मंदिर की भूमि	2620.00	1.25	26.20	1.36	0.09	1.27
4.	उ०नि० सदर मऊ	3289 (सितम्बर 2010)	उत्तर-सुखराम इण्टर कालेज की भूमि	4050.00	40.50	81.00	5.67	2.84	2.83
	योग	4 विलेख			55.53	272.83	17.55	4.15	13.40

हमने प्रकरण सितम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया।

विभाग एवं शासन ने उत्तर दिया कि सहायक आयुक्त (स्टाम्प) ने क्र०सं० 3 का प्रकरण यथाविधि स्टाम्पित घोषित किया। हमारा सुझाव है कि विभाग इसे मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी को संदर्भित कर सकता है। अन्य प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं।



## अध्याय-VI

### अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

#### 6.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2010–11 में सिचाई, वन, एवं मनोरंजन कर विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 310.75 करोड़ के प्रतिशत प्रभार, स्वामित्व शुल्क (रायलटी), ब्याज की वसूली, आदि के 304 प्रकरण प्रकाश में आये जो कि निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
<b>सिचाई विभाग</b>			
1.	सेंटेज प्रभारों की वसूली न किया जाना	0 4	0.29
2.	रायलटी की वसूली न किया	08	2.62
3.	अन्य अनियमितताएं	57	5.83
	<b>योग (अ)</b>	<b>69</b>	<b>8.74</b>
<b>वन विभाग</b>			
1.	विविध हानियाँ	48	205.01
2.	निष्क्रिय निवेश, निष्क्रिय स्थापना, निधियों को रोका जाना	6	1.92
3.	लम्बित वसूलियाँ	46	24.27
4.	डददेश्यों की प्राप्ति न होना	1	0.14
5.	अन्य अनियमितताएं	71	68.50
	<b>योग (ब)</b>	<b>172</b>	<b>299.84</b>
<b>मनोरंजन कर विभाग</b>			
1.	ब्याज की वसूली न किया जाना	07	0.08
2.	कर की वसूली न किया जाना	33	1.63
3.	अन्य अनियमितताएं	23	0.46
	<b>योग (स)</b>	<b>63</b>	<b>2.17</b>
	<b>महायोग (अ+ब+स)</b>	<b>304</b>	<b>310.75</b>

वर्ष 2010–11 के दौरान विभाग ने 19 मामलों में निहित ₹ 32.50 लाख की वसूली की गयी। जिसमें से एक मामले में निहित धनराशि ₹ 1.09 लाख वर्ष 1010–11 में और शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे।

₹ 91.91 लाख के कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

## 6.2 लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

सिंचाई विभाग, नियन्त्रक माँप एवं तौल, वन तथा मनोरंजन कर विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच में प्रतिशतता प्रभार की वसूली न किया जाना, माँप एवं तौल का सत्यापन न किया जाना, वन भूमि का मूल्य न वसूल किया जाना और ब्याज का प्रभार न किया जाना आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएँ न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

## 6.3 निष्केप कार्यों पर प्रतिशतता प्रभार का अनारोपण

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रावधानों के साथ पठित शासनादेश दिनांक 19 अगस्त 1998 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग से सम्पादित निष्केप निर्माण कार्य के वास्तविक परिव्यय पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशतता प्रभार आरोपित करके राजकीय लेखें में जमा किया जाना है, ऐसे कार्य सिंचाई विभाग द्वारा राज्य में वाणिज्यिक विभागों तथा स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों के निष्केप निर्माण कार्य को सम्पादित किया गया है।

सिंचाई खण्ड<sup>1</sup> के दो अधिशासी अभियतांओं के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2010 एवं अगस्त 2010 के मध्य) की गयी हमने देखा कि खण्डों ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2010 के मध्य वाणिज्यिक इकाइयों एवं स्थानीय निकायों<sup>2</sup> की ओर से ₹ 96.52 लाख का निष्केप

कार्य किया। जबकि खण्डों द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 12.07 लाख धनराशि का प्रतिशतता प्रभारों का आरोपण नहीं किया गया था, यद्यपि यह सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व है कि कार्य की प्रगति के अनुसार इसकी वसूली करें।

हमने प्रकरण सितम्बर 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया।

हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2011)।

<sup>1</sup> नरौरा खण्ड, निचली गंगा नहर, अलीगढ़, मेरठ खण्ड, गंगानहर, मेरठ।

<sup>2</sup> उपूर्व रेलवे इंजिनियर बरेली, (₹ 42.40 लाख), नगर निगम मेरठ (₹ 22.67 लाख), दौराला चीनी मिल, दौराला मेरठ (₹ 4.03 लाख), नगर पालिका परिषद, मोदी नगर (₹ 4.57 लाख), एयरटेल लिमिटेड, नई दिल्ली (₹ 22.85 लाख)।

## 6.4 शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना

मानक माँप एवं तौल (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (मा०माँ०एवंतौ०) के प्रावधानों के साथ पठित उ०प्र०मानक माँप एवं तौल (नियम) 1990 (उ०प्र०मा०माँ०एवंतौ०) के नियम 14 एवं 15 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व, नियन्त्रण, या संरक्षण में किसी माँप एवं तौल (संग्रहण टैंक, लॉरीज एवं डिस्पेंसिंग माँप आदि सहित) हो, जिनका वह किसी लेनदेन या औद्योगिक उत्पादन में उपयोग करते हों का सत्यापन या पुर्णसत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा और इन्हें पाँच वर्ष में कम से कम एक बार जैसा भी ममला हो निर्धारित फीस के भुगतान करके स्टाम्पित करायेगा। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर नियम 47 के अन्तर्गत अर्थदण्ड जिसे ₹ 500 तक बढ़ाया जा सकता है देय होगा। पुनःश्च उ०प्र०मानक माँप एवं तौल नियम 17(3) के अंतर्गत उ०प्र०मा०माँ०तौ० के शिड्युल 12 में निर्दिष्ट दर के आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क पुर्णसत्यापन हेतु वैधता अवधि के समाप्ति के पश्चात् वर्ष के प्रत्येक क्वार्टर या उसके भाग के लिये भी देय होगा।

आरोपणीय अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी। पुनःश्च वैट्स/संभरण टैंकों का कैलीब्रेशन न करने से इनमें संग्रहित लीकर के आयतन का गलत निर्धारण का खतरा रहेगा परिणामस्वरूप गलत आबकारी शुल्क निर्धारित होगी।

विभाग ने हमारे निरीक्षण को स्वीकार किया और मई 2011 में उत्तर दिया कि एक मामले में आसवनी को नोटिस निर्गत की गयी है। अन्य प्रकरण में आसवनी ने ₹ 5,000 बिलम्ब शुल्क जमा कर दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। हमें फीस/अर्थदण्ड की वसूली की कार्यवाही किये जाने की अन्य कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (दिसम्बर 2011)।

दो आसवनियों<sup>3</sup> के जून 2010 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य अभिलेखों के नमूना जाँच में हमने देखा कि माँप एवं तौल विभाग द्वारा सत्यापन किये बिना ही पाँच वर्षों की वैधता समाप्ति के पश्चात् इन आसवनियों में संग्रहण वैट्स/टैंकों का उपयोग हो रहा था। विभाग ने जैसा कि नियम 15(7) में अभिलिखित है, के अनुसार सत्यापन/पुर्णसत्यापन के लिये निरीक्षण नहीं किया और उपयोगकर्ताओं ने भी जैसा कि नियम 15(1) में अभिलिखित है के अनुसार वैट्स/संग्रहण टैंकों का सत्यापन नहीं कराया। इसके परिणामस्वरूप आरोपणीय शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क की धनराशि ₹ 12.29 लाख साथ में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर

<sup>3</sup> (i) किसान सहकारी चीनी मिल लि०, समूर्णानगर आसवनी, लखीमपुर खीरी ने 1999 से सत्यापित नहीं कराया और (ii) मैसर्स केऽएम०चीनी मिल आसवनी मसोधा, फैजाबाद ने 1995 से 1999 के मध्य रखापन से सत्यापित नहीं कराया।

## 6.5 वन भूमि के उपयोग पर शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिनांक 22 अगस्त 2008 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (शु0व0मू0) की की गणना भूमि के गुणवत्ता के आधार पर करके इसकी वसूली उन संस्थानों से की जायेगी जो वन भूमि उपयोग गैर वानिकी कार्य के लिए करेंगे। पूर्ववर्ती दर ₹ 9.20 प्रति हेक्टेयर को मई 2008 से ₹ 7.30 लाख का पाँच गुना प्रति हेक्टेयर वन्य जीव अभ्यारण्य की खुली भूमि के लिये संशोधित किया गया था।

माँगा और प्राप्त किया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र दिनांक 30.5.2008 की शर्त सं0 6 के अनुसार दरों के संशोधन के कारण उत्पन्न कोई भी अतिरिक्त/अंतरीय धनराशि के भुगतान हेतु क्रेता बाध्य है। इन प्रावधानों के बावजूद स0व0म० ने संशोधित दर से माँग पत्र जारी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप शु0व0मू0 ₹ 58.01 लाख (₹ 77.56 – ₹ 19.55) की वसूली नहीं की गयी।

प्रकरण जून 2011 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया। अनुस्मारकों के उपरान्त भी हमें उनके कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

## 6.6 कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित न किया जाना

छ: मनोरंजन कर अधिकारी<sup>4</sup>

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 के अंतर्गत सिनेमा मालिकों द्वारा सप्ताह की समाप्ति के तीन दिन के अंदर एवं केबिल संचालकों द्वारा महीने की समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर मनोरंजन कर जमा करना होता है। उल्लंघन की दशा में सिनेमा मालिकों से प्रथम तीन माह के लिये 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके पश्चात् 2 प्रतिशत की दर से तथा केबिल संचालकों से 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूली योग्य है।

लाख जमा/संग्रहीत किया गया था। बिलम्ब की अवधि 2 से 120 माहों के श्रेणी में थी। यद्यपि ₹ 9.54 लाख ब्याज की धनराशि आरोपणीय होने पर भी विभाग द्वारा प्रभारित नहीं किया गया।

सम्भागीय वन अधिकारी (स0व0म०) बिजनौर के अभिलेखों की नमूना जाँच में (मार्च 2011) हमने देखा कि जून 2008 में नहर निर्माण के लिये 2.125 हेक्टेयर वन भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गयी थी। वन विभाग ने सिंचाई विभाग से इस भूमि का शु0व0मू0 ₹ 77.56 लाख (2.125हे0 x 7.30 लाख x 5) के विरुद्ध ₹ 19.55 लाख

दिसम्बर 2008 एवं अगस्त 2010 के मध्य अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने बकाया रजिस्टर से देखा कि दिसम्बर 2000 अगस्त 2009 के मध्य दो सिनेमा मालिकों एवं 25 केबिल संचालकों से देय मनोरंजन कर ₹ 22.41

<sup>4</sup> बागपत (₹ 1.05 लाख), बाराबंकी (₹ 3.27 लाख), फर्लखाबाद (₹ 0.55 लाख), गोण्डा (₹ 0.60 लाख,) गोरखपुर (₹ 3.05 लाख) व सिद्धार्थनगर (₹ 1.02 लाख)।

बकाया पंजिका में विवरण उपलब्ध होते हुए भी विभागीय स्तर पर शिथिलता के कारण ₹ 9.54 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुयी।

हमारे इंगित किये जाने के पश्चात् म0क030 बाराबंकी ने बताया कि सिनेमा मालिक से ₹ 25,000 वसूला गया है। हमें शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

हमने प्रकरण जनवरी 2009 एवं अगस्त 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया; हमें उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2011)।

लखनऊ  
दिनांक : 11 मार्च 2012

  
(डा० स्मिता एस० चौधरी)  
महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)  
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक :

(विनोद राय)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



## परिशिष्ट-I

**कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण  
(संदर्भित प्रस्तर सं 2.11.I)**

(₹ लाख में)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम अनियमितताओं की प्रकृति	कर योग्य दर्नाओंवर	कर की दर (प्रतिशत) आरोपणीय/आरोपण पत	कम आरोपित कर
1.	वा0क030-2, बाराबंकी	1	2006-07 (मार्च 2009)	सीमेंट की वस्तु (गलत दर से कर आरोपित)	9.31	12/8	0.37
			2007-08 (अक्टूबर 2009)	-तदैव-	5.20	12/8	0.21
2.	अ0क0-4, वा0क0 फिरोजाबाद	1	2007-08 (फरवरी 2009)	वाशिंग सोप (संशोधित कर की दर का न लगाया जाना)	11.55	12.5/8	0.52
3.	डिं0क0-5, वा0क0 गाजियाबाद	1	2007-08 (दिसम्बर 2009)	एन्टीना का बेस (संशोधित कर की दर का न लगाया जाना)	97.49	10/8	1.95
4.	डिं0क0-3, वा0क0 गाजियाबाद	1(a)	2005-06 (जनवरी 2009)	एम0डी0एफ0बोर्ड (अवर्गीकृत वस्तु)	63.95	10/8	1.28 + 1.37 = 2.65
			2006-07 (मार्च 2009)	-तदैव-	68.79	10/8	
		1(b)	2005-06 (फरवरी 2009)	ट्रैक्टर बैट्री (क0नि0प्रा0 द्वारा ट्रैक्टर पार्ट्स माना गया)	17.25	10/5	0.86
5.	डिं0क0-10, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08 (दिसम्बर 2009)	यू०पी०एस० (संशोधित कर की दर का न लगाया जाना)	35.21	10/4	2.11
6.	डिं0क0-17, वा0क0 कानपुर	1	2007-08 (अक्टूबर 2009)	-तदैव-	17.08	10/4	1.02
7.	डिं0क0-15, वा0क0 कानपुर	1	2007-08 (फरवरी 2010)	-तदैव-	40.77	10/4	2.45
8.	डिं0क0-12 वा0क0 लखनऊ	1	2007-08 (जनवरी 2010)	-तदैव-	65.55	10/8	1.31
9.	डिं0क0-14, वा0क0 गाजियाबाद	2	2006-07 (मार्च 2009)	टावर गलत दर से कर आरोपित	78.83	12/8	3.15
			2006-07 (सितम्बर 2008)	रबर क्रेमिकल (गलत दर से कर आरोपित)	40.38	4/2.5	0.61
			2007-08 (मार्च 2010)	-तदैव-	48.94	4/2.5	0.73
10.	डिं0क0-1, वा0क0 गाजीपुर	1	2006-07 (मार्च 2009)	राईस हस्क (गलत दर से कर आरोपित)	133.38	5/4	1.33
			2007-08 (जनवरी 2010)	-तदैव-	150.25	5/4	1.50
11.	अ0क0-2 वा0क0 हसनपुर	1	2006-07 (मार्च 2009)	फूड कलर (अवर्गीकृत वस्तु)	11.74	10/4	0.70
			2007-08 (फरवरी 2010)	-तदैव-	5.33	10/4	0.32
12.	अ0क0-6, वा0क0 सहारनपुर	1	2007-08 (नवम्बर 2009)	-तदैव-	12.09	10/4	0.72

13.	ज्वां को (का०-२) कानपुर	2	2007-08 (फरवरी 2010)	इन्वर्टर (संशोधित कर की दर का न लगाया जाना)	28.22	10/4	1.69
			2007-08 मार्च 2010)	स्टेशनरी (अवर्गीकृत वस्तु)	151.36	10/8	3.03
14.	डिंको-27 वा०को कानपुर	1	2006-07 (सितम्बर 2009)	टाइल्स (कर आरोपित नहीं किया गया)	7.93	16/0	1.27
				सीमेन्ट (कर आरोपित नहीं किया गया)	26.86	12/0	3.22
15.	अ०को-27 वा०को कानपुर	1	2006-07 (मार्च 2008)	सनफ्लावर (आयल सीड) (गलत दर से कर आरोपित)	27.46	4/2	0.55
16.	डिंको-8 वा०को लखनऊ	1	2007-08 (मार्च 2010)	राईस ब्रान/राईस पालिश (गलत दर से कर आरोपित)	58.73	5/4	0.59
17.	डिंको-10 वा०को लखनऊ	1	2006-07 (नवम्बर 2009)	आयल इंजिन पार्ट्स (संशोधित कर की दर का न लगाया जाना)	34.28	9/8	0.34
			2007-08 (दिसम्बर 2009)	—तदैव—	19.37	9/8	0.19
18.	अ०को-2 वा०को ललितपुर	3	2007-08 (दिसम्बर 2009)	जटादार वाटरी कोकोनट (क०नि०प्रा० द्वारा हरा कोकोनट माना गया)	71.73	4/0	2.87
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	77.16	4/0	3.09
			2007-08 (दिसम्बर 2009)	—तदैव—	53.02	4/0	2.12
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	157.60	4/0	6.30
			2007-08 (दिसम्बर 2009)	—तदैव—	140.80	4/0	5.63
19.	डिंको-8, वा०को बरेली	1	2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	132.92	4/0	5.32
			2007-08 (जनवरी 2010)	—तदैव—	188.31	4/0	7.53
20.	डिंको-वा० को सरथना मण्डल मेरठ	1	2005-06 (मार्च 2008)	कोरोगेटेड बॉक्स (अवर्गीकृत वस्तु)	36.19	10/8	0.72
21.	डिंको-14 वा०को नोयडा	1	2007-08 (मार्च 2010)	मेन्था आयल (गलत दर से कर आरोपित)	120.14	2.5/2	0.60
22.	अ०को-10 वा०को गोण्डा	1	2007-08 (फरवरी 2010)	साप्टवेयर (कर आरोपित नहीं किया गया)	95.55	4/0	3.82
23.	अ०को-11 वा०को नोयडा	1	2007-08 (मार्च -2010)	ग्लासवेयर (गलत दर से कर आरोपित)	28.15	16/10	1.69
24.	अ०को-5 वा०को सोनभद्र	1	2006-07 (मार्च 2009)	विद्युत समाधान योजना (फार्म 31 और सी का प्रयोग)	27.46	4/2	0.55
25.	डिंको-6 वा०को वाराणसी	1	2007-08 (जनवरी 2010)	सी०डी०आर० (अवर्गीकृत वस्तु)	110.03	10/4	6.60
26.	डिंको-14 वा०को लखनऊ	1	2007-08 (मार्च 2010)	स्टेशनरी (अवर्गीकृत वस्तु)	42.30	10/8	0.85
27.	अ०को-22 वा०को लखनऊ	1	2007-08 (दिसम्बर 2010)	बैगास (अवर्गीकृत वस्तु)	6.19	10/0	0.62
28.	अ०को-16 वा०को लखनऊ	1	2007-08 (नवम्बर 2010)	वायर क्रेट (गलत दर से कर आरोपित)	21.38	8/4	0.86
	योग	33			2576.23		82.56

## परिशिष्ट-II

### माल के गलत वर्गीकरण के कारण कम कर का आरोपण (संदर्भित प्रस्तर सं 2.11.2)

क्र० सं०	इकाई का नाम व्यापारियों संख्या	कर निधारण वर्ष (कर निधारण आदेश का माह व वर्ष)	अनियमितताओं की प्रकृति	टर्नओवर	कर की दर (प्रतिशत)	(₹ लाख में)	
						आरोपणीय /आरोपित	कम आरोपित कर
1.	डिंको-3, वारको, आगरा	1	2006-07 (जनवरी 2009)	डिस्पोजेविल ग्लास को प्लास्टिक कंटेनर माना गया	34.15	10/8	0.68
			2007-08 (सितम्बर 2009)	—तदैव—	8.64	10/8	0.17
2.	अ०को-7, वारको आगरा	1	2005-06 (मार्च 2008)	टिश्यू पेपर को पेपर माना गया	65.86	16 (-) 5% कर प्रदत्त = 11	7.24
3.	डिंको-2, वारको फैजाबाद	1	2007-08 (मार्च 2010)	गुलाब जामुन पाउडर को न्यूट्रीशन फूड माना गया	18.64	12/8	0.75
4.	डिंको-10, वारको गाजियाबाद	1	2007-08 (मार्च 2010)	एल्युमिनियम क्वायल को एल्युमिनियम शीट माना गया	12.87	10/4	0.77
5.	अ०को-2, वारको गोरखपुर	1	2005-06 (सितम्बर 2008)	ग्लूड आयल को ओल्ड एवं डिस्कार्ड माना गया	7.94	10/5	0.40
			2006-07 (फरवरी 2009)	—तदैव—	12.12	10/5	0.61
6.	डिंको-8, वारको, कानपुर	2	2006-07 (दिसम्बर 2009)	ग्लूकोज पाउडर को लिकिवड ग्लूकोज माना गया	13.48	8/4	0.54
			2007-08 (दिसम्बर 2009)	—तदैव—	10.02	8/4	0.40
			2007-08 (नवम्बर 2009)	—तदैव—	19.31	8/4	0.72
7.	डिंको-15, वारको कानपुर	1	2007-08 (दिसम्बर 2009)	एपाक्सी रेजिन को केमिकल माना गया	73.57	10/4	4.41
8.	डिंको-18, वारको कानपुर	1	2006-07 (फरवरी 2008)	ब्रेक फ्ल्यूड लाइन (लुब्रीकेन्ट ऑफ आल काइन्डस) को आयल आफ आल अंदर काइन्डस माना गया	79.66	20/10	7.97
			2007-08 (दिसम्बर 2009)	—तदैव—	52.12	20/10	5.21
9.	डिंको-20, वारको कानपुर	1	2006-07 (दिसम्बर 2008)	ग्लिसरीन को केमिकल माना गया	120.08	10/4	7.20
			2007-08 (जनवरी 2010)	—तदैव—	44.68	10/4	2.68
10.	अ०को-21, वारको, कानपुर	1	2006-07 (जनवरी 2009)	ग्लूड आयल को ओल्ड एवं डिस्कार्ड माना गया	17.96	10/5	0.90
			2007-08 (अक्टूबर 2009)	—तदैव—	10.10	10/5	0.51
11.	ज्वारको (कारपोरेट)-2 वारको, कानपुर	2	2007-08 (फरवरी 2010)	यू०पी०एस०बैटरी को कम्प्यूटर हार्डवेयर माना गया	92.21	10/4	5.53
				ग्रीस/ब्रेक आयल को अवर्गीकृत माना गया	23.63	20/10	2.36

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	अनियमितताओं की प्रकृति	टर्नओवर	कर की दर (प्रतिशत) आरोपीय /आरोपित	कम आरोपित कर
12.	अ0क0-4 वा0क0, मुरादाबाद	1	2006-07 (मार्च 2008)	यीस्ट को केमिकल माना गया	3.68	10/4	0.22
			2007-08 (अक्टूबर 2009)	—तदैव—	8.26	10/4	0.50
13.	डिं0क0-3, वा0क0, मुजफ्फरनगर	1	2007-08 (मार्च 2010)	इण्डस्ट्रीयल साल्वेन्ट को केमिकल माना गया	13.55	12/4	1.08
14.	डिं0क0-2, वा0क0, नौयडा	1	2007-08 (दिसम्बर 2009)	पैराथिन लिकिंड को केमिकल माना गया	257.90	8/4	10.32
15.	डिं0क0-13, वा0क0, वाराणसी	1	2006-07 (अक्टूबर 2008)	लिलसरीन को केमिकल माना गया	285.78	10/4	17.15
			2007-08 (सितम्बर 2009)	—तदैव—	78.92	10/4	4.74
16.	डिं0क0-4, वा0क0, अलीगढ़	1	2007-08 (अक्टूबर 2009)	संरक्षित खाद्य सामग्री को स्वीटपीट व नमकीन जिस पर उपभेदता के बिन्दु पर बिक्री माना गया जबकि संरक्षित खाद्य सामग्री निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर कर देयता है।	44.85	12/5	3.14
17.	डिं0क0-8, वा0क0, झाँसी	1	2005-06 (दिसम्बर 2008)	संरक्षित खाद्य सामग्री को स्वीटपीट व नमकीन जिस पर उपभेदता के बिन्दु पर बिक्री माना गया जबकि संरक्षित खाद्य सामग्री निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर कर देयता है।	90.51	12/5	6.34
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	101.91	12/5	7.13
			2007-08 (जनवरी 2010)	—तदैव—	94.99	12/5	6.65
18.	डिं0क0-12, वा0क0, लखनऊ	1	2007-08 (अगस्त 2009)	संरक्षित खाद्य सामग्री को स्वीटपीट व नमकीन जिस पर उपभेदता के बिन्दु पर बिक्री माना गया जबकि संरक्षित खाद्य सामग्री निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर कर देयता है।	546.34	12/5	38.24
	योग	20			2,243.73		144.56

### परिशिष्ट-III

**टेन्डर फार्मो/बुकलेट्स/ब्रोशर्स की विक्री का विवरण दर्शाया जाना तथा वाणिज्य कर का  
अनारोपण/कम आरोपण  
(संदर्भित प्रस्तर सं 2.11.4)**

(₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण प्राधिकारी का नाम	अवधि	विक्री धनरक्षि	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर	आरोपित कर	अनारोपण/कम आरोपित कर
पारित कर निर्धारण आदेश								
1.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, आगरा	1. अ०क०वाँ०क० खण्ड-10 आगरा 2. अ०क०वाँ०क० खण्ड-12 आगरा	2003-04 से 2007-08	55.41	10	5.54	--	5.54
2.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, इलाहाबाद	अ०क०वाँ०क० खण्ड-12 इलाहाबाद	2004-05 से 2007-08	20.86	10	2.09	--	2.09
3.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, कानपुर	1. डिं०क०खण्ड-13, वाँ०क०, कानपुर 2. डिं०क०खण्ड-14, वाँ०क०, कानपुर	2003-04 से 2007-08	64.06	10	6.41	--	6.41
4.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, लखनऊ	1. अ०क०वाँ०क० खण्ड-2 लखनऊ 2. डिं०क०खण्ड-5, वाँ०क०, लखनऊ	2003-04 से 2007-08 (12/2007 तक) 2007-08 (01/08 से 03/08)	61.30 17.01	10 4	6.13 0.68	0.68	6.13 --
5.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, वाराणसी	1. अ०क०वाँ०क० खण्ड-5 वाराणसी 2. डिं०क०खण्ड-11, वाँ०क०, वाराणसी	2003-04 से 2007-08	29.65	10	2.97	--	2.97
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ	1. अ०क०वाँ०क० खण्ड-12 लखनऊ 2. डिं०क०खण्ड-12, वाँ०क०, लखनऊ	2004-05 से 2007-08	127.69	10	12.77	--	12.77
7.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर	1. अ०क०वाँ०क० खण्ड-19 कानपुर 2. डिं०क०खण्ड-3, वाँ०क०, कानपुर 3. डिं०क०खण्ड-17, वाँ०क०, कानपुर	2003-04 से 2007-08	138.14	10	13.81	4.23	9.58
8.	ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास निगम, नोयडा	डिं०क०खण्ड-2, वाँ०क०, गोतमबुद्ध नगर	2004-05	265.89	10	26.59	26.59	--
			2005-06	12.73	10	1.27	1.27	--
			2007-08	313.43	10	31.34	23.06	8.28
9.	चू ओखला औद्योगिक विकास निगम, नोयडा	वाँ०क०अ० खण्ड-4, वाँ०क० नोयडा	2003-04 से 2007-08	3220.10	10	322.01	--	322.01
10.	आगरा विकास प्राधिकरण। आगरा	डिं०क० खण्ड-16 वाँ०क० आगरा	2007-08(12/2007 तक) 2007-08 (01/08 से 03/08)	186.10 17.04	10 4	18.61 0.68	7.00 0.68	11.61 --
11.	कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर	डिं०क०खण्ड-14, वाँ०क०, कानपुर	2007-08	48.66	10	4.87	--	4.87
12.	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	अ०क०वाँ०क० खण्ड-2 लखनऊ	2007-08 (12/2007 तक) 2007-08 (01/08 से 03/08)	235.01 15.00	10 4	23.50 0.60	8.50 0.60	15.00 --
13.	पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	1. डिं०क०खण्ड-1, वाँ०क०, गोरखपुर 2. डिं०क०खण्ड-3, वाँ०क०, गोरखपुर	2003-04 से 2007-08	112.88	10	11.29	--	11.29
योग				4940.96		491.16	72.61	418.55

**कर निर्धारण आदेश पारित नहीं**

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण प्राधिकारी का नाम	अवधि	बिक्री धनरशि	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर
1.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, आगरा	1. अ0क0वा0क0 खण्ड-10 आगरा	2008-09	17.07	4	0.68
		2. अ0क0वा0क0 खण्ड-12 आगरा	2009-10	9.83	4.5	0.44
2.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, इलाहाबाद	अ0क0वा0क0 खण्ड-12 इलाहाबाद	2008-09	9.31	4	0.37
3.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, कानपुर	1. डि0क0खण्ड-13, वा0क0, कानपुर	2008-09	8.29	4	0.33
		2. डि0क0खण्ड-14, वा0क0, कानपुर	2009-10	8.64	4.5	0.39
4.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, लखनऊ	1. अ0क0वा0क0 खण्ड-2 लखनऊ	2008-09	128.91	4	5.16
		2. डि0क0खण्ड-5, वा0क0, लखनऊ	2009-10	66.77	4.5	3.00
5.	नगर आयुक्त, नगर-निगम, वाराणसी	1. अ0क0वा0क0 खण्ड-5 वाराणसी	2008-09	7.78	4	0.31
		2. अ0क0वा0क0 खण्ड-11 वाराणसी	2009-10	3.60	4.5	0.16
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ	1. अ0क0वा0क0 खण्ड-12 लखनऊ	2008-09	47.35	4	1.89
		2. डि0क0खण्ड-12, वा0क0, लखनऊ	2009-10	81.17	4.5	3.65
7.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर	1. अ0क0वा0क0 खण्ड-19 कानपुर	2008-09	7.91	4	0.32
		2. डि0क0खण्ड-3, वा0क0, कानपुर	2009-10	14.21	4.5	0.64
		3. डि0क0खण्ड-17, वा0क0, कानपुर				
8.	ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास निगम	डि0क0खण्ड-2, वा0क0, गौतमबुद्ध नगर	2008-09	3087.27	4	123.49
9.	आगरा विकास प्राधिकरण	डि0क0खण्ड-16, वा0क0, आगरा	2008-09	451.63	4	18.07
10.	गजियाबाद विकास प्राधिकरण		2009-10	976.07	4.5	43.92
11.	कानपुर विकास प्राधिकरण	डि0क0खण्ड-14, वा0क0, कानपुर	2008-09	37.05	4	1.48
			2009-10	22.73	4.5	1.02
12.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	अ0क0वा0क0 खण्ड-2 लखनऊ	2008-09	86.37	4	3.45
			2009-10	122.27	4.5	5.50
13.	पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	1. डि0क0खण्ड-1, वा0क0, गोरखपुर	2008-09	39.19	4	1.57
		2. डि0क0खण्ड-3, वा0क0, गोरखपुर	2009-10	190.44	4.5	8.57
		योग		5423.86		224.41

## परिशिष्ट-IV

धार 15ए (1)(सी) के अन्तर्गत अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना  
(सन्दर्भित प्रस्तर सं 2.12.1)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियॉ की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	छिपाया गया टर्नओवर	वस्तु का नाम	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड
1.	अ0क0(क0नि0) वा0क0 डिबाई, बुलन्दरशहर	1	2004-05 (अप्रैल 2006)	41.99	टिम्बर एवं टिम्बर उत्पाद	4.32	2.16
2.	डिंक0(क0नि0)-3 वा0क0 फैजाबाद	2	2004-05 (मार्च 2007)	109.79	कोल	4.39	2.20
			2005-06 (जुलाई 2007)	1126.24	-तदैव-	45.05	22.52
			2006-07 (दिसम्बर 2008)	1004.57	-तदैव-	40.18	20.09
			2005-06 (सितम्बर 2008)	35.28	-तदैव-	1.41	0.71
			2006-07 (अक्टूबर 2008)	56.03	-तदैव-	2.24	1.12
3.	अ0क0(क0नि0)-4 वा0क0 कानपुर	1	2004-05 (मार्च 2007)	28.06	पेन्ट एवं थिनर	3.37	1.68
4.	डिंक0(क0नि0)-13 वा0क0 लखनऊ	1	2007-08 (मार्च 2010)	21.50	फ्लैक्स प्रिन्टेड एवं ग्लो साइन बोर्ड	2.37	1.18
5.	डिंक0(क0नि0)-7 वा0क0 मुरादाबाद	1	2003-04 (दिसम्बर 2005)	42.00	क्राफ्ट पेपर	2.44	1.22
			2004-05 (जून 2007)	95.00	-तदैव-	6.05	3.03
6.	डिंक0(क0नि0)-1 वा0क0 सम्पल	1	2004-05 (मार्च 2007)	6300.00	मेन्था आयल	405.00	202.50
	योग	7		8860.46		516.82	258.41

## परिशिष्ट - V

**अधिक वसूल किये गये कर का जमा न किये जाने से राजस्व हानि  
(सन्दर्भित प्रस्तर सं 2.17)**

(₹ लाख में)

क्र०सं 0	कर निधारण अधिकारी	आपूर्तिकर्ता का नाम	डिस्काम का नाम	मण्डल का नाम	एक्स वर्क (+) एक्साइज ड्यूटी का भुगतान	वाणिज्य कर
1.	डिंको खण्ड 15, वारको लखनऊ	मे० इन्स्टूमेन्टेशन लिं०, महानगर लखनऊ	प०विंविंनिंलिं०	विंविंम० नोयडा	829.06	33.16
			द०विंविंनिंलिं०आ गरा	विंविंम० आगरा	573.47	22.94
2.	डिंको खण्ड 9, वारको मुरादाबाद	मे० जीनस ओवरसीज लिं० मुरादाबाद	द०विंविंनिंलिं०आ गरा	विंविंम०—आगरा, वाराणसी, हरदोई, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा तथा झाँसी	7320.40	292.82
3.	डिंको खण्ड 3, वारको सुल्तानपुर	मे० विजय इलेक्ट्रिकल्स लिं० हैदराबाद	म०विंविंनिंलिं०	विंविंम० बरेली	3332.67	133.31
		—तदैव—	पू०विंविंनिंलिं०	विंविंम० गोरखपुर	2767.63	110.71
4.	डिंको खण्ड 2, वारको मुजफ्फरनगर	मे० कें०ई०सी० इन्टरनेशल लिं०	म०विंविंनिंलिं०	विंविंम० बरेली	984.29	39.37
			प०विंविंनिंलिं०	विंविंम० वाराणसी	2494.29	99.77
		—तदैव—	पू०विंविंनिंलिं०	विंविंम० गोरखपुर	2418.10	96.72
5.	ज्यारोको(कारोसो) लखनऊ	मे० नागार्जुन कार्स्ट्रक्शन कंलिं० हैदराबाद	म०विंविंनिंलिं०	विंविंम० फैजाबाद	950.14	38.01
6.	डिंको खण्ड 1, वारको लखनऊ	मे० रिलायन्स एनर्जी लिं०	पू०विंविंनिंलिं०	विंविंम० गोरखपुर	4930.53	197.22
		—तदैव—	द०विंविंनिंलिं०	विंविंम० फ़रुखाबाद	2882.76	115.31
		—तदैव—	पू०विंविंनिंलिं०	विंविंम०—I इलाहाबाद	444.73	17.79
		—तदैव—	—तदैव—	विंविंम०—I इलाहाबाद	698.25	27.93
7.	डिंको खण्ड 3, वारको गौतम बुद्ध नगर	मे० कें०पी०टी०एल० इन्टरनेशनल लिं०	पू०विंविंनिंलिं०	विंविंम० गोरखपुर	469.49	18.78
8.	डिंको खण्ड 20, वारको लखनऊ	मे० आई०बी०आर०सी०एल० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिं० हैदराबाद	म०विंविंनिंलिं०	विंविंम० गोण्डा	4927.33	197.09
				—तदैव—	3417.09	136.68
9.	डिंको खण्ड 13, वारको आगरा	मे० सुभाष प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग लिं० कोलकाता	द०विंविंनिंलिं०आ गरा	विंविंम० मैनपुरी	223.61	8.94
		—तदैव—	द०विंविंनिंलिं०	विंविंम० फिरोजाबाद	879.62	35.18
10.	डिंको खण्ड 12, वारको लखनऊ	मे० ए०बी०बी०लि०	पू०विंविंनिंलिं०	विंविंम० गोरखपुर	584.74	23.39
		—तदैव—		विंविंम०-II इलाहाबाद	833.18	33.33
		मे० ए०बी०बी०लि०	पू०विंविंनिंलिं०	विद्युत स्टोर खण्ड विंटो०ख० वाराणसी	1691.40	67.66
11.	डिंको खण्ड 1, वारको लखनऊ	मे० रिलायन्स एनर्जी लिं०	पू०विंविंनिंलिं०	—तदैव—	819.56	32.78
		—तदैव—			1495.15	59.80
12.	डिंको खण्ड 11, वारको मेरठ	मे० यू०पी०आर०एन०एन० (इलेक्ट्रिकल) मेरठ	प०विंविंनिंलिं०	विंविंम० अमरोहा	729.82	29.19

क्र०सं 0	कर निधारण अधिकारी	आपूर्तिकर्ता का नाम	डिस्काम का नाम	मण्डल का नाम	एक्स वर्क (+) एक्साइज ड्यूटी का भुगतान	वाणिज्य कर
13.	डिंको खण्ड 1, वांको लखनऊ	में० रिलायन्स एनर्जी लि०	द०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० बाँदा	2029.35 244.79	81.17 9.79
14.	डिंको खण्ड 20, वांको लखनऊ	में० आई०वी०आर०सी०एल० इन्फास्ट्रक्चर लि०	—तदैव—	—तदैव—	1335.12	53.40
15.	डिंको खण्ड 3, वांको सुल्तानपुर	में० विजय इलेक्ट्रिकल्स लि०	—तदैव—	विठिठिम० कानपुर	2639.85	105.59
16.	डिंको खण्ड 3, वांको गौतम बुद्ध नगर	में० कै०पी०टी०एल० ट्रान्सग्लिशन	म०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० बाराबंकी	290.05	11.60
17.	डिंको खण्ड 12, वांको लखनऊ	में० ए०बी०वी० लि० बैंगलौर	—तदैव—	विठिठिम० उन्नाव	982.53	39.30
18.	डिंको खण्ड 1, वांको लखनऊ	में० रिलायन्स एनर्जी लि० नोयडा	द०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० हाथरस	298.21	11.93
19.	डिंको खण्ड 3, वांको गौतम बुद्ध नगर	में० कै०पी०टी०एल० पावर ट्रान्सफार्मर लि० गांधीनगर	म०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० शाहजहाँपुर	788.69	31.55
20.	डिंको खण्ड 1, वांको लखनऊ	में० रिलायन्स एनर्जी लि० नोयडा	—तदैव—	विठिठिम० हरदोई	4389.62	175.58
		—तदैव—	द०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० अलीगढ़	2003.65	80.15
21.	डिंको खण्ड 20, वांको लखनऊ	में० आई०वी०आर०सी०एल० इन्फास्ट्रक्चर लि०	—तदैव—	विठिठिम० झाँसी	755.54	30.22
22.	डिंको खण्ड 1, वांको सुल्तानपुर	में० अवध ट्रान्सफार्मर प्रा०लि० सुल्तानपुर	म०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० फैजाबाद	52.16	2.09
23.	डिंको खण्ड 20, वांको लखनऊ	में० आई०वी०आर०सी०एल० इन्फास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लि० हैदराबाद	—तदैव—	विठिठिम० बरेली	1286.13	51.45
24.	डिंको खण्ड 14, वांको लखनऊ	में० पायनियर पावर इंजीनियर्स	द०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० मैनपुरी	158.04	6.32
		में० सिक्योर मीटर्स लि०	केरको	केरको	365.97	14.64
25.	डिंको खण्ड 2, वांको कानपुर	में० सनकेम इंजी० (प्रा०) लि० कानपुर	—तदैव—		45.70	1.83
26.	डिंको खण्ड 25, वांको कानपुर	में० हरविटेक इंटरप्राइजेज लि० कानपुर	—तदैव—		717.42	28.69
		में० इनफाइनाइट इंडिया, कानपुर	—तदैव—		172.42	6.89
		में० एलायमर इन्टरनेशनल प्रा०लि० नई दिल्ली	—तदैव—		232.70	9.31
27.	डिंको खण्ड 2, वांको कानपुर	में० सनकेम इंजी० (प्रा०) लि० कानपुर	—तदैव—		52.00	2.08
28.	ज्वांको (का०स०) वांको फैजाबाद	में० आनन्द ट्रान्सफार्मर प्रा०लि० कानपुर	—तदैव—		267.33	10.69
		में० एबसाल्यूट प्राजेक्ट्स (इंडिया) लि० दरियागंज नई दिल्ली	—तदैव—		23.15	0.93
29.	डिंको खण्ड 9, वांको मुशादाबाद	में० जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रिनिक्स लि० जयपुर	द०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० झाँसी	591.42	23.66
30.	डिंको खण्ड 14, वांको लखनऊ	में० पायनियर पावर इंजीनियर्स	विठिठिम० एटा		163.87	6.55
		में० पायनियर पावर इंजी० लि० नवल किशोर लखनऊ	विठिठिम० अलीगढ़		39.54	1.58
		में० सिक्योर मीटर्स लि० प्रतापनगर उदयपुर	—तदैव—		182.45	7.30
31.	डिंको खण्ड 9, वांको गाजियाबाद	में० जे०एस०पी० कान्स्ट्रक्शन्स गाजियाबाद	प०विठिठिनिठिलि०	विठिठिम० बागपत	43.53	1.74

क्र०सं 0	कर निर्धारण अधिकारी	आपूर्तिकर्ता का नाम	डिस्काम का नाम	मण्डल का नाम	एक्स वर्क (+) एक्साइज द्यूटी का भुगतान	वाणिज्य कर
32.	डिंको खण्ड 12, वारको लखनऊ	मे० ए०बी०बी०लि० नई दिल्ली		वि०वि०म० मुजफ्फरनगर	11.15	0.45
33.	डिंको खण्ड 9, वारको गाजियाबाद	मे० जे०ए०स०पी० कान्स्ट्रक्शनस गाजियाबाद		-तदैव-	55.14	2.20
34.	डिंको खण्ड 15, वारको लखनऊ	मे० इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० कोटा		वि०वि०म० नोयडा	411.45	16.46
35.	डिंको खण्ड 12, वारको लखनऊ	मे० ए०बी०बी०लि० नई दिल्ली  मे० डायनमिक इलेक्ट्रिकल एण्ड स्विच गियर प्रा०लि० नई दिल्ली		वि०वि०म० गाजियाबाद	134.01	5.36
36.	डिंको खण्ड 9, वारको गाजियाबाद	मे० जे०ए०स०पी० कान्स्ट्रक्शन्स  मे० ज्याती विल्ड टेक प्रा०लि० लखनऊ		-तदैव-	23.54	0.94
37.	डिंको खण्ड 9, वारको नोयडा	मे० हाइथ्रो पावर कार्पो० नई दिल्ली  मे० एब्साल्पूट प्रार्जेक्ट्स (इण्डिया) लि०, दरियागंज नई दिल्ली  मे० एलायमर इन्टरनेशनल प्रा०लि०, नई दिल्ली		-तदैव-	865.45	34.62
38.	डिंको खण्ड 9, वारको मुरादाबाद	मे० जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक्स लि०, जयपुर  मे० सिक्योर मीटर्स लि० प्रतापनगर उदयपुर	द०वि०वि०नि०लि०	-तदैव-	33.21	1.33
39.	डिंको खण्ड 12, वारको लखनऊ	मे० ए०बी०बी०लि० नई दिल्ली  मे० सिक्योर मीटर्स लि० प्रतापनगर उदयपुर		वि०वि०म० बुलन्दशहर	46.28	1.85
				-तदैव-	19.05	0.76
				-तदैव-	25.02	1.00
				वि०वि०म० फिरोजाबाद	421.70	16.87
				वि०वि०म० मैनपुरी	158.44	6.34
				वि०वि०म० मथुरा	25.67	1.02
				-तदैव-	113.56	4.54
					69192.21	2767.65

## परिशिष्ट -VI

### सकर्म संविदा कर की कटौती न किया जाना

**(सन्दर्भित प्रस्तर सं 2.18)**

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम एवं आहरण –वितरण अधिकारी (आ०वि०आ०)	कर निर्धारण अधिकारी	ठेकेदार का नाम	इरेक्शन, टेस्ट एवं कमीशनिंग के लिए सकल भुगतान	कटौती योग्य सकर्म संविदा कर	काटी गयी सं० ३० आ०	शुद्ध नहीं काटी गयी धनराशि	अर्थदण्ड
1.	म०वि०वि०नि०लि० <sup>1</sup> आ०आ०, वि०वि०म० <sup>2</sup> शाहजहाँपुर	आ०क० खण्ड-१ वा०क० शाहजहाँपुर	मे० अबध ट्रान्सफार्मर प्रा० सुल्तानपुर	73.71	2.95	0	2.95	5.90
			मे० इण्डो पावर प्रॉजेक्ट लि०, कोलकाता (शा०का० रामपुर)	40.83	1.63	0	1.63	3.26
			मे० हरविटेक इन्टरप्राइजेज कानपुर	81.32	3.25	0	3.25	6.50
			मे० पावर फैब्रीकेटर (ई) प्रा० लखनऊ	46.64	1.86	0	1.86	3.72
			मे० हिना इन्जीनियरिंग वर्क्स लखनऊ	10.36	0.41	0.24	0.17	0.34
			मे० चन्द्रा इन्टरप्राइजेज, बरेली	19.10	0.76	0.49	0.27	0.54
	आ०आ०, वि०वि०म० बरेली	वा०क०आ० खण्ड-३, वा०क०, बरेली	मे० विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद	968.96	38.76	0	38.76	77.52
	आ०आ०, वि०वि०म०गोण्डा		मे० आई०वी०आर०सी० एल० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट लि० हैदराबाद	250.51	10.02	0	10.02	20.04
			मे० एस०टी० इलेक्ट्रिकल्स पुणे	323.32	12.93	0	12.93	25.86
	आ०आ०, वि०वि०म० रायबरेली	आ०क० खण्ड-१ वा०क० रायबरेली	मे० ए०बी०बी० लि० लखनऊ	30.19	1.21	0	1.21	2.42
	आ०आ०, वि०वि०म० हरदोई	वा०क०आ० खण्ड-१, वा०क०, हरदोई	मे० जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रोनिक्स लि० जयपुर (मुरादाबाद में पंजीकृत)	70.58	2.82	0	2.82	5.64
	आ०आ०, वि०वि०म० फैजाबाद	आ०क० खण्ड-४ वा०क० फैजाबाद	मे० नागार्जुन कान्स्ट्रक्शन कं० लि० हैदराबाद (शा०का० लखनऊ)	693.13	27.73	0	27.73	55.46
			मे० अबध ट्रान्सफार्मर प्रा०लि०	7.83	0.31	0	0.31	0.62
				43.79	1.75	0	1.75	3.50
	आ०आ०, वि०वि०म० फैजाबाद	आ०क० खण्ड-४ वा०क० फैजाबाद	मे० सौरभ इण्टरप्राइजेज	9.21	0.37	0	0.37	0.74

<sup>1</sup> मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०

<sup>2</sup> अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम

क्र० सं०	कम्पनी का नाम एवं आहरण –वितरण अधिकारी (आ०वि०अ०)	कर निर्धारण अधिकारी	ठेकेदार का नाम	इरेक्शन, टेस्ट एवं कमीशनिंग के लिए सकल भुगतान	कटौती योग्य सर्कर्म संविदा कर	काठी गयी स०सं० अ०	शुद्ध नहीं काठी गयी धनराशि	अर्थदण्ड
	अ०अ०, वि०वि०म० बरेली	वा०क०अ० खण्ड-३, वा०क०, बरेली	मे० आई०वी०आर०सी० एल० हैदराबाद	87.38	3.49	0	3.49	6.98
2.	द०वि०वि०नि० लि० <sup>3</sup> अ०अ०, वि०वि०म० आगरा	वा०क०विभाग में पंजीकृत नहीं	मे० इन्फूमेन्टेशन लि० महानगर, लखनऊ	172.82	6.91	0	6.91	13.82
	अ०अ०, वि०वि०म० फर्रुखाबाद		मे० रिलायन्स एनर्जी	553.98	22.16	0	22.16	44.32
	अ०अ०, वि०वि०म० फिरोजाबाद	वा०क०अ० खण्ड-१, वा०क०, फिरोजाबाद	मे० सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्किटिंग लि० कोलकाता	62.91	2.52	0	2.52	5.04
	अ०अ०, वि०वि०म० मैनपुरी	अ०क० खण्ड-१ वा०क० मैनपुरी		176.26	7.05	0	7.05	14.10
	अ०अ०, वि०वि०म० अलीगढ़	अ०क० खण्ड-२ वा०क० अलीगढ़	मे० रिलायन्स एनर्जी लि० नोयडा	806.05	32.24	0	32.24	64.48
	अ०अ०, वि०वि०म० कानपुर	डि०क० खण्ड-१६ वा०क० कानपुर	मे० विजय इलेक्ट्रिकल्स लि०	413.05	16.52	0	16.52	33.04
	अ०अ०, वि०वि०म० मैनपुरी	अ०क० खण्ड-१ वा०क० मैनपुरी	मे० एकूरेट ट्रान्सफार्मर लि० दिल्ली	192.13	7.68	0	7.68	15.36
	अ०अ०, वि०वि०म० मथुरा	वा०क०अ० खण्ड-५, वा०क०, मथुरा	मे० रिलायन्स एनर्जी लि० नोयडा	104.72	4.19	0	4.19	8.38
	अ०अ०, वि०वि०म० इटावा	अ०क० खण्ड-३ वा०क० इटावा	—तदैव—	4.64	0.18	0	0.18	0.36
	अ०अ०, वि०वि०म० बाँदा	अ०क० खण्ड-१ वा०क० बाँदा	मे० आई०वी०आर०सी० एल० इन्फास्ट्रक्चर प्राइजेक्ट लि० हैदराबाद	214.52	8.58	0	8.58	17.16
			—तदैव—	247.07	9.88	0	9.88	19.76
	अ०अ०, वि०वि०म० झाँसी	वा०क०अ० खण्ड-६, वा०क०, झाँसी	मे० जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक्स लि० जयपुर	516.56	20.66	0	20.66	41.32
	अ०अ०, वि०वि०म० अलीगढ़	अ०क० खण्ड-२ वा०क० अलीगढ़	मे० अवध ट्रान्सफारमर्स प्रा०लि० लखनऊ	251.31	10.05	0	10.05	20.10
	अ०अ०, वि०वि०म० बरेली	वा०क०अ० खण्ड-३, वा०क०, बरेली	मे० आर०के० इण्डस्ट्रीज	201.19	8.05	0	8.05	16.10
			मे० मदन कान्स्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी	16.23	0.65	0	0.65	1.30

<sup>3</sup> दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

क्र० सं०	कम्पनी का नाम एवं आहरण –वितरण अधिकारी (आ०वि०आ०)	कर निर्धारण अधिकारी	ठेकेदार का नाम	इरेक्शन, टेस्ट एवं कमीशनिंग के लिए सकल भुगतान	कटौती योग्य सकर्म संविदा कर	काटी गयी स०सं० आ०	शुद्ध नहीं काटी गयी धनराशि	अर्थदण्ड
	अ०आ०, वि०वि०म० अलीगढ़	अ०क० खण्ड-२ वा०क० अलीगढ़	मे० मारसन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्ड० आगरा	87.20	3.49	1.67	1.82	3.64
	अ०आ०, वि०वि०म० इटावा	अ०क० खण्ड-३ वा०क० इटावा	मे० जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक्स लि०	266.43	10.66	0	10.66	21.32
	अ०आ०, वि०वि०म० आगरा	वा०क०विभाग में पंजीकृत नहीं	-तदैव-	244.70	9.79	0.26	9.53	19.06
	अ०आ०, वि०वि०म० मैनपुरी	अ०क० खण्ड-१ वा०क० मैनपुरी	मे० आई०वी०आर०सी० एल० हैदराबाद	785.80	31.43	0	31.43	62.86
			-तदैव-	251.53	10.06	0	10.06	20.12
			-तदैव-	131.03	5.24	0	5.24	10.48
			मे० अवध ट्रान्सफारमर्स प्रा०लि० लखनऊ	32.73	1.31	0	1.31	2.62
	अ०आ०, वि०वि०म० फिरोजाबाद	वा०क०अ० खण्ड-१, वा०क०, फिरोजाबाद	मे० जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक्स लि०	454.58	18.18	0	18.18	36.36
			-तदैव-	239.01	9.56	0	9.56	19.12
	अ०आ०, वि०वि०म० मैनपुरी	अ०क० खण्ड-१ वा०क० मैनपुरी	मे० सिक्योर मीटर्स लि० उदयपुर	5.35	0.21	0	0.21	0.42
	अ०आ०, वि०वि०म० मथुरा	वा०क०अ० खण्ड-५, वा०क०, मथुरा	मे० अवध ट्रान्सफार्मर प्रा०लि० लखनऊ	17.02	0.68	0	0.68	1.36
			मे० ए०बी०बी० लि० दिल्ली	24.84	0.99	0	0.99	1.98
			-तदैव-	57.61	2.30	0	2.30	4.60
3.	पू०वि०वि०नि०लि० <sup>4</sup> अ०आ०, वि०वि०म० वाराणसी	अ०क० खण्ड-६ वा०क० वाराणसी	मे० रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०	1001.68	40.07	5.32	34.75	69.50
			मे० कोई०सी० इण्टरनेशनल लि० नई दिल्ली	752.74	30.11	0	30.11	60.22
	अ०आ०, वि०वि०म० मिर्जापुर	डि०क० खण्ड-३ वा०क० मिर्जापुर	मे० रिलायन्स एनर्जी लि० मिर्जापुर	1205.54	48.22	0	48.22	96.44
			मे० रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०	1837.12	73.48	0	73.48	146.96
	अ०आ०, वि०वि०म० सन्त कबीर नगर		मे० कल्पतरू पावर ट्रान्समिशन लि०	1495.09	59.80	0	59.80	119.60
	अ०आ०, वि०वि०म० इलाहाबाद	अ०क० खण्ड-१ वा०क० इलाहाबादै	मे० विजय इलेक्ट्रिकल्स लि०	2819.20	112.77	0	112.77	225.54
	अ०आ०, वि०वि०म०-II इलाहाबाद		मे० ए०बी०बी० लि०	700.93	28.04	0	28.04	56.08
	अ०आ०, वि०वि०म० जौनपुर		-तदैव-	607.97	24.32	0	24.32	48.64
	अ०आ०, वि०वि०म०-I	अ०क० खण्ड-१ वा०क०	मे० रिलायन्स एनर्जी लि०	678.18	27.13	0	27.13	54.26

<sup>4</sup> पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०

क्र० सं०	कम्पनी का नाम एवं आहरण –वितरण अधिकारी (आ०वि०अ०)	कर निर्धारण अधिकारी	ठेकेदार का नाम	इरेक्शन, टेस्ट एवं कमीशनिंग के लिए सकल भुगतान	कटौती योग्य सकर्म संविदा कर	काटी गयी स०सं० अ०	शुद्ध नहीं काटी गयी धनराशि	अर्थदण्ड
	इलाहाबाद	इलाहाबाद	मे० नागार्जुन कान्स्ट्रक्शन कं० लि०	1816.31	72.65	0	72.65	145.30
	अ०अ०, वि०वि०म० गोरखपुर	अ०क० खण्ड-५ वा०क०, गोरखपुर	मे० कै०ई०सी० इंटरनेशनल लि०	1451.87	58.07	0	58.07	116.14
			मे० ए०बी०बी० लि०	292.94	11.72	0	11.72	23.44
	अ०अ०, वि०वि०म०-I वाराणसी	अ०क० खण्ड-६ वा०क०, वाराणसी	मे० जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक्स लि० जयपुर	1279.19	51.17	0	51.17	102.34
			मे० इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० लखनऊ	377.86	15.11	0	15.11	30.22
			-तदैव-	90.61	3.62	0	3.62	7.24
	अ०अ०, वि०वि०म० गोरखपुर	अ०क० खण्ड-५ वा०क०, गोरखपुर	-तदैव-	219.84	8.79	0	8.79	17.58
			मे० सुभाष ट्रेडर्स गोरखपुर	194.46	7.78	0	7.78	15.56
4.	प०वि०वि०नि०लि० <sup>५</sup> अ०अ० वि०वि०म० गाजियाबाद	अ०क० खण्ड-१६ वा०क०, गाजियाबाद	मे० ए०बी०बी० लि० लखनऊ	187.64	7.50	0	7.50	15.00
			मे० अवध ट्रान्सफार्मर प्रा०लि० लखनऊ	11.95	0.48	0	0.48	0.96
			मे० ज्योति बिल्ड टेक प्रा०लि० लखनऊ	36.84	1.47	0	1.47	2.94
	अ०अ०, वि०वि०म० नोयडा	अ०क० खण्ड-८ वा०क०, नोयडा	मे० इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० लखनऊ	481.40	19.26	0	19.26	38.52
			मे० ए०टी० इलेक्ट्रिकल्स गाजियाबाद	97.91	3.92	0	3.92	7.84
			मे० अल्सटाम लि० नई दिल्ली	5.49	0.22	0	0.22	0.44
	अ०अ०, वि०वि०म० मुजफ्फरनगर	वा०क०, विभाग में पंजीकृत नहीं	मे० ए०बी०बी० लि० लखनऊ	25.36	1.01	0	1.01	2.02
			मे० ए०टी० इलेक्ट्रिकल्स					
			मे० सतीश कुमार	31.00	1.24	0	1.24	2.48
	अ०अ०, वि०वि०म० बागपत	अ०क० वा०क०, बागपत	मे० आर०पी० इलेक्ट्रिल्स	11.53	0.46	0	0.46	0.92
			मे० ए०टी० इंडिया					
			मे० ए०टी० इलेक्ट्रिकल्स					
अ०अ०, वि०वि०म० बुलन्दशहर	अ०क० खण्ड-४ वा०क० बुलन्दशहर	मे० ए०टी० इंडिया	ए०टी० इलेक्ट्रिकल्स	14.06	0.56	0	0.56	1.12
		मे० अशोक कुमार एण्ड कम्पनी	17.51	0.70	0	0.70	1.40	
		मे० ए०टी० इंडिया						

<sup>5</sup> पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०

क्र० सं	कम्पनी का नाम एवं आहरण –वितरण अधिकारी (आ०वि०आ०)	कर निधारण अधिकारी	ठेकेदार का नाम	इरेक्शन, टेस्ट एवं कमीशनिंग के लिए सकल मुगतान	कटौती योग्य सकर्म संविदा कर	काटी गयी स०सं० ३०	शुद्ध नहीं काटी गयी धनराशि	अर्थदण्ड
अ०आ०, वि०वि०म० अमरोहा	डिंक० वा०क० अमरोहा	मे० पायनियर पावर इन्जीनियरिंग लि० लखनऊ		15.42	0.62	0	0.62	1.24
	अ०आ०, वि०वि०म० मेरठ	अ०क० खण्ड-१० वा०क० मेरठ	-तदैव-	22.47	0.90	0.67	0.23	0.46
	अ०आ०, वि०वि०म० मुरादाबाद	अ०क० खण्ड-१ वा०क० मुरादाबाद	मे० क्राम्पटन ग्रीष्म लि० नासिक	21.56	0.86	0	0.86	1.72
	योग			79.07	3.16	0	3.16	6.32
				27226.73	1089.00	8.65	1080.35	2160.70

**परिशिष्ट -VII**  
**(शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन)**  
**(संदर्भ प्रस्तर सं. 3.9)**

( ₹ में )

क्र० सं०	आसवनी का नाम	बैचों की संख्या	क्रमिक आउटटर्न का दिनांक	शीरे की खपत (कुन्तल में)	ए०टी०लैब रिपोर्ट के अनुसार (शीरे में उपस्थित एफ०एस०की मात्रा)		मानक के अनुसार अल्कोहल का उत्पादन (ए०एल०)	वास्तविक उत्पादित अल्कोहल (ए०एल०)	अंतर (ए०एल०)	पेय अल्कोहल (ए०एल० में)		जमा की गयी शमन शुल्क की धनराशि	जब्त की गयी प्रतिमूलि	पेय अल्कोहल पर निहित शुल्क @ ₹४२० प्रति ए०एल०	
					प्रतिशतता	मात्रा (कुन्तल में)				प्रतिशतता	मात्रा				
1	मोदी आसवनी, मोदीनगर, गाजियाबाद	1	23.3.10 से 25.3.10	6809	41.6	2832.54	148708.35	148250.50	457.85	80	366.28		-		153838
2	सिम्पौली आसवनी, गाजियाबाद	6	3.4.10 से 17.4.10	65610	40.9 - 42.3	27284.18	1432419.45	1421471.60	10947.85	40.00	4379.14		-		1839239
3	लाइस आसवनी, नन्दगांज, गाजीपुर	2	3.5.10 से 11.8.10	7775	34.74-35.24	2716.08	142594.20	141830.54	763.66	100	763.66		-		320737
4	इण्डिया ग्लाइकोल आसवनी, गोरखपुर	1	30.7.10 से 31.7.10	32395	38.03	12319.82	646790.55	645946.80	843.75	13.25	111.79		-		46952
5	एन०आई०सी०एल० आसवनी राजा का सहस्रपुर मुरादाबाद	3	11.5.09 से 13.8.09	21000	35.1 - 37.83	7667.27	402531.68	393613.00	8918.68	93.27	8318.45	50000	-		3493749
6	सर सादीलाल आसवनी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर	8	26.5.10 से 11.11.10	114282	35.91 - 39.37	43147.22	2265229.05	2218400.20	46828.85	58.97	27614.97		-		11598287
7	शामली आसवनी, शामली, मुजफ्फरनगर	1	30.4.10	7472	40.96	3060.53	160677.83	159411.10	1266.73	36.68	464.64	5000	-		195149
8	मझौला आसवनी, पीलीभीत	1	2.4.09 से 8.4.09	9675	43.43 - 45.43	4201.85	220597.13	219735.10	862.03	100	862.03		-		362053
9	पिलखनी आसवनी, सहारनपुर	3	9.2.10 से 30.3.10	26637	39.02 - 39.68	10494.58	550965.45	533556.40	17409.05	100	17409.05	50000	-		7311801
10	यूडी०वी०एल० आसवनी, उन्नाव	2	8.7.10 से 20.11.10	16120	34.35 - 34.38	5539.79	290838.98	284641.00	6197.97	100	6197.97		-		2603147
	योग	28	02.04.09 से 20.11.10	307775 या 3.08 लाख	34.74-45.43	119263.86 या 1.19। लाख	6261352.65 या 62.61 लाख	6166856.24 या 61.67 लाख	94496.41 या 0.94 लाख	13.25- 100	66487.98 या 0.66 लाख	105000 या 1.05 लाख			27924952 या 2.79 करोड़

## परिशिष्ट -VIII

टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन के कारण राजस्व क्षति  
(संदर्भ प्रस्तर सं. 3.11)

(₹ में)

क्र 0स ०	आसवनी का नाम	शीरा प्राप्ति का माह	पासेस की संख्या	प्रेषित शीरा (कुन्तल में)	प्राप्त शीरा (कुन्तल में)	टी0आर0एस0 का विवरण (प्रतिशत में)			टी0आर0 एस0 का अंतर (कुन्तल में)	एफ0एस0 की मात्रा (टी0आर0 एस0 का 88 प्रतिशत) (कुन्तल में)	अल्कोहल उत्पादन की मात्रा (52.5 ए0एल0 प्रति कुन्तल एफ0एस0 में)	पेय अल्कोहल (ए0एल0 में)		₹ 420 प्रति ए0एल0 की दर से पेय अल्कोहल पर निहित शुल्क
						प्रेषित	प्राप्त	अन्तर				प्रतिशत	मात्रा	
1.	नानपारा आसवनी, बहराइच	जनवरी 2010 से मार्च 2010	33	5542.15	5501.60	48.10 - 48.60	46.20 - 48.10	0.10 - 2.00	23.860	21.00	1102.50	100	1102.50	463050
2.	केसर इंप्टर प्राइजेज, लिंग, बहेड़ी, बरेली	फरवरी 2010 से मार्च 2010	08	1915.85	1899.50	45.54 - 46.00	45.00 - 45.45	0.09 - 6.00	23.479	20.66	1084.65	100	1084.65	455553
3.	लाईंस आसवनी, गाजीपुर	जुलाई 2009 से सितम्बर 2009	58	19805.20	19566.90	42.90 - 44.27	40.00	2.90 - 4.27	734.512	646.37	33934.43	100	33934.43	14252460
4.	आई0जी0एल0 आसवनी, गोरखपुर	जनवरी 2010 ( 2009-10)	5	2082.65	2082.65	44.30	43.30-44.10	0.20 - 1.00	17.530	15.43	810.07	22.30	180.64	75869
		जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 (2010-11)	10	3611.90	3611.90	40.50- 48.80	40.10 -48.60	0.02-4.00	27.590	24.28	1274.70	13.25	168.90	70938
5.	सर सादीलाल आसवनी, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर	अगस्त 2010 से अक्टूबर 2010	38	9464.79	9295.15	45.22 - 47.47	45.00 - 47.20	0.12 - 0.35	22.080	19.43	1020.07	58.97	601.53	252643
	योग	जुलाई 2009 से अक्टूबर 2010	152	42422.54	41957.70	42.10 - 48.80	40.00 - 48.60	0.02 - 6.00	849.051	747.17	39226.42	13.25 - 100	37072.65	15570513 या 1.56 करोड़

## परिशिष्ट -IX

विदेशी मदिरा की दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण  
(संदर्भ प्रस्तर सं. 3.13)

2009-2010

(₹ में)

क्र०सं०	जिलों का नाम	दुकानों की संख्या	एक फरवरी 2008 से 31 मार्च 2008 तक वास्तविक खपत (बोतलों में)	एक अप्रैल 2008 से 31 जनवरी 2009 तक वास्तविक खपत (बोतलों में)	एक फरवरी 2008 से 31 जनवरी 2009 तक वास्तविक खपत (बोतलों में)	वर्ष 2008-09 की काल्पनिक बिक्री जिस पर विभाग ने लाइसेंस फीस का निर्धारण किया (बोतलों में) (कालम 5 का 12 / 10)	वर्ष 2009-10 के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित एवं वसूल की गयी लाइसेंस शुल्क (@ ₹ 23 प्रति बोतल)	वर्ष 2009-10 में वास्तविक खपत के आधार पर देय लाइसेंस फीस फरवरी 2008 से जनवरी 2009 (@ ₹ 23 प्रति बोतल)	लाइसेंस फीस का अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिजनौर	24	193689.18	429990.49	623679.67	515988.590	12799600	14344632.41	1545032
2.	एटा	24	95159.01	217177.63	312636.64	260613.160	6080000	7190642.72	1110643
3.	फर्रुखाबाद	2	5348.00	21387.94	26735.94	25665.528	601000	614926.62	13927
4.	फिरोजाबाद	1	7410.00	23912.36	31382.36	28694.832	660100	721794.28	61694
5.	हाथरस	5	47682.00	163845.75	211527.75	196614.900	4526000	4865138.25	339138
6.	जालौन	8	17880.43	66870.00	84750.43	80244.000	1846000	1949259.89	103260
7.	उन्नाव	6	13062.00	34666.37	47728.37	41599.644	957300	1097752.51	140453
	योग	70	380230.62	957850.54	1338441.16	1149420.654	27470000 या 2.75 करोड़	30784146.68 या 3.08 करोड़	3314157 या 33.14 लाख

2010-2011

क्र०सं०	जिलों का नाम	दुकानों की संख्या	एक फरवरी 2009 से 31 मार्च 2009 तक वास्तविक खपत (बोतलों में)	एक अप्रैल 2009 से 31 जनवरी 2010 तक वास्तविक खपत (बोतलों में)	एक फरवरी 2009 से 31 जनवरी 2010 तक वास्तविक खपत (बोतलों में)	वर्ष 2009-10 की काल्पनिक बिक्री जिस पर विभाग ने लाइसेंस फीस का निर्धारण किया (बोतलों में) (कालम 5 का 12 / 10)	वर्ष 2010-11 के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित एवं वसूल की गयी लाइसेंस शुल्क (@ ₹ 26 प्रति बोतल)	वर्ष 2010-11 में वास्तविक खपत के आधार पर देय लाइसेंस फीस फरवरी 2009 से जनवरी 2010 (@ ₹ 26 प्रति बोतल)	लाइसेंस फीस का अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	फतेहपुर	27	69369.87	230966.10	300335.97	277159.30	7213400	7808735.22	595335
2.	गजियाबाद	01	21748.30	80152.00	101900.30	96182.40	2518800	2649407.8	130608
3.	झांसी	23	75697.00	307412.00	387995.00	368894.40	9668800	10087870	419070
4.	लखीमपुर खीरी	17	103047.46	247850.30	350897.80	297420.40	7349800	9123342.8	1773543
	योग	68	269862.63	866380.4	1141129.07	1039656.5	26750800 या 2.68 करोड़	29669355.82 या 2.97 करोड़	2918556 या 29.18 लाख

**परिशिष्ट— X**  
**ऑकड़ों के वैलिडेशन का अभाव तथा दोहरी प्रविष्टियाँ**  
**(संदर्भित प्रस्तर सं— 4.5.14.3 एवं 4.5.14.4)**

क्रम सं	ऑकड़ा क्षेत्र में ऑकड़े	संपत्ति कानपुर	संपत्ति कौशाम्बी	संपत्ति लखनऊ	संपत्ति बुलन्दशहर	संपत्ति वाराणसी	संपत्ति गाजीपुर	संपत्ति मथुरा	संपत्ति बलिया	संपत्ति बस्ती	संपत्ति उन्नाव	संपत्ति झौसी	संपत्ति बागपत	संपत्ति प्रतापगढ़	संपत्ति कुशीनगर	संपत्ति फर्स्खाबाद	योग	
1	जनपद के अन्तर्गत दोहरे चेसिस नम्बर	2	NA	NA	NA	2	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6
2	जनपद के अन्तर्गत दोहरे इंजन नम्बर	NA	NA	3	69	38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	NA	2	116	
3	जनपदों के मध्य दोहरे चेसिस नम्बर	135	10	33	32	122	24	106	6	19	141	79	14	29	3	1	754	
4	जनपदों के मध्य इंजन नम्बर	20	6	48	30	64	14	31	5	10	39	47	12	14	NA	1	341	
5	एक समान चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर	333	309	1419	587	1072	5	928	190	334	444	1134	0	929	0	267	8395	
6	दोहरे इस्टयोरेंस कवर नोट नम्बर	NA	NA	NA	6075	691	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6766	
7	चेसिस नम्बर अल्कान्यूमेरिक नहीं	2907	650	6439	740	4126	223	3595	238	640	2899	3444	208	546	25	623	29816	
8	इंजन नम्बर अल्कान्यूमेरिक नहीं	587	297	9771	610	4011	86	3120	177	482	1018	3057	149	278	4	216	24842	
9	निर्माण वर्ष अवास्तविक	6	9	NA	31	59	NA	39	4	NA	NA	3	6	NA	NA	15	172	
10	इंजन नम्बर अवास्तविक	10	NA	133	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16	NA	NA	NA	NA	159	
11	क्रय/निर्माण से पूर्व वाहन का पंजीयन	4	NA	NA	1	6	NA	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	
12	वाहनों का व्हीलबेस अत्यात् कम (42 इंच से कम)	4256	10463	64218	2219	8476	420	6133	244	1	644	12079	216	2845	353	12	112579	
13	क्युंविक क्षमता 25 से कम	1321	3	1444	60	403	252	1486	20	99	339	911	18	238	852	56	7502	

14	हल्के वाहनों की सीट क्षमता 12 से अधिक	NA	247	7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	9	796	NA	NA	1061
15	दुपहिया वाहनों की सीट क्षमता 3 से अधिक	0	10980	1435	NA	NA	14	56	3	1	3108	104	7	31949	NA	NA	47657	
16	मध्यम/मारी माल यानों की सीट क्षमता 7 से अधिक	8	547	26	NA	NA	6	11	1	3	6	5	34	2	NA	2	653	
17	49000 किग्रा से अधिक लदान रहित भार	30	0	3	0	11	6	4	1	1	0	1	2	NA	1	NA	60	
18	49000 किग्रा से अधिक सकल यान भार	14	3	12	5	26	28	54	6	1	36	4	NA	5	1	10	205	
19	एक समान लदान रहित भार तथा सकल यान भार	NA	NA	2314	NA	NA	NA	NA	142	175	1671	131	NA	NA	17	NA	6121	
20	सकल यान भार से अधिक लदान रहित भार	255	149	596	2784	228	228	3707	116	166	48	40	333	8	6	196	8908	
21	दो वर्ष से अधिक हेतु स्वयंता प्रमाण पत्र	292	17	58	8	64	4	31	0	38	21	17	1	5	NA	8	564	
वाहनों की कुल संख्या		24169	15788	103484	99799	64836	30954	123892	11669	24028	44033	38739	17109	41745	2974	2270	645489	

## परिशिष्ट— XI

**मैनुअल पत्रावलियों तथा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में प्रविष्ट ऑकड़ों में असमानता**

(संदर्भित प्रस्तर सं0— 4.5.14.5)

क्रम सं0	स0प0अ0 / स0स0प0अ0 का नाम	पंजीकृत वाहन		योग	जॉची गई पत्रावलियाँ	पाई गई असमानताओं की संख्या
		कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर संधे	कम्प्यूटर में प्रविष्ट बैकलाग ऑकड़े			
1	स0प0अ0 कानपुर	323245	142897	466142	540	17
2	स0स0प0अ0 कौशाम्बी	12592	3243	15835	209	35
3	स0प0अ0 लखनऊ	634212	156444	790656	100	22
4	स0स0प0अ0 बुलन्दशहर	100811	6697	107508	100	34
5	स0प0अ0 वाराणसी	248551	72636	321187	300	38
6	स0स0प0अ0 गाजीपुर	30970	378	31348	0	0
7	स0स0प0अ0 मथुरा	131892	9775	141667	0	0
8	स0स0प0अ0 बलिया	29488	9320	38808	76	18
9	स0प0अ0 बस्ती	85848	10878	96726	105	13
10	स0स0प0अ0 उन्नाव	133218	16433	149651	24	0
11	स0प0अ0 झाँसी	120987	128817	249804	150	32
12	स0स0प0अ0 बागपत	79547	3397	82944	120	68
13	स0स0प0अ0 प्रतापगढ़	36656	3425	40081	192	16
14	स0स0प0अ0 कुशीनगर	34476	4381	38857	0	0
15	स0स0प0अ0 फरुखाबाद	19604	27	19631	245	0
योग		2022097	568748	2590845	2161	293

## परिशिष्ट— XII

**कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् मैनुअल निष्पादित कार्य / निर्गत प्रमाण पत्र का विवरण**

(संदर्भित प्रस्तर सं0— 4.5.17)

क्रम सं0	स0प0अ0/ स0स0प0अ0 का नाम	रसीद	अस्थाई/स्थाई परमिट	पंजीयन प्रमाण पत्र	अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र	अनापत्ति प्रमाण पत्र	स्वस्थता प्रमाण पत्र
1	स0प0अ0 कानपुर	511	2216	-	12	-	-
2	स0स0प0अ0 कौशाम्बी	-	-	-	32	20	13
3	स0प0अ0 लखनऊ	-	-	-	-	-	-
4	स0स0प0अ0 बुलन्दशहर	145	58	4	77	193	98
5	स0प0अ0 वाराणसी	-	-	-	-	-	-
6	स0स0प0अ0 गाजीपुर	-	-	-	-	-	-
7	स0स0प0अ0 मथुरा	-	-	-	-	-	-
8	स0स0प0अ0 बलिया	-	-	-	-	-	-
9	स0प0अ0 बस्ती	-	-	-	-	-	-
10	स0स0प0अ0 उन्नाव	20	-	-	-	-	-
11	स0प0अ0 झौसी	-	3088	-	-	-	-
12	स0स0प0अ0 बागपत	29	-	40	-	48	884
13	स0स0प0अ0 प्रतापगढ़	-	-	-	-	-	3
14	स0स0प0अ0 कुशीनगर	-	-	-	-	-	-
15	स0स0प0अ0 फर्रुखाबाद	1801	294	-	-	425	29
योग		2506	5656	44	121	686	1027

## परिशिष्ट -XIII

**टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम दर्शाये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण  
(संदर्भ प्रस्तर सं. 4.7 )**

क्र0सं0	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या (कर्ब भार 1000 कि0ग्रा0)	अवधि	आरोपणीय कर	अदा कर	कम आरोपण
1.	स0प0का0, आगरा	476	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010	85.72	73.47	12.25
2.	स0प0का0, इलाहाबाद	294	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010	44.75	38.36	6.39
3.	स0प0का0, आजमगढ़	197	अक्टूबर 2009 से नवम्बर 2010	24.39	20.90	3.49
4.	स0प0का0, बाँदा	252	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010	39.58	33.93	5.65
5.	स0प0का0, फैजाबाद	14	अक्टूबर 2009 से नवम्बर 2010	2.17	1.86	0.31
6.	स0प0का0, गोण्डा	08	जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010	0.44	0.38	0.06
7.	स0प0का0, सहारनपुर	123	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010	17.24	14.77	2.47
8.	स0प0का0, वाराणसी	628	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010	99.36	85.16	14.20
9.	स0स0प0का0 बाराबंकी	593	अक्टूबर 2009 से नवम्बर 2010	85.14	72.98	12.16
10.	स0स0प0का0 चन्दौली	162	अक्टूबर 2009 से अक्टूबर 2010	25.24	21.64	3.60
11.	स0स0प0का0 गाजीपुर	36	अक्टूबर 2009 से अक्टूबर 2010	4.00	3.43	0.57
12.	स0स0प0का0 लखीमपुर खीरी	124	अक्टूबर 2009 से जुलाई 2010	8.66	7.42	1.24
13.	स0स0प0का0 रामपुर	53	अक्टूबर 2009 से नवम्बर 2010	5.40	4.63	0.77
14.	स0स0प0का0 उन्नाव	192	अक्टूबर 2009 से जुलाई 2010	24.64	21.12	3.52
	योग	3152		466.73	400.05	66.68

## परिशिष्ट -XIV

### पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का करापवंचन (संदर्भ प्रस्तर सं. 5.8)

शापिंग मॉल / कारपोरेट्स का नाम	पट्टा विलेखों की संख्या	पट्टा अवधि	पट्टा विलेखों के निष्पादन का वर्ष एवं माह	अधिनियम के अनुसार मूल्यांकन धनराशि जिस पर स्टाम्प शुल्क देय है	स्टाम्प शुल्क की दर (प्रतिशत)	देय स्टाम्प शुल्क	अदा स्टाम्प शुल्क	(₹ में) कम भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क
सहारा माल लखनऊ	102	3 वर्ष	09-10	765593988	4	30623759	10200	30613559
	07	6 वर्ष से 9 वर्ष	10/05 से 01/08	87178000	8 से 10	7638240	700	7637540
योग	109			852771988		38261999	10900	38251099
शिप्रा माल गाजियाबाद	06	9 वर्ष से 17 वर्ष	03/05 से 09/06	144506000	8 से 10	13715800	600	13715200
योग: माल	115			992826988		51540179	11500	51966299 या 5.20 करोड़
कारपोरेट्स 5 नोएडा 1 गाजियाबाद	06	9 माह से 20 वर्ष	01/05 से 06/10	105932000	2 से 8	6924840	600	6924240
	01	9 वर्ष	07/08	36992000	7	2589440	100	2589340
योग कारपोरेट्स	07			142924000		9514280	700	9513580 या 95.14 लाख
महायोग	122			1140201988		61492079	12200	61479879 या 6.15 करोड़

## परिशिष्ट-XV

सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण  
(संदर्भ प्रस्तर सं. 5.9.1)

(₹ लाख में)

क्र०सं०	इकाई का नाम	विलेख सं० निबंधन तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	मूल्यांकन (विलेख के अनुसार)	आरोपणीय ब्याज मूल्य (मू०सू०ची के अनुसार)	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क	आरोपित	कम आरोपण
उसी प्लाट के हिस्से को पूर्व में आवासीय दर से विक्रय किया गया था								
1.	उ०नि०-I आगरा	1122/10,1221/10 मार्च 2010	3956.00	25.73	59.34	3.95	1.60	2.35
2.	उ०नि०-IV आगरा <sup>6</sup>	4377/10 जुलाई 2010	5355.00	16.07	133.87	9.37	1.12	8.25
		4864/09 नवम्बर 09	1368.00	4.11	34.20	2.39	0.29	2.10
3.	उ०नि०-II अलीगढ़	9892/10 सितम्बर 2010	6335.00	18.50	76.02	5.32	1.33	3.99
4.	उ०नि० महेरी बहराइच	5614/09 अक्टूबर 2009	720.00	2.81	72.00	4.94	0.17	4.77
5.	उ०नि० रसड़ा बलिया	1164/10 जुलाई 2010 31/10 जनवरी 2010	4250.33	8.07	107.47	5.47	0.52	4.95
6.	उ०नि०-I झाँसी	5085/10,5086/10 जुलाई 2010	4580.00	32.06	183.20	12.72	2.15	10.57
7.	उ०नि०-II लखनऊ	5590/10 अप्रैल 2010	6830.00	30.00	81.96	5.74	2.10	3.64
8.	उ०नि०-II वाराणसी	122/10 जनवरी 2010	2250.00	15.00	54.00	3.78	1.05	2.73
प्लाट मूल्यांकन सूची में आवासीय घोषित किया गया था								
9.	उ०नि०-IV आगरा <sup>7</sup>	4426/10, 4427/10 जुलाई 2010	8669.00	17.35	216.72	14.97	1.72	13.25
		4290/09 अक्टूबर 2009	3500.00	12.25	87.50	6.12	0.86	5.26
		4691/09 नवम्बर 09	5766.00	17.30	86.49	6.05	1.21	4.84

<sup>6</sup> इस इकाई को दो प्रकार के विलेखों में वर्गीकृत किया गया है

<sup>7</sup> इस इकाई को दो प्रकार के विलेखों में वर्गीकृत किया गय है।

क्र०सं०	इकाई का नाम	विलेख सं० निबंधन तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मी० मे०)	मूल्यांकन (विलेख के अनुसार)	आरोपणीय व्याज मूल्य (मू०सूची के अनुसार)	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क	आरोपित	कम आरोपण
		4865/09 नवम्बर 09	976.00	5.86	24.40	1.71	0.41	1.30
10.	उ०नि० सवायजपुर हरदोई	2556/10 अप्रैल 2010	3290.00	2.99	62.51	3.23	0.21	3.02
11.	उ०नि० सदर बलिया	217/10 जनवरी 2010	10480	25.25	209.60	10.48	1.26	9.22
12.	उ०नि० हैदरगढ़ बाराबंकी	5305/10 अगस्त 2010	670.00	5.41	23.45	1.54	0.33	1.21
13.	उ०नि० चक्र नगर इटावा	755/10 अगस्त 2010	5430.00	7.63	162.90	8.05	0.31	7.74
14.	उ०नि० सम्बल मुरादाबाद	3122/10 अप्रैल 2010	1270.00	1.48	45.72	2.29	0.07	2.22
	योग	10 विलेख	40051.00	95.52	919.29	54.44	6.38	48.06
उसी प्लाट के हिस्से को एक ही दिन में अलग-2 दरों पर मूल्यांकित किया गया था।								
15.	उ०नि० सदर बाँदा	7176/10, 7177/10, 7178/10, दिसम्बर 2010	2070.57	111.96	161.50	11.31	7.84	3.47
16.	उ०नि० एत्मादपुर आगरा	7299/10 जून 2010	4503.40	54.05	135.11	9.35	3.68	5.67
		9214/09 सितम्बर 2009	2303.00	11.54	41.46	2.90	0.81	2.09
17.	उ०नि० सदर गाजीपुर	1818/10 अप्रैल 2010	2331.00	19.12	69.93	4.80	1.24	3.56
18.	उ०नि०बाँसगाँव गोरखपुर	2839/09 अगस्त 2009	3320.00	4.92	83.00	4.15	0.25	3.90
19.	उ०नि०-I, इलाहाबाद	3078/09 जुलाई 2009	442.02	44.58	79.57	5.47	3.02	2.45
	योग	08 विलेख	14969.99	246.17	570.57	37.98	16.84	21.14
उसी प्लाट के हिस्से को एक ही दिन/अगले दिन आवासीय दर पर विक्रीत किया गया था।								
20.	उ०नि० करछना इलाहाबाद	4507/09 अक्टूबर 2009 794/10 फरवरी 2010	3344.00	5.29	120.01	8.40	0.37	8.03
21.	उ०नि० टूण्डला फिरोजाबाद	1686/10 मार्च 2010	1620.00	5.60	42.12	2.95	0.40	2.55
22.	उ०नि०-I मुजफ्फरनगर	2065/10 2066/10 मार्च 2010	3242.00	16.52	48.63	3.30	1.10	2.20

क्र०सं0	इकाई का नाम	विलेख सं0 निबंधन तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	मूल्यांकन (विलेख के अनुसार)	आरोपणीय ब्याज मूल्य (मू0सूची के अनुसार)	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क	आरोपित	कम आरोपण
	योग	05 विलेख	8206.00	27.41	210.76	14.65	1.87	12.78
<b>प्लाटों की चौहददी में आवासीय प्लाट थे।</b>								
23.	उ0नि0-II झॉसी	3546/10 जून 2010	5560.00	12.24	72.28	5.06	0.86	4.20
24.	उ0नि0-V लखनऊ	6823/10 जून 2010	6320.00	70.48	180.12	12.61	4.96	7.65
	योग	02 विलेख	11880.00	82.72	252.40	17.67	5.82	11.85
<b>प्लाट को सात छोटे-2 प्लाटों में बेचा गया था।</b>								
25.	उ0नि0 सदर चन्दौली	3679,1339 फरवरी 2010	2888.00	8.74	54.42	2.73	0.63	2.10
	योग	02 विलेख	2888.00	8.74	54.42	2.73	0.63	2.10
	महायोग	39 विलेख		612.91 या 6.13 करोड़	2809.5 या 28.09 करोड़	181.15 या 1.81 करोड़	41.87 या 0.42 करोड़	139.28 या 1.39 करोड़

**परिशिष्ट -XVI**  
**(संदर्भ प्रस्तर सं 5.9.3)**

(₹ लाख में)

क्र०सं०	इकाई का नाम	विलेख सं० निर्दिशि	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	मूल्यांकन (विलेख के अनुसार)	आरोपणीय बाजार मूल्यांकन (मू०सू०वी के अनुसार)	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क	आरोपित	कम आरोपण
1.	उ०नि० सदर, फतेहपुर	5556/10 जून 2010	8100	22.95	170.10	11.91	1.61	10.30
2.	उ०नि० सदर फिरोजाबाद	5453/10 जून 2010	15030	22.27	120.24	8.42	1.60	6.82
3.	उ०नि० सदर ललितपुर	4778/10 जुलाई 2010	42790	72.19	685.90	34.30	3.62	30.68
		5276/10						
4.	उ०नि०-III लखनऊ	8666/09 दिसम्बर 2009	2660	21.28	66.50	4.66	1.49	3.17
5.	उ०नि०-I, कानपुर	361/10 फरवरी 2010	3070	3.69	18.42	1.29	0.26	1.03
6.	उ०नि०-II, कानपुर	3631/10 अगस्त 2010	1237	6.19	30.93	2.17	0.44	1.73
7.	उ०नि०-III, कानपुर	7378/10 जुलाई 2010	2340	16.38	210.60	14.74	1.15	13.59
8.	उ०नि० सदर उन्नाव	(I) 9844/10 अगस्त 2010	9610	57.72	182.59	12.78	4.05	8.73
		(2) 9845/10 अगस्त 2010	9610	57.72	182.59	12.78	4.05	8.73
		(3) 14235/10 दिसम्बर 2010	4425	5.30	40.74	2.04	0.27	1.77
		(4) 13922/10 दिसम्बर 2010	2083	5.21	27.08	1.90	0.37	1.53
	योग	12 विलेख		290.09 या 2.91 करोड़	1735.69 या 17.36 करोड़	106.99 या 1.07 करोड़	18.91 या 0.19 करोड़	88.08 या 0.88 करोड़